[2022] 9 एस. सी. आर. 1063

पी. टी. सी. भारतीय वित्तीय सेवाएँ सीमित

वी.

वेंकटेश्वरलू कारी और एक और

(2019 की सिविल अपील संख्या 5443)

12 मई, 2022

[एम. आर. शाह और संजीव खन्ना, जे. जे.]

अनुबंध अधिनियम, 1872-जमा अधिनियम, 1996-भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जमा और प्रतिभागी)

विनियम, 1996-क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 19961 के विनियम 58 के साथ पठित डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 का भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 और सामान्य कानून के तहत गिरवी के अनुबंधों से संबंधित प्रावधानों को अधिलेखित करने का कानूनी प्रभाव है।

भारत में लागू-आयोजितः डिपॉजिटरीज एक्ट यह निर्धारित करता है कि डिमैटेरियलाइज्ड प्रतिभूतियों को कैसे गिरवी रखा जा सकता है -

डिपॉजिटरी अधिनियम और 1996 के विनियम अनुबंध अधिनियम के अपमान में नहीं हैं, बल्कि इसके अतिरिक्त हैं-इस संबंध में, डिपॉजिटरी अधिनियम की धारा 28 का संदर्भ दिया गया है-इसलिए, उद्देश्य

डिपॉजिटरीज एक्ट का प्रावधान अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों को फिर से लिखने के लिए नहीं है, बल्कि डिमटेरियलाइज्ड के निर्माण और हस्तांतरण को विनियमित करने के लिए है

प्रतिभूतियाँ-विनियम 38 (1) (ई) में अन्य बातों के साथ-साथ सभी अनुमोदनों, सूचनाओं और प्रविष्टियों के अभिलेखों को बनाए रखने के लिए एक डिपॉजिटरी की आवश्यकता होती है, और

जैसा भी मामला हो, प्रतिज्ञा या परिकल्पना को रद्द करना।

अनुबंध अधिनियम, 1872-ss. 148-171 , 172-179 - जमानत और प्रतिज्ञा-कानूनी भेदभाव-जमानत के मामलों में, माल को विशिष्ट उद्देश्य के लिए जमानत दी जाती है और एक बार उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद बेली माल के कब्जे को वापस करने के लिए बाध्य होता है।

जमानतदार या जमानतदार के निर्देश के अनुसार माल का निपटान करना, जमानत के विपरीत, गिरवी में कब्जे का वितरण होता है

गिरवीदार द्वारा गिरवीदार को ऋण चुकाने या वादा पूरा करने के वादे पर प्रतिभूति के माध्यम से माल, जिससे एक ऐसी संपत्ति का निर्माण होता है जो गिरवीदार के साथ निहित होती है-प्रतिज्ञा से पहले जमानत दी जाती है।

शब्द और वाक्यांश-"प्रतिज्ञा", "बंधक"-चल संपत्ति-कानूनी भेद-एक बंधक संपत्ति में पूरे कानूनी हित को व्यक्त करता है, जबकि एक प्रतिज्ञा केवल एक विशेष संपत्ति को व्यक्त करती है।

गिरवीदार में सामान्य संपत्ति को छोड़ देना, और गिरवीदार के पास कभी भी संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व नहीं होता है-इसके अलावा गिरवीदार के विपरीत, एक गिरवीदार गिरवीदार के मोचन के अधिकार के अधीन गिरवी रखी गई चीजों में सामान्य अधिकार प्राप्त करता है-गिरवीदार की तुलना में, एक गिरवीदार को गिरवी रखे गए सामान में केवल विशेष अधिकार होता है, अर्थात् प्रतिभूति के रूप में कब्जे का अधिकार और चूक के मामले में, वह गिरवीदार के खिलाफ मुकदमा कर सकता है और साथ ही एक उचित सूचना देने के बाद माल बेच सकता है।

अनुबंध अधिनियम, 1872-गिरवी वस्तुओं का संवर्धन-शुल्क

इस तरह की वृद्धि के लिए गिरवी का अधिकार-गिरवी वृद्धि और परिवर्धन तक फैली हुई है, और इसलिए, जब गिरवी गिरवी रखी गई वस्तुओं को वापस करता है, तो परिवर्धन और परिवर्धन गिरवी को वापस किए जाने चाहिए-इसके अलावा यह भी कहा गया है कि गिरवी रखी गई वस्तुओं को रखने और बेचने का अधिकार गिरवी रखी गई वस्तुओं को किसी भी वृद्धि और संचय को बनाए रखने और बेचने के अधिकार तक फैला हुआ है।

अनुबंध अधिनियम, 1872। 176 , 177- देने का पावनी का कर्तव्य

अनुबंध अधिनियम की धारा 176, अनुबंध अधिनियम की कुछ धाराओं के विपरीत, विशेष रूप से यह प्रावधान नहीं करती है कि अनुबंध की शर्तें "अनुबंध के अभाव में" या "इसके विपरीत विशेष अनुबंध के अधीन" अभिव्यक्ति का उपयोग करके प्रावधान को ओवरराइड कर सकती हैं।

-

मोहरे द्वारा इच्छित बिक्री के लिए दी जाने वाली सूचना, एक विशेष सुरक्षा है जो कानून ने मोहरे को दी है, और पक्ष इस बात पर सहमत नहीं हो सकते हैं कि मोहरे गिरवी रखे गए माल को गिरवी रखे गए माल को गिरवी रखने वाले को बिना नोटिस दिए बेच सकता है-इसके अलावा, मोहरे को केवल नोटिस देना ही मोहरे को इच्छित बिक्री करने के लिए बाध्य नहीं करता है और वह इस तरह की सूचना देने के बाद भी बेचने के लिए बाध्य नहीं है-यदि नोटिस दिया जाता है, तो मोहरे एस के अनुसार माल को छुड़ा सकता है। 177 प्यादी द्वारा 'वास्तविक बिक्री' से पहले।

अनुबंध अधिनियम, 1872-एस। 63 , 176 - क्या पार्टियों को शपथ लेनी है

समझौता एस द्वारा विचार किए गए नोटिस की आवश्यकता को माफ कर सकता है। 176 – तय कानूनी स्थिति-अनुबंध अधिनियम की धारा 63 छूट के क्षेत्र को नियंत्रित करती है और यह कानून का एक सामान्य सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजी क्षमता में केवल व्यक्ति के लाभ और सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून या नियम के लाभ को माफ करने का अधिकार है, हालांकि, ऐसी छूट किसी भी सार्वजनिक अधिकार या सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं कर सकती है-लेकिन धारा 176 के तहत 'नोटिस' की आवश्यकता एक

अनिवार्य आवश्यकता है और गिरवीदार पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को एक विशेष सुरक्षा दी जाती है।

वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और

धारा 176 को "इसके विपरीत अनुबंध के अभाव में" वाक्यांश द्वारा ग्रहण या कम नहीं किया जाता है और इसलिए पक्षकार धारा 176 से अनुबंध नहीं कर सकते हैं-इसके अलावा गिरवी द्वारा इच्छित बिक्री के गिरवीदार को नोटिस की आवश्यकता गिरवीदार को दी गई विशेष सुरक्षा है, और पक्षकार समझौते द्वारा विशेष सुरक्षा को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं।

अनुबंध अधिनियम, 1872-क्या कोई खरीददार माल बेच सकता है

स्वयं के प्रति वचनबद्ध '-तय कानूनी स्थिति-यह तय कानूनी स्थिति है कि एक प्यादा खुद को माल नहीं बेच सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो इस तरह के हस्तांतरण को' बिक्री 'नहीं बल्कि' रूपांतरण 'कहा जा सकता है और इसलिए एस के संदर्भ में' बिक्री 'के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती है। 176 .

क़ानूनों की व्याख्या-जब दो या दो से अधिक क़ानून लागू होते हैं तो व्याख्या के नियम-एक बहस को हल करने के लिए जब दो कानून लागू होते हैं।

विचार स्पष्ट हैं, प्रावधान की व्याख्या तब करना सबसे अच्छा है जब हम जानते हैं कि क़ानून क्यों अधिनियमित किया गया है-यदि किसी क़ानून को उसके अधिनियमन के संदर्भ में, क़ानून निर्माता के चश्मे के साथ देखा जाता है-ऐसे संदर्भ द्वारा प्रदान किया गया है, तो इसकी योजना, धाराएं, खंड, वाक्यांश और शब्द रंग ले सकते हैं और संदर्भ द्वारा प्रदान किए गए चश्मे के बिना क़ानून को देखने की तुलना में अलग दिखाई दे सकते हैं और यह सिद्धांत तब समान रूप से लागू हो सकता है जब हम दो कानूनों के बीच परस्पर क्रिया की जांच करते हैं।

दो विधियों को एक साथ लगातार और सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जाएगा।

जहाँ तक उचित रूप से संभव हो, एक-दूसरे का पूरक होना और जहाँ ऐसी सुलह संभव न हो, वहाँ ऐसी स्थितियों में लागू व्याख्या के सिद्धांतों को लागू करके कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना।

जमा अधिनियम, 1996 - धारा 2 (1) (ए), 2 (1) (जे)-शब्द और वाक्यांश-"पंजीकृत मालिक", "लाभकारी मालिक"-विधायी

इरादा और उद्देश्य-प्रतिभूतियों के विमुद्रीकरण के लिए एक प्रक्रिया और नियम निर्धारित करने के लिए जमा अधिनियम लागू किया गया है।

उन्हें डिपॉजिटरी के कंप्यूटर में संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक डेटा में परिवर्तित करना और इसलिए उपरोक्त अधिनियम द्वारा, विधायिका ने भौतिक सुरक्षा से बचने की कोशिश की-इसके अलावा डिपॉजिटरी अधिनियम डिपॉजिटरी इको-सिस्टम की स्थापना करता है और 'पंजीकृत मालिक' और 'लाभकारी मालिक' की अवधारणाओं का परिचय देता है-डिपॉजिटरी 'प्रतिभूति के संबंध में' पंजीकृत मालिक 'बन जाता है, जबकि भौतिक शेयरों को सौंपने वाले व्यक्ति को' पंजीकृत मालिक 'के रूप में दर्ज किया जाता है।

लाभकारी स्वामी '-इसके अलावा लाभकारी स्वामी' केवल [2022] 9 एस. सी. आर. होगा।

डिपॉजिटरी द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों से जुड़े सभी अधिकारों, लाभों और देनदारियों का हकदार है। और इसलिए भौतिक प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के मामले में समान रूप से लाभप्रद मालिक के पास एक अवास्तविक प्रतिभूति निहित के स्वामित्व को हस्तांतरित करने की शक्ति और अधिकार निहित है। अनुबंध अधिनियम, 1872। 176 , 177 - जमा अधिनियम, 1996 - धारा 12-25,28-भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी)

और प्रतिभागी) विनियम 1996-विनियम 58

क़ानून-धारा 12 की उप-धारा (1) के संदर्भ में, एक लाभकारी मालिक 'डिपॉजिटरी' के पूर्व अनुमोदन के अधीन, 'डिपॉजिटरी के माध्यम से अपने स्वामित्व वाली प्रतिभूति के संबंध में एक गिरवी या परिकल्पना बना सकता है', लेकिन उपरोक्त प्रावधान कहीं भी 'गिरवी' शब्द को परिभाषित नहीं करता है-डिपॉजिटरी अधिनियम की धारा 25, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को डिपॉजिटरी अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विनियम बनाने की शक्ति निहित की गई है-एस के अनुसार। 25 (2) (घ) विनियम स्वामित्व वाली प्रतिभूति के संबंध में प्रतिज्ञा या परिकल्पना बनाने के तरीके का प्रावधान कर सकते हैं। जमा अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) के तहत एक लाभकारी मालिक द्वारा-इसके अलावा विनियमन 58 के अनुसार एक लाभकारी मालिक अपने स्वामित्व वाली प्रतिभूति पर एक प्रतिज्ञा बना सकता है और इस उद्देश्य के लिए, प्रतिज्ञा के मामलों में, गिरवी, एस के तहत अधिकार का प्रयोग करने के लिए। 12 आर /

विनियम 58, विनियम 58 (8) के आधार पर, गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को बेचने के लिए आगे बढ़ने से पहले खुद को 'लाभकारी मालिक' के रूप में दर्ज कराएगा-अधिनियम और विनियम असंगत नहीं हैं, लेकिन उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामंजस्यपूर्ण निर्माण के अधीन हैं जिसे अधिक प्राप्त करने की इच्छा है। 28 स्वयं यह प्रावधान करता है कि "इस अधिनियम के प्रावधान प्रतिभूतियों के धारण और हस्तांतरण से संबंधित समय बल के लिए किसी अन्य कानून के अतिरिक्त होंगे और उनका अपमान नहीं करेंगे"-इसके अलावा धारा 176 और 177 को समाप्त नहीं किया गया है, जहां तक वे समान रूप से गिरवी रखी गई विमुद्रीकृत प्रतिभूतियों पर लागू होंगे जैसे वे अन्य गिरवी रखी गई वस्तुओं पर लागू होते हैं।

इसके अलावा खुद को पंजीकृत करने के लिए प्यादी की आवश्यकता

' अधिनियम और विनियमन के संदर्भ में 'लाभकारी स्वामी' एक वास्तविक बिक्री नहीं है और इसके अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुबंध अधिनियम की धारा 177 के तहत मोचन अधिक इसलिए है क्योंकि गिरवी को देय ऋण के बदले कुछ भी भुगतान नहीं किया जा रहा है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. प्रतिज्ञा के दो आवश्यक तत्व हैं (i)

गिरवी रखी गई संपत्ति वास्तव में या पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड होनी चाहिए।

वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और

यदि इस बीच गिरवीदार ने गिरवी रखी संपत्ति को कानूनी रूप से बेच दिया है तो वह अधिकार खो जाएगा। यदि गिरवी बेचता है, तो उसे गिरवी के ऋण के लिए बिक्री की आय का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बिक्री की आय गिरवी के पैसे हैं जिन्हें इस तरह से लागू किया जाना है और गिरवी को ऋण चुकाने के बाद गिरवी को किसी भी अधिशेष का भुगतान करना होगा। [पैरा 5.1] [1085-ई-एफ] 2. प्रतिज्ञा वृद्धि और परिवर्धन तक फैली हुई है, और इसलिए, जब गिरवी गिरवी रखी गई वस्तुओं को वापस करता है, तो

परिवर्धन और परिवर्धन गिरवीदार को वापस किए जाने चाहिए। यह इस बात का भी अनुसरण करता है कि गिरवी रखे गए माल को रखने और बेचने का अधिकार किसी भी वृद्धि को बनाए रखने और बेचने के अधिकार तक फैला हुआ है और

गिरवी रखे गए माल में संचय। [पैरा 6.1] [1088-एफ-जी] 3. अनुबंध अधिनियम की धारा 176, अनुबंध अधिनियम की कुछ धाराओं के विपरीत, विशेष रूप से यह प्रदान नहीं करती है कि

संरक्षण जो कानून ने गिरवीदार को दिया है, और पक्ष इस बात पर सहमत नहीं हो सकते हैं कि गिरवीदार गिरवीदार को बिना किसी सूचना के गिरवी रखे गए सामान को बेच सकता है। धारा 177 के तहत गिरवीदार के मोचन के अधिकार के पहलू पर विचार करते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि अधिकार गिरवी रखे गए माल की वास्तविक बिक्री तक बना रहता है। धारा 177 में 'वास्तविक बिक्री' अभिव्यक्ति धारा 176 के प्रावधानों के अनुरूप एक बिक्री होनी चाहिए जो गिरवीदार को बेचने का अधिकार; और यदि बिक्री उन प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो गिरवीदार के साथ मोचन की इक्विटी समाप्त नहीं होती है। गिरवी द्वारा खुद को की गई बिक्री अमान्य होने से गिरवी का अंत नहीं होता है, लेकिन गिरवी पुनर्विक्रय (ओं) से बाध्य होता है।

खुद को इस तरह की असफल बिक्री के बाद तीसरे पक्ष को खरीददार द्वारा विधिवत प्रभाव डाला गया। [पैरा 7.6] [1092-एफ-एच; 1093-ए-बी]

4. जहां अनुबंध अधिनियम एक विशेष शब्द निर्धारित करता है जो बाध्यकारी है, पार्टियों द्वारा वैधानिक जनादेश का पालन किया जाना चाहिए। कोई भी पक्ष इससे समझौता नहीं कर सकता है। अन्यथा, कानून द्वारा अधिरोपित विधायी आदेश का केवल संविदात्मक अवधि के रूप में छूट को शामिल करके उन्मुक्ति के साथ उल्लंघन किया जाएगा, जिससे कमजोर पक्ष को कानूनी संरक्षण के लाभ से वंचित किया जाएगा। जनता की रक्षा और लाभ के लिए निर्धारित शर्त को तब समाप्त नहीं किया जा सकता जब वह सार्वजनिक नीति का नियम निर्धारित करती है। अनुबंध अधिनियम की धारा 63 छूट के क्षेत्र को नियंत्रित करती है। यह कानून का एक सामान्य सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजी क्षमता में केवल व्यक्ति के लाभ और सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून या नियम के लाभ को माफ करने का अधिकार है। लेकिन इस तरह की छूट किसी भी सार्वजनिक अधिकार या सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं कर सकती है। [पैरा 7.9,7.10] [1095-ए सी]

5. पक्ष धारा 176 से बाहर अनुबंध नहीं कर सकते हैं। प्यादी द्वारा इच्छित बिक्री के प्यादेदार को सूचना देने की आवश्यकता प्यादेदार को दी गई विशेष सुरक्षा है, और पक्ष समझौते द्वारा विशेष सुरक्षा को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, भुनाने के अधिकार का उपयोग गिरवी रखे गए माल की वास्तविक बिक्री, यानी धारा 176 के अनुरूप धारा 177 में निर्दिष्ट बिक्री तक किया जा सकता है। [पैरा 7.11] [1097-एफ-जी]

6. अनुबंध अधिनियम की धारा 176 के लिए आवश्यक है कि मोहरे

गिरवीदार को बिक्री की उचित सूचना देने पर गिरवी रखी गई चीज़ को बेच सकते हैं। यह नोटिस का कोई निश्चित रूप निर्धारित नहीं करता है या नोटिस की कोई निश्चित अवधि निर्दिष्ट नहीं करता है। नोटिस देने का उद्देश्य और उद्देश्य मोहरे को बेचने के मोहरे के इरादे के बारे में बताना और उसे छुटकारे के अपने वैधानिक अधिकार का प्रयोग करने का अवसर देना है, जिसका उपयोग धारा 177 के अनुसार तब तक किया जा सकता है जब तक कि

'वास्तविक बिक्री' की तिथि। नोटिस दिया गया था या नहीं और नोटिस की अवधि उचित थी, यह मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, गिरवी अपनी इच्छा और इच्छा को गिरवी रखने वाले को बता सकता है कि गिरवी रखी गई वस्तुओं को बेचा जा सकता है। यदि ऐसा कोई अनुरोध किया जाता है, तो एक मोहरेदार अनुबंध अधिनियम की धारा 176 का उल्लंघन किए बिना अनुरोध पर अच्छी तरह से कार्य कर सकता है। हालाँकि, एक प्यादी, जब तक कि वह भी सहमत न हो, पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड।

वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और

गिरवीदार द्वारा गिरवी रखे गए माल को बेचने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। [पैरा 7.13] [1100-बी-डी]

7. बहस को हल करने के लिए जब दो विचार स्पष्ट हों, तो प्रावधान की व्याख्या करना सबसे अच्छा है जब हम जानते हैं कि क़ानून क्यों है।

अधिनियमित किया। यदि किसी क़ानून को उसके अधिनियमन के संदर्भ में, ऐसे संदर्भ द्वारा प्रदान किए गए क़ानून निर्माता के चश्मे के साथ देखा जाता है, तो उसकी योजना, धाराएं, खंड, वाक्यांश और शब्द रंग ले सकते हैं और संदर्भ द्वारा प्रदान किए गए चश्मे के बिना क़ानून को देखने पर अलग दिखाई दे सकते हैं। यह सिद्धांत समान रूप से तब लागू हो सकता है जब हम दो कानूनों के बीच परस्पर क्रिया की जांच करते हैं। अनुबंध अधिनियम, जो अनुबंधों से संबंधित मूल और सामान्य कानून है, और जमा अधिनियम, जो मुख्य रूप से प्रतिभूतियों से संबंधित कानून है, के प्रावधानों की व्याख्या की जानी चाहिए।

सामंजस्यपूर्ण रूप से। इसका मतलब यह नहीं है कि एक अधिनियम का कोई भी प्रावधान दूसरे के प्रावधानों को रद्द कर सकता है। यह लक्ष्य डिपॉजिटरी अधिनियम और अनुबंध अधिनियम के उद्देश्यों और विषय वस्तु की जांच करके सबसे अच्छा प्राप्त किया जा सकता है, जो उनके बीच किसी भी संघर्ष या ओवरलैप से बचने के लिए उनके संचालन के अलग-अलग क्षेत्रों को स्पष्ट करेगा। इसका अर्थ यह है कि जहां तक उचित रूप से संभव हो दोनों कानूनों को एक-दूसरे के पूरक के रूप में लगातार और सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाएगा और जहां इस तरह का सुलह कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना संभव नहीं है

ऐसी स्थितियों में लागू व्याख्या के सिद्धांतों का अनुप्रयोग। [पैरा 9.1] [1102-सी-एफ]

8. जमा अधिनियम एक प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए अधिनियमित किया गया है

और 'डिपॉजिटरी' के कंप्यूटरों में संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक डेटा में उन्हें परिवर्तित करके प्रतिभूतियों के डिमटेरियलाइजेशन के लिए नियम। डिपॉजिटरीज एक्ट डिपॉजिटरी इको सिस्टम को स्थापित करता है और 'पंजीकृत मालिक' और 'लाभकारी मालिक' की अवधारणाओं का परिचय देता है। भौतिक शेयर के प्रत्येक मालिक को इसकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए 'डिपॉजिटरी' के साथ एक समझौता करना पड़ता है। सुरक्षा का भौतिक प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाता है। सभी प्रतिभूतियाँ

'डिपॉजिटरी' द्वारा रखे गए कवक के रूप में होते हैं। प्रतिभूति के संबंध में डिपॉजिटरी 'पंजीकृत मालिक' बन जाता है, जबकि भौतिक शेयरों को सौंपने वाले व्यक्ति को इस रूप में दर्ज किया जाता है

' लाभकारी मालिक '। भंडार ', पंजीकृत मालिक के रूप में,

[2022] 9 एस. सी. आर. के संबंध में कोई मतदान अधिकार या कोई अन्य अधिकार नहीं है।

उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियाँ। ' लाभप्रद स्वामी केवल प्रतिभूतियों से जुड़े सभी अधिकारों, लाभों और देनदारियों का हकदार होगा। 'डिपॉजिटरी' द्वारा आयोजित। धारा 11 के संदर्भ में, प्रत्येक डिपॉजिटरी को धारा 150,151 और 152 में दिए गए तरीके से 'लाभकारी मालिकों' का एक रजिस्टर और सूचकांक बनाए रखना अनिवार्य है।

कंपनी अधिनियम, 1956। डिपॉजिटरी अधिनियम की धारा 7 69 के अनुसार, प्रत्येक 'डिपॉजिटरी' को, एक प्रतिभागी से सूचना मिलने पर, हस्तांतरणकर्ता के नाम पर प्रतिभूति हस्तांतरित करने की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा, हस्तांतरणकर्ता के खाते में प्रतिभूति हस्तांतरण के पंजीकरण पर नाम, हस्तांतरणकर्ता 'लाभकारी मालिक' के रूप में पंजीकृत है। [पैरा

9.3] [1103 - सी-एफ]

9. भौतिक प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के मामले में 'लाभकारी मालिक' के पास एक अवास्तविक प्रतिभूति निहित के स्वामित्व को हस्तांतरित करने की शक्ति और अधिकार है। फर्क इस बात का है कि

बिक्री के मामले में वितरण प्रक्रिया, और खरीद के मामले में रसीद, जो डिपॉजिटरी के निर्देशों पर प्रभावित होती है

प्रतिभागी। प्रतिभूतियों में लेन-देन और सौदा करने के लिए 'लाभकारी मालिक' के रूप में दर्ज प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रतिभागी के माध्यम से कार्य करना चाहिए जो डिपॉजिटरी का एक एजेंट है। धारा 10 70 में कहा गया है कि

डिमटेरियलाइज्ड रूप में रखे गए प्यादे को बिना रखे स्थानांतरित करें 'लाभकारी स्वामी' के रूप में पंजीकृत। [पैरा 9.4] [1104-बी-डी]

10. धारा 12 की उप-धारा (1) के संदर्भ में, एक 'लाभकारी स्वामी' इस संबंध में एक प्रतिज्ञा या परिकल्पना बना सकता है -

'डिपॉजिटरी' के माध्यम से उसके स्वामित्व वाली प्रतिभूति, 'डिपॉजिटरी' के पूर्व अनुमोदन के अधीन। धारा 12 या उस मामले के लिए डिपॉजिटरी अधिनियम प्रतिज्ञा या परिकल्पना को परिभाषित नहीं करता है, और इस प्रकार उनके अर्थ को स्वीकार करता है और अनुकूलित करता है जैसा कि में जाना जाता है व्यापार में लोगों के लिए वाणिज्यिक भावना। इसका मतलब है कि डिपॉजिटरी अधिनियम अनुबंध अधिनियम और सामान्य कानून द्वारा निर्धारित प्रतिज्ञा से संबंधित सिद्धांतों को मान्यता देता है। डिपॉजिटरी अधिनियम में कहा गया है कि इस तरह की प्रतिज्ञा या परिकल्पना डिपॉजिटरी अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और उप-कानूनों के अनुसार की जानी चाहिए। गिरवीदार के रूप में एक 'लाभकारी मालिक' की आवश्यकता पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से होती है।

ऐसी प्रतिज्ञा या परिकल्पना को डिपॉजिटरी को सूचित करना, जो उसके बाद अपने अभिलेखों में प्रविष्टियाँ करता है। 'डिपॉजिटरी' द्वारा की गई यह प्रविष्टि प्रतिज्ञा या परिकल्पना का प्रमाण है। [पैरा 9.5] [1105-ए-सी] 11. निस्संदेह, डिपॉजिटरी अधिनियम 'पंजीकृत स्वामी' और लाभकारी स्वामी 'यानी वास्तविक स्वामी के बीच अंतर करता है, लेकिन यह किसी भी तरह से उस नियम का खंडन या निर्धारण नहीं करता है जो अनुबंध अधिनियम की धारा 176 और 177 के प्रावधानों के विपरीत है। इन अनुभागों को देखते हुए

एक 'लाभकारी मालिक' के रूप में धारक। यह गिरवी रखने वाले और गिरवी रखने वाले के गिरवी रखने के कानून और आपसी दायित्वों और अधिकारों के प्रावधानों को कमजोर या फिर से नहीं बनाता है। [पैरा 9.8] [1106-बी-सी] 12. विनियमन 58 के पढ़ने से पता चलता है कि एक 'लाभकारी मालिक' अपने स्वामित्व वाली प्रतिभूति पर गिरवी रखने का हकदार है।

ऐसा करने के लिए, उसे प्रतिभूतियों के संबंध में अपना खाता रखने वाले प्रतिभागी के माध्यम से 'डिपॉजिटरी' में आवेदन करना होगा। उप-विनियम (2) प्रतिभागी से यह संतोष व्यक्त करने की अपेक्षा करता है कि -

प्रतिभूतियाँ गिरवी रखने के लिए उपलब्ध हैं और अपने अभिलेखों में इस संबंध में एक नोट बनाते हैं। नोट को 'डिपॉजिटरी' को भेजा जाना है। उप-विनियम (3) के संदर्भ में, 'डिपॉजिटरी' से पंद्रह दिनों के भीतर एक प्रतिज्ञा बनाने और दर्ज करने और प्रतिज्ञाकर्ता/गिरवीदार और गिरवीदार/गिरवीदार के प्रतिभागियों को एक सूचना भेजने की आवश्यकता होती है। गिरवीदार और गिरवीदार के प्रतिभागियों को गिरवीदार और गिरवीदार को प्रतिज्ञा के निर्माण की प्रविष्टि के बारे में सूचित करना आवश्यक है। यदि 'डिपॉजिटरी' प्रतिज्ञा नहीं बनाती है, तो मोहरे और मोहरे के प्रतिभागियों को कारणों की सूचना दी जानी चाहिए। 'डिपॉजिटरी' प्रतिज्ञा को रद्द कर सकता है यदि प्यादी अपने प्रतिभागियों के माध्यम से डिपॉजिटरी पर लागू होता है। गिरवीदार अपने प्रतिभागी के माध्यम से प्रतिज्ञा को रद्द करने के लिए 'डिपॉजिटरी' में भी आवेदन कर सकता है। इस मामले में, प्रविष्टि को 'डिपॉजिटरी' द्वारा गिरवी की पूर्व सहमति से रद्द किया जा सकता है। प्रतिज्ञा प्रविष्टि के रद्द होने पर, 'डिपॉजिटरी' को प्रतिभागी को गिरवीदार के बारे में सूचित करना होता है। [पैरा 9.10] [1107-ई-एच; 1108-ए] [2022] 9 एस. सी. आर.

13. विनियम 58 के उप-विनियम (8) में "प्रतिज्ञा दस्तावेज के प्रावधानों के अधीन" अभिव्यक्ति का उपयोग एक विशिष्ट शब्द के साथ किया गया है। उद्देश्य और उद्देश्य। दूसरे शब्दों में, विनियम 58 का उप-विनियम (8) कटौती या प्रतिबंध करने का प्रयास नहीं करता है, लेकिन दूसरी ओर पार्टी की स्वायत्तता और प्रतिज्ञा की शर्तों को तय करने की स्वतंत्रता का सम्मान करता है, जिसमें चूक की घटना भी शामिल है जो गिरवी को गिरवी रखने और मोहरे को बेचने का अधिकार देती है। उप-विनियम स्पष्ट रूप से किसी भी प्रावधान को रद्द नहीं करता है

अनुबंध अधिनियम। हालांकि, शर्त है कि प्यादी आह्वान कर सकता है

गिरवी, और इस तरह के आह्वान पर, गिरवी को गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों के 'लाभकारी मालिक' के रूप में दर्ज किया जाना अनिवार्य है। एक प्रतिज्ञा दस्तावेज इसके विपरीत निर्धारित नहीं कर सकता है, और कोई भी उल्लंघनकारी संविदात्मक शर्त बाध्यकारी नहीं होगी। द.

'डिपॉजिटरी' द्वारा रखे गए अभिलेखों को गिरवी रखने वाले पर गिरवी रखने का आह्वान करते हुए संशोधित किया जाना है और उसके बाद 'डिपॉजिटरी' गिरवी रखने वाले को प्रतिभूतियों के 'लाभकारी मालिक' के रूप में पंजीकृत करेगा। परिवर्तन के परिणामस्वरूप और विनियम 58 के उप-विनियम (9) के संदर्भ में, 'डिपॉजिटरी' को खरीददार और खरीददार के प्रतिभागियों को इस निर्देश के साथ सूचित करना है कि वे अपने अभिलेखों में आवश्यक परिवर्तन करेंगे और प्रतिभागी

क्रमशः गिरामी और गिरामी को सूचित करें। इस प्रकार, विनियमन 58 के उप-विनियमन (8) का अबाधित भाग एक सीमित उद्देश्य और उद्देश्य को पूरा करता हैः गिरवी रखने वाले को गिरवी रखे गए माल को बेचने से पहले खुद को 'लाभकारी मालिक' के रूप में दर्ज करना चाहिए।

प्रतिभूतियाँ। प्यादी को 'लाभकारी मालिक' का दर्जा दिए बिना, एक प्यादी गिरवी रखी गई विमुद्रीकृत प्रतिभूतियों को बेचने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है। एक संविदात्मक अवधि डिपॉजिटरी अधिनियम की धारा 7 और 10 की आवश्यकता को अधिलेखित नहीं कर सकती है, जो विनियमन 58 के उप-विनियमन (8) में परिलक्षित होती है।

जिसे गिरवी रखी गई विमुद्रीकृत प्रतिभूतियों को बेचने से पहले 'लाभकारी मालिक' के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। अनुभाग

38 (1) ((ङ) डिपॉजिटरी अधिनियम के अनुसार, 'डिपॉजिटरी' को अन्य बातों के साथ-साथ, सभी अनुमोदनों, नोटिसों, प्रविष्टियों और प्रतिज्ञा और परिकल्पना के रद्द होने के रिकॉर्ड को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। विनियमन 58 के उप-विनियम (8) का यह अधिदेश तब लागू होगा जब गिरवी रखे गए/गिरवी रखे गए माल का विमुद्रीकरण किया जाएगा।

प्रतिभूतियाँ। [पैरा 9.11,9.12] [1108-बी-एच]

14. धारा 177 में प्रयुक्त 'वास्तविक बिक्री' अभिव्यक्ति को 'पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में किसी तीसरे व्यक्ति को गिरवी द्वारा की गई बिक्री' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और

डिपॉजिटरी अधिनियम के अनुसार और कानूनों और नियमों द्वारा लागू। इसका अर्थ अनुबंध अधिनियम की धारा 176 का अनुपालन भी है और इसकी आवश्यकता है। केवल खुद को 'लाभकारी मालिक' के रूप में दर्ज करने के अधिकार का प्रयोग, जो एक आवश्यक अधिकार है। गिरवी के बेचने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से पहले पूर्व शर्त 'वास्तविक बिक्री' नहीं है और अनुबंध अधिनियम की धारा 177 के तहत मोचन के गिरवीदार के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी। प्रत्येक हस्तांतरण या बिक्री अनुबंध अधिनियम की धारा 177 के उद्देश्य के लिए 'वास्तविक बिक्री' नहीं है। 'बिक्री' को 'वास्तविक बिक्री' के साथ तुलना करना विधायी इरादे को नकार देगा। [पैरा 10.3] [1111-बी-डी]

धन कर आयुक्त बनाम। महादेव जालान और महाबीर प्रसाद जालान और अन्य (1973) 3 एस. सी. सी. 157: [1973] 2 एस. सी. आर. 215; भारत हरि सिंघानिया और अन्य बनाम। धन कर आयुक्त (केंद्रीय) और

अन्य 1994 सप. (3) एससीसी 46: [1994] 1 एससीआर 1033; मो. सुल्तान और अन्य बनाम। रामप्रताप की फर्म

कन्नयालाल, हैदराबाद, अपने भागीदारों द्वारा ए. आई. आर. 1964 ए. पी.

201 ; श्री राजा काकरकलपुडी वेंकट सुदर्शन

सुंदरा नरसयम्मा गारू (मृत्यु हो गई) और अन्य बनाम। आंध्र बैंक लिमिटेड विजयवाड़ा और अन्य ए. आई. आर. 1960

एपी 273; शिमला बैंकिंग एंड इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, शिमला (परिसमापन में) v. प्रीतम एआईआर 1960 पुंज 42; अर्जुन प्रसाद और अन्य बनाम। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1954 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 138; लल्लन प्रसाद बनाम। रहमत अली और एक अन्य आकाशवाणी 1967 एससी 1322: [1967] 2 एस. सी. आर. 233; मोरवी मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड बनाम भारत संघ, ए. आई. आर 1965 एस. सी. 1954: [1965] 3 एस. सी. आर. 254; बैंक ऑफ बिहार बनाम. बिहार राज्य और अन्य (1972) 3 एस. सी. सी. 196 [1971 पूरक। एससीआर 299; महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम। सहायक भविष्य निधि आयुक्त और अन्य (2009) 10 एस. सी. सी. 123 [2009] 15 एस. सी. आर. 1; कर्नाटक गिरवी दलाल संघ और अन्य बनाम। की स्थिति

कर्नाटक और अन्य (1998) 7 एस. सी. सी. 707 [1998] 2 पूरक। एस. सी. आर. 461; स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और एक अन्य v. अभिरक्षक और एक अन्य (2000) 6 एस. सी. सी. 427: [2000] 3 एससीआर 81; सेठ मोतीलाल हीराभाई और अन्य। वी. बाई मणि

1924 एससीसी ऑनलाइन पीसी 81; एम. आर. धवन बनाम मदन

मोहन और अन्य ए. आई. आर. 1969 डेल 313; बालकृष्ण [2022] 9 एस.

गुप्ता और अन्य बनाम। स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड और एक अन्य (1985) 2 एस. सी. सी. 167: [1985] 2 एस. सी. आर. 854; होडेल के एफ. नानक चंद रामकिशन दास और अन्य बनाम। लाल चंद और

अन्य 1958 एस. सी. सी. ऑनलाइन पुंज 6; बैंक ऑफ महाराष्ट्र

वी. एम/एस। रैकमैन ऑटो (पी) लिमिटेड. ए. आई. आर. 1991 डेल 278; रानी लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड बनाम। संजय खेमानी 2015 एससीसी

ऑनलाइन कैल 450; हुलास कुंवर बनाम। इलाहाबाद बैंक लिमिटेड ए. आई. आर. 1958 कैल 644; हरिदास मुंद्रा बनाम। नेशनल एंड ग्राइंड-लेज़ बैंक लिमिटेड. ए. आई. आर. 1963 कैल 132; कुंज बिहारी लाल बनाम। भार्गव वाणिज्यिक बैंक, जबलपुर ए. आई. आर. 1918 सभी 363; विमल चंद्र ग्रोवर बनाम बैंक ऑफ इंडिया (2000) 5 एस. सी. सी. 122: [2000] 3 एस. सी. आर. 587; द ऑफ़िशियल असाइनी ऑफ़ बॉम्बे v. मधोलाल सिंधु और अन्य

एयर 1947 बम 217; विल्सन बनाम। मैकिन्टोश, 1894 ए. सी. पी. 129; कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ टॉर्नोटो बनाम। जॉन रसेल, डी. जोन्स एंड स्मिथ्स रिपोर्ट्स 1908 ए. सी. 493 ; सेल्विन वी। ग्राफ़िट 38 च। डी. पी. 273; ग्रिफिथ्स बनाम। द अर्ल ऑफ डडली 9, क्यू. बी. डी. पी. 357; वेल्लायन चेट्टियार बनाम। मद्रास प्रांत की सरकार आई. एल. आर. 1948 मैड। पी। 214 ; राजा चेट्टी बनाम। जगन्नाथदास गोविंदस 1949 द्वितीय एम. एल. जे. पी.

694 ; सोहो स्क्वायर सिंडिकेट लिमिटेड बनाम पोलैंड एंड कंपनी 1940 1 सीएच 638 पी। सी43; कृष्ण बहादुर बनाम। पूर्ण रंगमंच और अन्य (2004) 8 एस. सी. सी. 229: [2004] 3 पूरक। एस. सी. आर. 833; द को-ऑपरेटिव हिंदुस्तान बैंक, लिमिटेड v.

ऑनलाइन डेल 239; नीकराम डोबे बनाम। बैंक ऑफ बंगाल आई. एल. आर. (1892) 19 कैल 322; रामदयाळ प्रसाद बनाम। सैयद हसन एयर 1944 पैट 135; एस. एल. रामास्वामी चेट्टी और एक अन्य वी। M.S.A.P.L. पलनियप्पा चेट्टियार 1929 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 62; धनी राम एंड संस बनाम। फ्रंटियर बैंक लिमिटेड और एक अन्य ए. आई. आर. 1962 पी. एंड एच. 321; भारतीय रिजर्व बैंक बनाम। पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड

निवेश कंपनी लिमिटेड और अन्य (1987) 1 एस. सी. सी. 424: [1987] 2 एस. सी. आर. 1; वासुदेव रामचंद्र शेलट बनाम। प्राणलाल जयानंद ठक्कर और अन्य (1974) 2 एस. सी. सी. 323: [1975] 1 एस. सी. आर. 534; कन्नम्ब्रा नायर वीटिल वालिया पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड।

वी. वेंकटेश्वरलु करिया एक और

अम्मुकुट्टी नीथियार का पुत्र कुन्हुन्नी इलाया नायर

अवरगल (मृत) और एक अन्य वी। पी. एन. कृष्णा पट्टर

और दो अन्य ए. आई. आर 1943 ए. आई. आर. 74; पुष्पांजली टाई

ऊपर प्रा. लिमिटेड वी. रेनुदेवी चौधरी और अन्य 2014

एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 3661; फर्म ठाकुर दास मरखान

लाल वी. मथुरा प्रसाद और अन्य आकाशवाणी 1958 सभी। 66 ;

डोनाल्ड वी. चूसना (1866) एल. आर. 1 क्यू. बी. 585; जी. टी. एल. लिमिटेड

वी. आई. एफ. सी. आई. लिमिटेड और अन्य। 2011 एससीसी ऑनलाइन डेल 3628; तरल

होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रतिभूति विनिमय भारतीय बोर्ड (2011) एससीसी ऑनलाइन एसएटी 40-संदर्भित

को।

जे. आर. वाई. इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम डेक्कन लीफाइन

सर्विसेज लिमिटेड और अन्य (2004) 121 कंपनी मामले 12 - आंशिक रूप से अस्वीकृत।

टेंड्रिल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड और ओआरएस। वी. नामीदी

लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड और अन्य। 2018 एससीसी ऑनलाइन

डेल 8142-अस्वीकृत।

हेलशम एडन। , (2), पैरा 330, पृष्ठ 226 का

खण्ड XXIII

पी3 (1953), 10 वां संस्करण, स्वीट एंड मैक्सवेल, पृष्ठ 368

मामला कानून संदर्भ

[1973] 2 एससीआर 215

संदर्भित किया गया है

पै

रा 2.15

[1994] 1 एससीआर 1033

संदर्भित किया गया है

पै

रा 2.15

[1967] 2 एससीआर 233

पै

रा 5.1

संदर्भित किया गया है

[1965] 3 एससीआर 254

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5.1

[1971] पूरक। एससीआर 299

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5.3

[2009] 15 एससीआर 1

पै

रा 5.4

संदर्भित किया गया है

[1998] 2 पूरक। एससीआर 461

पै

रा 5.4

संदर्भित किया गया है

[2000] 3 एससीआर 81

पै

रा 6.1

संदर्भित किया गया है

[1985] 2 एससीआर 854

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7.1

[2000] 3 एससीआर 587

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7.5

[2004] 3 पूरक। एससीआर 833

संदर्भित किया गया है

पैरा

7.10 [2022] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2016) 9 एससीसी 268

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.10

[1987] 2 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 9.1

[1975] 1 एससीआर 534

पै

रा 9.1

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.5443

2019 से।

राष्ट्रीय संविधान के 20.06.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) No.450 में कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सिद्धार्थ सेठी, सुश्री पल्लवी कुमार, अधिवक्ता।

अपीलार्थी के लिए।

साजन पूवय्या, वरिष्ठ अधिवक्ता। , जी. रामकृष्ण प्रसाद, बैरपानेनी,

सुयोधन, सुश्री फिल्जा मूनिस, के. त्रिनाथ, प्रतिभा एस. के., जॉन मैथ्यू, कार्तिक एस. डी., अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजीव खन्ना, जे।

इस अपील में विचार के लिए उत्पन्न होने वाला प्राथमिक कानूनी मुद्दा

यह है कि क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेप और प्रतिभागी) के विनियमन 58 के साथ पठित निक्षेप अधिनियम, 1996

विनियम, 1996 1 का भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 2 और भारत में लागू सामान्य कानून के तहत गिरवी के अनुबंधों से संबंधित प्रावधानों को अधिलेखित करने का कानूनी प्रभाव है। विश्लेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए, इस निर्णय को निम्नलिखित धाराओं में विभाजित किया गया हैः

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

ए.

अनुबंध अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान

बी.

अनुबंध अधिनियम के तहत मामलों के कानूनों का विश्लेषणः

सी.

((i)

प्रतिज्ञा क्या है और इनके बीच कानूनी अंतर क्या है? स्वामित्व, गिरवी और बंधक

पावनी का एक विशेष अधिकार है और सामान्य अधिकार नहीं है।

((ख)

गिरवी रखी संपत्ति

((iii) गिरवी रखे माल पर वृद्धि

1 संक्षेप में, '1996 विनियम'। 2 संक्षेप में, 'अनुबंध अधिनियम'।

पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और [संजीव खन्ना, जे।]

((iv)

गिरवीदार द्वारा बिक्री की सूचना और बिक्री का उसका अधिकार

गिरवीदार द्वारा गिरवी रखे गए माल की स्वयं को बिक्री

(v)

जमा अधिनियम, 1996 का प्रभाव और उद्देश्य और

डी.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी और एक्सचेंज)

प्रतिभागी) विनियम 1996

ई.

भारतीय विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत प्रतिज्ञा पर विनियमन, 1996

चार फैसले

एफ.

जी.

इस मामले के तथ्य

निष्कर्ष

एच.

A. मामले की वास्तविक पृष्ठभूमि

2.1 अपीलार्थी-पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, 3 कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक मौजूदा कंपनी है। यह पूर्ण स्वामित्व वाला है।

पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी, जिसे 1999 में चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एन. एच. पी. सी. लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बढ़ावा दिया गया था। पी. आई. एफ. एस. एल. भारतीय रिजर्व बैंक में एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है और एक अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत है। पी. आई. एफ. एस. एल. का प्रमुख व्यवसाय भारत में बिजली और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना है।

समझौता, ऋण को सुरक्षित करना आवश्यक है। उप के अनुसार खंड 3.1 का खंड (6)। 1 , 10 मार्च 2014 को दूसरे प्रतिवादी, मंडावा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, 8 ने पी. आई. एफ. एस. एल. के पक्ष

में एक शपथ पत्र निष्पादित किया, जिससे एन. एस. एल. एनर्जी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के 26 प्रतिशत शेयरों के बराबर 31,80,678 शेयर गिरवी रखे गए। एन. एन. पी. आई. एल. और एन. ई. वी. पी. एल. एम. एच. पी. एल. की सहायक कंपनियां हैं।

3 इसके बाद "पी. आई. एफ. एस. एल". के रूप में संदर्भित किया जाता है।

इसके बाद इसे "आर. बी. आई". कहा जाता है।

5 इसके बाद इसे "एन. बी. एफ. सी". कहा जाता है। 6 इसके बाद इसे "आईएफसी" के रूप में संदर्भित किया जाता है। 7 इसके बाद "एनएनपीआईएल" या "कॉर्पोरेट देनदार" के रूप में संदर्भित किया जाता है। 8 इसके बाद "एम. एच. पी. एल". के रूप में संदर्भित किया जाता है। 9 9 इसके बाद "एन. ई. वी. पी. एल". के रूप में संदर्भित किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.3 17 नवंबर 2017 को कॉर्पोरेट देनदार ने एक याचिका दायर की।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, हैदराबाद के समक्ष दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 10 का आह्वान करते हुए, 1 निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करना। याचिका के तहत स्वीकार किया गया था 18 जनवरी 2018 को आई. बी. सी. की धारा 10 (4)। श्री वेंकटेश्वरलू कारी, प्रतिवादी संख्या 1, को अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया था।

12

2.4 28 दिसंबर 2017 को, पी. आई. एफ. एस. एल. ने इसके तहत एक नोटिस जारी किया

एम. एच. पी. एल. को कॉर्पोरेट ऋणदाता की ओर से चूक करने वाले बेटे से अवगत कराते हुए प्रतिज्ञा विलेख और यह कि यदि बकाया ऋण सात दिनों के भीतर नहीं चुकाया गया, तो पी. आई. एफ. एस. एल. प्रतिज्ञा विलेख के संदर्भ में अधिकारों का प्रयोग करेगा।

2.5 16 जनवरी 2018 को, क्योंकि ऋण का भुगतान नहीं किया गया था, पी. आई. एफ. एस. एल

प्रतिज्ञा विलेख के खंड 6.1 के संदर्भ में अपने अधिकारों का आह्वान करते हुए डिपॉजिटरी प्रतिभागी को लिखा। अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए, डिपॉजिटरी प्रतिभागी ने पी. आई. एफ. एस. एल. को गिरवी रखे गए 31,80,678 के 'लाभकारी मालिक' का दर्जा दिया है।

एन. ई. वी. पी. एल. के शेयर

2.6 23 जनवरी 2018 को पी. आई. एफ. एस. एल. ने एम. एच. पी. एल. को लिखा कि

निगमित देनदार की ओर से भुगतान में निरंतर चूक के कारण, उसने खंड 6.1 के तहत अधिकार का प्रयोग किया था, जबकि अपने अधिकार को सुरक्षित रखा था अनुबंध अधिनियम की धारा 176 के साथ पठित प्रतिज्ञा विलेख के खंड 6.2 के तहत शेयरों को बेचना।

2.7 17 जनवरी 2018 को पी. आई. एफ. एस. एल. ने इसके समक्ष एक आवेदन दायर किया।

आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक वित्तीय लेनदार के रूप में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण जिसे Rs.167,29,23,507/- कंपनी द्वारा देय और देय था।

देनदार।

2.8 30 जनवरी 2018 को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने पी. आई. एफ. एस. एल. को अनुमति दी।

फॉर्म सी में आई. आर. पी. के समक्ष वित्तीय दावे का प्रमाण दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ आवेदन वापस लेना।

2.9 6 फरवरी 2018 को, एम. एच. पी. एल. ने आई. आर. पी. के समक्ष दावा किया,

अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहते हुए कि पी. आई. एफ. एस. एल. को 'लाभकारी मालिक' का दर्जा दिया गया है, एम. एच. पी. एल. का अब 31,80,678 शेयरों पर कोई अधिकार या अधिकार नहीं है। तदनुसार, एम. एच. पी. एल. ने एक लेनदार के रूप में पी. आई. एफ. एस. एल. में कदम रखा था। पी. आई. एफ. एस. एल. के स्वामित्व वाले एन. ई. वी. पी. एल. के 31,80,678 शेयरों के मूल्य की सीमा तक निगमित देनदार का।

10 संक्षेप में, 'आईबीसी'। 11 इसके बाद "न्यायनिर्णायक प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित किया जाता है। 12 इसके बाद इसे "आई. आर. पी". कहा जाता है।

पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और [संजीव खन्ना, जे।]

2.10 इसके विपरीत, 10 फरवरी 2018 को, पी. आई. एफ. एस. एल. ने Rs.169,19,17,637/- के वित्तीय दावे के साथ फॉर्म सी जमा किया, जो देय राशि थी और

18 जनवरी 2018 तक निगमित ऋणदाता द्वारा पी. आई. एफ. एस. एल. को देय, जिस तारीख को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने निगमित ऋणदाता के धारा 10 के आवेदन को स्वीकार किया था। 31,80,678 गिरवी रखे गए शेयरों का मूल्य न तो गिना गया था और न ही घटाया गया था।

2.11 19 फरवरी 2018 को आई. आर. पी. ने दो अलग-अलग ईमेल के माध्यम से सूचित किया कि एम. एच. पी. एल. के दावे को स्पष्ट नहीं किया जा सका क्योंकि यह संभव नहीं था।

पी. आई. एफ. एस. एल. को हस्तांतरित 31,80,678 शेयरों के मूल्य का पता लगाने के लिए। इसी तरह, पी. आई. एफ. एस. एल. के दावे को उसके दावे के पूरे/हिस्से में निपटान और पी. आई. एफ. एस. एल. को शेयरों के 'हस्तांतरण' के समय मूल्यांकन पर पहुंचने की आवश्यकता के कारण स्पष्ट नहीं किया जा सकता है।

2.12 पी. आई. एफ. एस. एल. और एम. एच. पी. एल. ने अपने दावों की अस्वीकृति के खिलाफ न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष अलग-अलग आवेदनों को प्राथमिकता दी।

2.13 6 जुलाई 2018 के एक सामान्य आदेश द्वारा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने पी. आई. एफ. एस. एल. और एम. एच. पी. एल. द्वारा दायर आवेदनों का निपटारा किया।

मुख्य रूप से जमा अधिनियम और 1996 विनियमों के विनियम 58 पर भरोसा करके एम. एच. पी. एल. के दावे को स्वीकार करना। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने एम. एच. पी. एल. के साथ सहमति व्यक्त की कि पी. आई. एफ. एस. एल. ने प्रतिज्ञा विलेख के तहत '31,80,678 गिरवी रखे गए शेयरों को हस्तांतरित करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है, जिसमें एम. एच. पी. एल. की हिस्सेदारी है। एन. ई. वी. पी. एल. में 31,80,678 शेयरों की कमी आई। इसलिए, एम. एच. पी. एल. 31,80,678 शेयरों के मूल्य की सीमा तक निगमित देनदार का वित्तीय लेनदार है। इसके अलावा, 16 जनवरी 2018, जिस तारीख को पी. आई. एफ. एस. एल. द्वारा गिरवी रखी गई थी, यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख है कि पी. आई. एफ. एस. एल. और एम. एच. पी. एल. किस हद तक निगमित देनदार के वित्तीय लेनदार हैं। आई. आर. पी. को 16 जनवरी 2018 तक एन. ई. वी. पी. एल. के 31,80,678 शेयरों के उचित बाजार मूल्य का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था।

2.14 पी. आई. एफ. एस. एल. ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष आदेशों को चुनौती दी, लेकिन 20 जून 2019 के विवादित फैसले के माध्यम से अपीलों को खारिज कर दिया गया। अपीलीय प्राधिकरण ने अभिनिर्धारित किया है कि पी. आई. एफ. एस. एल. ने अधिनियम के खंड 6.1 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग किया था।

16 जनवरी 2018 को प्रतिज्ञा विलेख और इसके परिणामस्वरूप गिरवी रखे गए शेयरों को पी. आई. एफ. एस. एल. के नाम से हस्तांतरित कर दिया गया। यह तथ्य कि इसके बाद पी. आई. एफ. एस. एल. ने गिरवी

विलेख के खंड 6.2 के तहत शेयरों को नहीं बेचा था, कोई मायने नहीं रखता। चूंकि पी. आई. एफ. एस. एल. गिरवी रखे गए शेयरों का 100% मालिक बन गया था,

13 इसके बाद 'अपीलीय प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

यह कानून के अनुसार शेयरों की बिक्री और हस्तांतरण द्वारा पूरे या आंशिक रूप से अपने बकाया का भुगतान कर सकता है। एक बार जब पी. आई. एफ. एस. एल. शेयरों का मालिक बनने के अधिकार का प्रयोग कर लेता है, तो पी. आई. एफ. एस. एल. ऋण को 'पुनः प्राप्त' करने के लिए अनुबंध अधिनियम की धारा 176 का लाभ नहीं उठा सकता है। आई. बी. सी. की धारा 18 के तहत पी. आई. एफ. एस. एल. के वित्तीय दावे का मिलान करने के लिए आई. आर. पी. द्वारा अनुबंध अधिनियम की धारा 176 पर विचार नहीं किया जा सकता है।

2.15 अन्य पहलू जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है वे हैंः (क) पी. आई. एफ. एस. एल. के अनुसार, निगमित देनदार द्वारा मूलधन और ब्याज राशि देय है।

23 दिसंबर 2021 तक रु. 3,76,13,03,389/- हैं; (बी) एन. ई. वी. पी. एल. के शेयर गैर-सूचीबद्ध हैं, और कोई खुला बाजार लेनदेन नहीं है, और (सी) गिरवी रखे गए शेयरों का मूल्य विवादित है। 13 अगस्त 2018 को, आई. आर. पी. ने एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसने 16 जनवरी 2018 तक गिरवी रखे गए शेयरों का मूल्य Rs.179 करोड़ रखा है। एम. एच. पी. एल. एक्सिस कैपिटल की 2013 की मूल्यांकन रिपोर्ट और वित्तीय वर्ष के लिए एम. एच. पी. एल. की वार्षिक रिपोर्ट पर निर्भर करता है। एम. एच. पी. एल. द्वारा दी गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2013 तक एन. ई. वी. पी. एल. के शेयरों का मूल्य 1,50,000 करोड़ रुपये था। 1229.66 करोड़। तदनुसार, एम. एच. पी. एल. का दावा है कि एन. ई. वी. पी. एल. के 378 शेयरों में से प्रत्येक का उचित मूल्य (एम. एच. पी. एल. द्वारा रखे गए कुल इक्विटी शेयरों में से प्रत्येक का उचित मूल्य 1, आई. डी. 1 प्रति शेयर था। इसलिए, 31,80,678 गिरवी रखे गए शेयरों का कुल मूल्य रु। 319 प्रतिज्ञा के निर्माण के समय करोड़। दूसरी ओर, पी. आई. एफ. एस. एल. का दावा है कि एन. ई. वी. पी. एल. के प्रति शेयर वास्तविक मूल्य, 31 मार्च 2016 को गणना की गई, केवल रु। 58.97। इस प्रकार, गिरवी रखे गए शेयरों का कुल मूल्य केवल रु। 18,75,64,582 / - . 14

B. अनुबंध अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान

3.1 अनुबंध अधिनियम का अध्याय IX 'अनुबंधों' से संबंधित है

जमानत '। धारा 148 से 171 से संबंधित सामान्य कानून निर्धारित करता है -

जमानत, जबकि धारा 172 से 17 9 तक प्रतिज्ञाओं से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों को चित्रित करते हैं, जो जमानत का एक उपसमुच्चय हैं।

3.2 धारा 151 के अनुसार, एक बेली उसे जमानत पर दिए गए सामान की उतनी ही देखभाल करने के लिए बाध्य है जितनी सामान्य विवेक वाला व्यक्ति करेगा।

समान परिस्थितियों में, उसके सामान को उसी थोक, गुणवत्ता और मूल्य का लें जैसा कि माल को जमानत दी गई थी। धारा 152 में कहा गया है कि एक बेली, एक विशेष अनुबंध के अभाव में, किसी भी नुकसान, विनाश या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

14 गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए विभिन्न मान्यता प्राप्त और स्थापित तरीके हैं-देखें, (i) धन कर आयुक्त बनाम। महादेव जालान और महाबीर प्रसाद जालान और अन्य आदि, (1973) 3 एस. सी. सी. 157; और (ii) भारत हरि सिंघानिया और अन्य बनाम। धन कर आयुक्त (केंद्रीय) और अन्य, 1994 सप. (3) एससीसी 46.

पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और [संजीव खन्ना, जे।]

यदि वह धारा 151 के अनुरूप कार्य करता है तो जमानती माल का बिगड़ना। धारा 153 के अनुसार, जमानत के लिए अनुबंध बेलर के विकल्प पर अमान्य है यदि बेली जमानत के सामान के संबंध में कोई कार्य करता है, जो जमानत की शर्तों के साथ असंगत है। धारा 154 में कहा गया है कि जमानत पर लिए गए माल के अनधिकृत उपयोग से होने वाले नुकसान के लिए बेली उत्तरदायी होगा। बेली, बेलर की सहमति से, जमानत पर दिए गए सामान को अपने सामान के साथ मिला सकता है, जिस स्थिति में, बेलर और बेली का मिश्रण में उनके संबंधित शेयरों के अनुपात में ब्याज होगा। 1 5 तथापि, यदि बेली, बेलर की सहमति के बिना, जमानत पर दिए गए माल को अपने माल के साथ मिलाता है, और माल को अलग या विभाजित किया जा सकता है, तो माल में संपत्ति क्रमशः पक्षों के पास रहती है। 1 6 इसके अलावा, बेली माल के पृथक्करण या विभाजन के खर्च के साथ-साथ मिश्रण से होने वाले किसी भी नुकसान को वहन करने के लिए बाध्य है। धारा 157 यह प्रावधान है कि जब माल को बेलर की सहमति के बिना मिलाया जाता है और अलग नहीं किया जा सकता है, तो बेलर को मुआवजा दिया जा सकता है, और बेली नुकसान के लिए उत्तरदायी है। धारा 160 के तहत, बेली को बेलर के निर्देशों के अनुसार, माल को बिना किसी मांग के वापस करना या वितरित करना होता है, जैसे ही उन्हें जमानत दी गई थी या जिस उद्देश्य के लिए उन्हें जमानत दी गई थी, वह पूरा हो गया है। धारा 161 में कहा गया है कि यदि बेली द्वारा कोई चूक होती है और सामान को उचित समय पर वापस नहीं किया जाता है, वितरित नहीं किया जाता है या निविदा नहीं दी जाती है, तो बेली उस समय से माल के किसी भी नुकसान, विनाश या गिरावट के लिए बेलर के प्रति उत्तरदायी है। धारा 163 के अनुसार, इसके विपरीत किसी भी अनुबंध के अभाव में, बेली बेलर को देने के लिए बाध्य है, या उसके निर्देशों के अनुसार, कोई भी वृद्धि या लाभ जो जमानत पर माल से प्राप्त हो सकता है।

3.3 अनुबंध अधिनियम की धारा 172 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 172. ' प्रतिज्ञा ',' गिरवी 'और' गिरवी 'को परिभाषित किया गया है-ऋण के भुगतान या वादे के निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में माल की जमानत को' गिरवी 'कहा जाता है। इस मामले में जमानतदार को बुलाया जाता है।

'पनोर'। बेली को 'पावनी' कहा जाता है।

धारा 172 के अनुसार, एक वैध गिरवी बनाने के लिए गिरवी द्वारा माल के कब्जे को गिरवी को ऋण के पुनर्भुगतान या वादे के निष्पादन के वादे पर प्रतिभूति के माध्यम से वितरित करने की आवश्यकता होती है, जिससे एक संपत्ति का निर्माण होता है जो गिरवी के साथ निहित होती है।

3.4 अनुबंध अधिनियम की धारा 176,177 और 179 इस प्रकार हैः

15 धारा 155, अनुबंध अधिनियम। 16 धारा 156, अनुबंध अधिनियम।

" 176. पावनी का सही जहाँ पनोर डिफ़ॉल्ट बनाता है। अगर
गिरवीदार ऋण, या निष्पादन के भुगतान में चूक करता है; निर्धारित समय या वादा, जिसके संबंध में माल
गिरवी रखा गया था, गिरवी गिरवीदार के खिलाफ मुकदमा ला सकता है
ऋण या वादे पर, और एक के रूप में गिरवी रखे गए माल को बनाए रखें
संपार्श्विक प्रतिभूति; या वह देने पर गिरवी रखी चीज़ को बेच सकता है
गिरवीदार को बिक्री की उचित सूचना दें।
यदि बिक्री की आय देय राशि से अधिक है,
प्यादा अतिरिक्त राशि का भुगतान प्यादा को करेगा।

XX

XX

XX

177. गिरवीदार के भुनाने के अधिकार को चूकना। - अगर एक समय है
ऋण के भुगतान या निष्पादन के लिए निर्धारित
प्रतिज्ञा, जिसके लिए प्रतिज्ञा की जाती है, और गिरवीदार करता है
ऋण के भुगतान या वादे के निष्पादन में चूक
निर्धारित समय पर, वह किसी भी समय गिरवी रखे गए माल को छुड़ा सकता है।
बाद में उनकी वास्तविक बिक्री से पहले, लेकिन उसे
उस मामले में, इसके अलावा, किसी भी खर्च का भुगतान करें जो उत्पन्न हुआ है
उसका डिफ़ॉल्ट "।

XX

XX

XX

179. प्रतिज्ञा करें जहाँ गिरवीदार का केवल सीमित ब्याज हो। - कहाँ? एक व्यक्ति उन वस्तुओं को गिरवी रखता है जिनमें उसका केवल सीमित ब्याज होता है,

प्रतिज्ञा उस ब्याज की सीमा तक वैध है। धारा 176 के अनुसार, जब कोई गिरवीदार भुगतान में चूक करता है

ऋण या किसी वादे के निष्पादन के मामले में, गिरवी ऐसे ऋण या वादे पर गिरवीदार के खिलाफ मुकदमा कर सकता है और गिरवी रखे गए माल को अपने पास रख सकता है -

संपार्श्विक प्रतिभूति, या वह गिरवीदार को बिक्री की उचित सूचना देने पर गिरवी रखे गए माल को बेच सकता है। यदि गिरवी रखा माल बेचा जाता है, और ऐसी बिक्री की आय ऋण या वादे के संबंध में देय राशि से कम है, तो गिरवी अभी भी गिरवी को शेष राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यदि ऐसी बिक्री की आय देय राशि से अधिक है, तो

गिरामी, गिरामी को अधिशेष का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

धारा 177 गिरवीदार को वैधानिक अधिकार देती है, जो चूक करता है।

ऋण के भुगतान या वादे के निष्पादन में, चुकाने के लिए गिरवीदार द्वारा 'वास्तविक बिक्री' से पहले किसी भी समय गिरवी रखा गया माल। हालाँकि, ऐसे मामलों में, गिरवीदार को अपने चूक से उत्पन्न होने वाले खर्चों के अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और [संजीव खन्ना, जे।]

धारा 17 में कहा गया है कि एक गिरवीदार का सीमित ब्याज

माल को वैध रूप से गिरवी रखा जा सकता है।

प्रतिज्ञा की व्यापक वैधानिक रूपरेखाओं को समझने के बाद, हम अब प्रतिज्ञा के कानून पर प्रासंगिक राय न्यायशास्त्र की जांच करेंगे।

हमारे सामने इस मुद्दे को निर्धारित करने के लिए प्रतिज्ञा के कानून से संबंधित कानूनी न्यायशास्त्र की कुछ विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है।

ग. प्रतिज्ञा के कानून और प्रतिज्ञा से संबंधित मामले के कानूनों का विश्लेषण

((i) प्रतिज्ञा क्या है और इनके बीच कानूनी अंतर क्या है?

स्वामित्व, गिरवी और बंधक।

4.1 मो. सुल्तान और अन्य बनाम। रामप्रताप कन्नयालाल की फर्म,

हैदराबाद, अपने भागीदारों द्वारा 1 7 का मानना है कि प्रतिज्ञा के अनुबंध को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिएः

धारा में परिभाषित माल की जमानत होनी चाहिए।

((i)

148 अनुबंध अधिनियम, अर्थात माल की डिलीवरी;

जमानत प्रतिभूति के माध्यम से होनी चाहिए; और

((ख)

(iii)

प्रतिभूति ऋण के भुगतान या निष्पादन के लिए होनी चाहिए

एक वादा।

एम. डी. में निर्णय सुल्तान (सुप्रा) और श्री राजा काकरकलपुडी

वेंकट सुदर्शन सुंदर नरसयम्मा गारू (मृत्यु हो गई) और अन्य बनाम। आंध्र बैंक लिमिटेड विजयवाड़ा और अन्य का मानना है कि चल वस्तुओं का अनुमान और बंधक, हालांकि अनुबंध अधिनियम में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है, भारत में वैध और लागू करने योग्य है क्योंकि अनुबंध अधिनियम इस विषय पर एक विस्तृत कानून नहीं है। वैधानिक ढांचे से परे ऐसे लेन-देनों को अदालतों द्वारा न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों के अनुसार प्रभाव दिया जाता है और उनकी व्याख्या की जाती है। कोई मानक प्रारूप नहीं है और प्रतिज्ञा के अनुबंध में घटनाएँ अलग-अलग हो सकती हैं। पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत एक शब्द तब तक मान्य है जब तक कि यह अनुबंध अधिनियम के किसी भी प्रावधान के विपरीत या असंगत नहीं है।

वर्तमान मामले के संदर्भ में, लचीलेपन को प्रतिबिंबित करने वाले प्रतिज्ञा के कानून से संबंधित उपरोक्त सिद्धांत एक संक्रमणकालीन और वाणिज्यिक वातावरण के परिवेश में महत्वपूर्ण हैं, जिसमें संस्थागत निवेशकों, नियामक तंत्र और नई दिवालिया व्यवस्था के आगमन के साथ-साथ पूंजी बाजार में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, भले ही प्रतिज्ञा के कानून के मूल तत्व हों, सिवाय इसके कि कब

17 ए. आई. आर 1964 ए. पी. 201।

18 ए. आई. आर. 1960 ए. पी. 273

अनुमति दी जानी चाहिए या इसे छोड़ने की आवश्यकता है, इसे लागू किया जाना चाहिए। यह व्याख्या का सिद्धांत है जिसे हमने जवाब देने के लिए लागू किया है उलझन।

4.2 ये दो निर्णय एक प्रतिज्ञा के बीच के अंतर को उजागर करते हैं,

जो एक संपत्ति या अधिकार पैदा करता है जो गिरवी के साथ निहित होता है, और एक मालिक का व्यापक और सामान्य अधिकार; साथ ही बंधक या

केवल प्रतिज्ञा अधिकारों के निपटान के लिए, और उचित सूचना के बाद बेचने का अधिकार। यहां तक कि जब गिरवीदार ऋण के भुगतान में चूक करता है या वादों को पूरा करने के लिए, प्यादेदार को प्यादे की 'वास्तविक बिक्री' तक प्यादे को भुनाने का अधिकार है। हालांकि, गिरवीदार को ऋण के अलावा, गिरवी खर्चों का भुगतान करना होगा जो चूक के कारण उत्पन्न हुए हैं।

4.3 जहाँ प्रतिभूति पर ऋण के माध्यम से धन आगे बढ़ाया जाता है।

माल का लेन-देन बंधक या गिरवी के रूप में हो सकता है। गिरवी और चल संपत्ति के बंधक के बीच का अंतर यह है कि जबकि एक प्रतिज्ञा के तहत केवल एक जमानत होती है, जबकि एक बंधक के तहत प्रतिभूति के माध्यम से संपत्ति के अधिकार का हस्तांतरण होता है। हेल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में निम्नलिखित अंश में इस अंतर को उपयुक्त रूप से सामने लाया गया हैः 20

" व्यक्तिगत संपत्तियों का एक बंधक अनिवार्य रूप से एक से अलग है गिरवी या प्यादा जिसके तहत प्रतिभूति पर धन आगे बढ़ाया जाता है

19 वर्तमान मामले के संदर्भ में, हमें प्रतिज्ञा और परिकल्पना के बीच के अंतर की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि परिकल्पना में अधिकार हस्तांतरण नहीं होता है और देनदार के पास रहता है। परिकल्पना को एक ऐसे अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक लेनदार का दूसरे से संबंधित चीज़ पर होता है, और जिसमें आय में से अपने दावों का भुगतान करने के लिए इसे बेचने की शक्ति होती है। यह किसी वस्तु को कब्जे से अलग किए बिना ऋण या मांग के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखने का कार्य है। इसके परिणामस्वरूप यह होता है कि यद्यपि संपत्ति देनदार के कब्जे में रहती है, लेकिन इसे लेनदार की स्पष्ट सहमति या अनुमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है (देखें, शिमला बैंकिंग एंड इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, शिमला)। परिसमापन) v.Pritams, AIR 1960 पुंज 42)। भारत में, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 धारा 2 (1) (एन) के तहत इसे किसी भी चल संपत्ति, मौजूदा या भविष्य, में या उस पर शुल्क के रूप में परिभाषित करता है, जिसे उधारकर्ता द्वारा किसी सुरक्षित लेनदार के पक्ष में बनाया गया है।

ऐसे लेनदार को चल संपत्ति, वित्तीय सहायता के लिए एक प्रतिभूति के रूप में और इसमें अस्थायी शुल्क और चल संपत्ति पर निश्चित शुल्क में इस तरह के शुल्क का क्रिस्टलीकरण शामिल है। 20 हेलशम एडन। , (2), खंड XXIII का पैरा 330, पृष्ठ 226।

ऋणदाता के कब्जे में वितरित संपत्तियों की, कब्जे की ऐसी डिलीवरी लेन-देन का एक आवश्यक तत्व है। ए. बंधक संपत्ति में पूरे कानूनी हित को व्यक्त करता है; एक गिरवी या प्यादा केवल एक विशेष संपत्ति को व्यक्त करता है, जिससे सामान्य को छोड़ दिया जाता है।

इनमें निर्धारित समय पर, यदि कोई हो, या मांग के बाद उचित समय पर भुगतान न करने पर उन्हें बेचने और खरीदार को हस्तांतरित करने की शक्ति और यदि कोई समय नहीं है तो भुगतान न करने की शक्ति शामिल है। भुगतान पर सहमति हो गई है।

इसलिए, एक गिरवीदार के विपरीत, एक बंधक सामान्य अधिकार प्राप्त करता है।

गिरवी रखने वाले के मोचन के अधिकार के अधीन, गिरवी रखी गई वस्तुओं में। दूसरे शब्दों में, गिरवी रखे गए माल में कानूनी संपत्ति को बंधक। इसकी तुलना में, एक गिरवी को गिरवी रखे गए माल में केवल विशेष अधिकार है, अर्थात्, प्रतिभूति के रूप में कब्जे का अधिकार और चूक के मामले में, वह गिरवीदार के खिलाफ मुकदमा कर सकता है और साथ ही उचित सूचना देने के बाद माल बेच सकता है। 21 क्या कोई विशेष लेन-देन चल संपत्ति का गिरवी है या गिरवी है, यह केवल पक्षों और आसपास के अन्य पक्षों के इरादे के संदर्भ से निर्धारित किया जा सकता है।

परिस्थितियाँ। 22

((ख)

पावनी का एक विशेष अधिकार है और इसमें सामान्य अधिकार नहीं है

गिरवी रखी हुई संपत्ति।

5.1 यह न्यायालय, लल्लन प्रसाद बनाम। रहमत अली और एक अन्य, 23 का मानना है कि सामान्य कानून के तहत, एक गिरवी ऋण या सगाई के भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में व्यक्तिगत संपत्ति की जमानत है। गिरवी रखने के दो आवश्यक तत्व हैं (i) प्यादा यानी गिरवी रखी गई संपत्ति वास्तव में या रचनात्मक रूप से गिरवी रखने वाले को दी जानी चाहिए।

22 अर्जुन प्रसाद और अन्य बनाम। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1954 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 138. 23 ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1322 24 मोरवी मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड बनाम भी देखें। भारत संघ, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1954: 20. अंग्रेजी कानून में एक गिरवी तब उत्पन्न होती है जब एक व्यक्ति द्वारा 'गिरवीदार' नामक माल को दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है जिसे 'गिरवीदार' कहा जाता है जिसे ऋण के भुगतान के लिए या किसी अन्य दायित्व के निर्वहन के लिए प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है, इस स्पष्ट या निहित समझ पर कि गिरवीदार का विषय-वस्तु ऋण या अन्य दायित्व का निर्वहन होते ही गिरवीदार को बहाल किया जाना है। प्रतिज्ञा के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि

उसमें शामिल माल की डिलीवरी होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रतिज्ञा की गई चीज़ के कब्जे के वितरण के अलावा एक प्रतिज्ञा नहीं बनाई जा सकती है, या तो वास्तविक या [2022] 9 एस. सी. आर.

गिरवी में केवल विशेष संपत्ति होती है लेकिन उसमें सामान्य संपत्ति गिरवी में रहती है और उसके निर्वहन पर पूरी तरह से उसे वापस कर दी जाती है।

ऋण। संपत्ति का अधिकार केवल मोहरे में निहित होता है जहां तक ऋण को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। एक प्यादा या गिरवी एक साधारण ग्रहणाधिकार और एक बंधक के बीच एक मध्यवर्ती है, जो पूरी तरह से संपत्ति को पारित करता है। गिरवीदार को राशि देने पर गिरवी रखी गई संपत्ति को भुनाने का पूर्ण अधिकार होता है।

अग्रिम लेकिन वह अधिकार खो जाएगा यदि इस बीच में गिरवी ने गिरवी रखी गई संपत्ति को कानूनी रूप से बेच दिया है। यदि गिरवी बेचता है, तो उसे गिरवी के ऋण के लिए बिक्री की आय का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बिक्री की आय गिरवी के पैसे हैं जिन्हें इस तरह से लागू किया जाना है और गिरवी को ऋण चुकाने के बाद गिरवी को किसी भी अधिशेष का भुगतान करना होगा।

5.2 तदनुसार, निर्णय धारा 172 को संदर्भित करता है, जिसमें कहा गया है कि गिरवी भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में माल की जमानत के लिए एक अनुबंध है। ऋण या वादे का निष्पादन। धारा 17325 गिरवी को ऋण के भुगतान के लिए गिरवी रखे गए माल को बनाए रखने का अधिकार देती है। धारा 176,

पन्नी के अधिकारों के बारे में स्पष्ट करते हुए, कहा गया है कि पन्नी द्वारा डिफ़ॉल्ट के मामले में, पन्नी के पास हैः (क) ऋण पर मुकदमा करने और माल को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखने का अधिकार, और (ख) बाद में माल बेचने का अधिकार।

रचनात्मक। इसमें जमानत शामिल थी। यदि गिरवीदार के पास अपने भौतिक कब्जे में वास्तविक सामान था, तो वह वास्तविक वितरण द्वारा गिरवी रख सकता था; लेकिन अन्य मामलों में वह किसी प्रतीकात्मक कार्य द्वारा कब्जा दे सकता था, जैसे कि उस दुकान की चाबी को सौंपना जिसमें वे थे। हालाँकि, यदि माल किसी तीसरे व्यक्ति के वास्तविक भौतिक कब्जे में था, जो जमानतदार के लिए धारण करता था, ताकि कानूनी रूप से उसका कब्जा जमानतदार का हो, तो यह प्रतिज्ञा तीसरे पक्ष के कब्जे के चरित्र में परिवर्तन से प्रभावित हो सकती है, जो कि गिरवीदार से उसे गिरवीदार के लिए रखने के आदेश से है, परिवर्तन को प्रतिज्ञा लेने वाले तीसरे पक्ष द्वारा पूर्ण किया जा रहा है, इस प्रकार यह स्वीकार करते हुए कि वह बाद वाले के लिए धारण करता है। इस प्रकार अधिकार में परिवर्तन और एक रचनात्मक वितरण हुआः तीसरे पक्ष के हाथों में माल इस प्रक्रिया के माध्यम से रचनात्मक रूप से गिरवीदार के कब्जे में आया। लेकिन जहां दस्तावेजों द्वारा माल का प्रतिनिधित्व किया गया था, दस्तावेजों के हस्तांतरण ने माल के कब्जे को नहीं बदला, एक अपवाद के अलावा, जब तक कि संरक्षक (वाहक, गोदाम मालिक या ऐसा) को हस्तांतरण के बारे में सूचित नहीं किया गया था और भविष्य में गिरवी के लिए बेली के रूप में रखने के लिए सहमत नहीं हुआ था। एक अपवाद माल के बिलों का मामला था, जिसका हस्तांतरण कानून व्यापारी द्वारा माल के कब्जे के साथ-साथ संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में किया जाता था। इस अपवाद को इस आधार पर समझाया गया है कि माल समुद्र में होने के कारण स्वामी को अधिसूचित नहीं किया जा सकता था; सही स्पष्टीकरण शायद यह था कि यह कानूनी व्यापारी का एक नियम था, जिसे व्यापारिक लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए विकसित किया गया था, जबकि भूमि पर माल गिरवी रखने की प्रक्रिया को सामान्य कानून के संकीर्ण नियम द्वारा विनियमित किया गया था। उद्धरण लचीलेपन को दर्शाता है। 25 173. पावनी का अनुचर का अधिकार। - गिरवीदार गिरवी

रखे गए माल को न केवल ऋण के भुगतान या वादे के निष्पादन के लिए, बल्कि ऋण के ब्याज और कब्जे के संबंध में या गिरवी रखे गए माल के संरक्षण के लिए उसके द्वारा किए गए सभी आवश्यक खर्चों के लिए भी रख सकता है।

पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और [संजीव खन्ना, जे।]

गिरवीदार को इच्छित बिक्री की उचित सूचना। एक बार पन्नी,

धारा 176 के तहत अपने अधिकार के आधार पर, माल बेचता है, उन्हें भुनाने का गिरवीदार का अधिकार समाप्त हो जाता है। लेकिन, इसके बाद, गिरवी बिक्री की आय को ऋण की संतुष्टि के लिए लागू करने और अधिशेष, यदि कोई हो, तो गिरवीदार को भुगतान करने के लिए बाध्य है। जब तक बिक्री नहीं होती है, तब तक गिरवीदार ऋण के भुगतान पर माल को भुनाने का हकदार है। यहां तक कि जब गिरामी ऋण की वसूली के लिए मुकदमा दायर करता है, हालांकि वह माल को बनाए रखने का हकदार है, तो गिरामी को भुगतान पर माल वापस करना होगा। इस निर्णय में एक और महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि यदि सैनिक

गिरवी रखने से इनकार करने वाले ऋण पर मुकदमा करता है, और यह पाया जाता है कि उसे गिरवी रखे गए माल का कब्जा दिया गया था और उसे बरकरार रखा गया था, गिरवीदार को ऋण के भुगतान पर गिरवी रखे गए माल को भुनाने का अधिकार है। यदि गिरवी माल को फिर से वितरित करने की स्थिति में नहीं है, तो गिरवी ऋण और गिरवी रखे गए माल के पुनर्भुगतान से लाभान्वित नहीं हो सकता है। जहां गिरवी रखे गए माल का मूल्य ऋण से कम है और गिरवी गिरवी रखने से इनकार करता है या अन्यथा गिरवी रखे गए माल को वापस करने की स्थिति में नहीं है, तो गिरवी को माल के मूल्य के लिए क्रेडिट देना होगा और

केवल शेष राशि की वसूली करने का हकदार होगा।

5.3 बैंक ऑफ बिहारव में। बिहार राज्य और अन्य, 26 स्वामित्व के अधिकार और राज्य के अधिकार के बीच के अंतर पर निर्भर

ऋण आदि पर। गिरवी रखने वाले की गिरवी रखी गई चीज़ में एक विशेष संपत्ति या ब्याज होता है जबकि वहां की सामान्य संपत्ति मालिक के पास बनी रहती है। गिरवी में विशेष ब्याज मौजूद होता है ताकि गिरवी ऋण का भुगतान करने के लिए मजबूर कर सके या ऐसा करने का अधिकार उत्पन्न होने पर माल बेच सके। यह विशेष हित केवल नजरबंदी के अधिकार से अलग है कि ग्रहणाधिकार धारक के पास है, क्योंकि गिरवी अपनी विशेष संपत्ति या माल में ब्याज सौंप सकता है या गिरवी रख सकता है। हैल्सबरीज लॉ ऑफ इंग्लैंड पर भरोसा करते हुए, तीसरा संस्करण, खंड। 29 , पृष्ठ 222, यह देखा गया है कि गिरवी के दिवालिया होने पर, गिरवी के संबंध में एक सुरक्षित लेनदार है

आदेश प्राप्त करने की तारीख से पहले और दिवालियापन के पूर्व उपलब्ध कार्य की सूचना के बिना गिरवी रखी गई चीजें।

5.4 महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम।

सहायक भविष्य निधि आयुक्त और अन्य, 27 तीन न्यायाधीश '

26 (1972) 3 एससीसी 196। 27 (2009) 10 एससीसी 123।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय की पीठ ने बैंक ऑफ बिहार (ऊपर) और लल्लन प्रसाद (ऊपर) के अनुपात पर सहमति व्यक्त की और यह अभिनिर्धारित किया कि गिरवी के अनुबंध में गिरवी रखी गई संपत्ति को वास्तव में या रचनात्मक रूप से उन्हें दिया जाना चाहिए।

पन्नी। गिरवीदार के पास गिरवी में केवल एक 'विशेष संपत्ति' होती है, लेकिन सामान्य संपत्ति गिरवीदार के पास रहती है। गिरवी रखे गए माल में विशेष संपत्ति का अधिकार केवल माल को रखने के अधिकार से अधिक है, लेकिन सामान्य संपत्ति के अधिकार से कम है। इसका मतलब है कि गिरवी को गिरवी रखे गए सामान में सामान्य संपत्ति के अधिकारों को हस्तांतरित करने का अधिकार है यदि गिरवी रखी गई है। इस संबंध में कर्नाटक पॉनब्रोकर्स एसोसिएशन और अदरस्व में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया था। कर्नाटक राज्य और अन्य, 28 जिसमें यह देखा गया है कि गिरवी का गिरवी में एक सशर्त सामान्य संपत्ति हित है, इस शर्त के अधीन कि वह उस सामान्य संपत्ति पर पारित कर सकता है यदि गिरवी को कानून के अनुसार बिक्री के लिए लाया जाता है।

((iii) गिरवी रखे माल पर वृद्धि

6.1 मानक चार्टर्ड बैंक और अन्य में। अभिरक्षक और 29 इस न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ ने अनुबंध अधिनियम की धारा 148,160 और 172 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि जब माल को ऋण का भुगतान करने या किसी वादे के पालन के लिए जमानत दी जाती है, तो बेलर को उक्त माल की वापसी का अधिकार तब मिलेगा जब उद्देश्य पूरा हो जाएगा, अर्थात्, ऋण वापस कर दिया जाता है, या वादा पूरा किया जाता है। अनुबंध अधिनियम की धारा 163 का उल्लेख करते हुए, यह देखा गया है कि इसके विपरीत अनुबंध के अभाव में, बेली बेलर को देने के लिए बाध्य है, या उसके निर्देशों के अनुसार, लाभ की कोई भी वृद्धि जो जमानत माल से उपार्जित हो सकती है। इस खंड में एक उदाहरण में कहा गया है कि यदि गाय से एक बछड़ा पैदा होता है, तो बेली बछड़े के साथ-साथ गाय को भी बेलर को देने के लिए बाध्य है। दूसरे शब्दों में, प्रतिज्ञा वृद्धि और परिवर्धन तक फैली हुई है, और इसलिए, जब प्यादी

देय वार्षिक लाभांश से कॉल मनी लेते हुए जारी किए गए थे 28 (1998) 7 एससीसी 707।

29 (2000) 6 एससीसी 427। 30 1924 एससीसी ऑनलाइन पीसी 81।

पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और [संजीव खन्ना, जे।]

पुराने शेयरों, नए शेयरों को साथ में गिरवीदार को वापस किया जाना चाहिए

पुराने शेयर। इसी प्रकार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एम. आर. धवन बनाम. मदन मोहन और अन्य, 3 1 ने माना है कि के आकार में कोई वृद्धि

गिरवी रखे गए शेयरों के संबंध में जारी लाभांश, बोनस या सही शेयर, इसके विपरीत किसी भी अनुबंध के अभाव में, ऋण की प्रतिभूति के रूप में गिरवी की विशेष संपत्ति है।

(iv) गिरवीदार द्वारा बिक्री की सूचना और गिरवीदार का वसूली के लिए मुकदमा करने और गिरवी माल को बेचने का अधिकार।

7.1 लल्लन प्रसाद (ऊपर) और बैंक ऑफ बिहार (ऊपर) पर भरोसा करते हुए, यह न्यायालय बालकृष्ण गुप्ता और अन्य बनाम. स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड और अन्य 3 2 ने अभिनिर्धारित किया है कि धारा 176 के तहत, यदि गिरवी वादे के अनुसार ऋण या निष्पादन के भुगतान में चूक करता है, और जिसके संबंध में माल गिरवी रखा गया था, तो गिरवी गिरवी पर ऋण या वादे पर मुकदमा कर सकता है और गिरवी रखे गए सामान को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रख सकता है, या गिरवी गिरवी रखने वाले को बिक्री की उचित सूचना देने पर गिरवी रखी गई चीजों को बेच सकता है।

7.2 होडेल के एफ. नानक चंद रामकिशन दास और अन्य बनाम में कई उच्च न्यायालय। लाल चंद और अन्य, 33 बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाम। एम/एस। रैकमैन ऑटो (पी) लिमिटेड 34 और रानी लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड v. संजय खेमानी 3 ने माना है कि जबकि मोहरे को मोहरे को नोटिस देने के बाद माल बेचने का अधिकार है, वह किसी विशेष समय पर बेचने के लिए बाध्य नहीं है। खरीददार को प्रदान की गई बिक्री की शक्ति स्पष्ट रूप से उसके लाभ के लिए है, और बिक्री की शक्ति का प्रयोग करना या अन्यथा करना उसका एकमात्र विवेक है। यदि प्यादी उस विवेक का प्रयोग नहीं करता है, तो उस पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता है। यहां तक कि जहां समय के कारण माल का मूल्य बिगड़ता है, वहां भी गिरामी को गिरामी के खिलाफ कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

गिरवीदार कानूनी रूप से ऋण चुकाने और गिरवी रखे गए माल का कब्जा प्राप्त करने के लिए बाध्य है।

गिरामी पहले से ही बिक्री की व्यवस्था करता है और फिर गिरामी को बिक्री की तारीख, समय और स्थान के बारे में सूचित करता है। धारा 176 के तहत नोटिस होना चाहिए 31 ए. आई. आर. 1969 डेल 313।

32 (1985) 2 एससीसी 167।

352015 एससीसी ऑनलाइन कैल 450। 36 ए. आई. आर. 1958 कैल 644।

7.4 कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हरिदास मुंद्रा बनाम. नेशनल एंड ग्राइंड-लेज़ बैंक लिमिटेड 3 7 हुलास कुंवर (उपरोक्त) और कुंज बिहारी लाल बनाम के मामलों में पहले के दो निर्णयों को संदर्भित करता है। भार्गव वाणिज्यिक बैंक, जबलपुर 3 8 जहां अदालतों ने माना है कि खरीद से पहले धारा 176 के तहत नोटिस की आवश्यकता होती है ताकि खरीददार को उचित देने के लिए खरीददार का माल बेचने का इरादा दिखाया जा सके

गिरवी रखे गए माल को भुनाने के लिए जानकारी। इसके अलावा, सूचना की तर्कसंगतता मामले-दर-मामले भिन्न हो सकती है। मोहरे को बनाए रखने का अधिकार और बेचने का अधिकार वैकल्पिक है और समवर्ती नहीं है। जब गिरवीदार अपने पास रखता है, तो वह नहीं बेचता है, लेकिन जब वह बेचता है, तो वह गिरवी रखे गए सामान को अपने पास नहीं रखता है। हालांकि, गिरवीदार ऋण या वादे पर मुकदमा कर सकता है। साथ ही मोहरे को बनाए रखने या बेचने के उसके अधिकार के साथ। यहां तक कि मोहरे की बिक्री भी मोहरे के अधिकार को नष्ट नहीं करती है क्योंकि मोहरे एक संपार्श्विक प्रतिभूति है, और मोहरे बकाया राशि का भुगतान करने के मूल वादे पर उत्तरदायी रहता है। गिरवी रखे गए माल को बेचने का अधिकार आवश्यक है -

गिरवीदार के दायित्व के निर्वहन के लिए सुरक्षा को प्रभावी बनाएं। यह बकाया की वसूली के लिए एक मुकदमे की स्थापना के बावजूद जारी है।

7.5 विमल चंद्र ग्रोवर बनाम बैंक ऑफ इंडिया, 39 विशिष्ट

प्रतिज्ञा के कानून पर निर्णयों का संदर्भ दिया गया था कि प्यादी

ऋण चुकाने के साधन के रूप में गिरवीदार के अनुरोध पर गिरवी रखे गए माल को बेचने की कोई बाध्यता नहीं है। इसका कारण यह है कि धारा 176 मोहरे को अपने पास रखने या बेचने का विकल्प देती है।

ऋणकर्ता के अनुरोध पर बैंक के रूप में, एक गिरवी के रूप में मामला-गिरवीदार 37 ए. आई. आर. 1963 कैल 132।

38 एसएआईआर 1918 सभी 363 (2)। 39 (2000) 5 एससीसी 122।

पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और [संजीव खन्ना, जे।]

ऋण चुकाने के लिए शेयरों का एक हिस्सा बेचने पर सहमत हो गए थे। विमल चंद्र (ऊपर) में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गिरवी के रूप में बैंक लापरवाही के लिए उत्तरदायी था क्योंकि उसने ऐसा करने के लिए सहमत होने के बाद गिरवी रखे गए सामान को नहीं बेचा था। यह विफलता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत सेवा में लापरवाही के बराबर है।

7.6 इस स्तर पर हमें बंबई उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के दो विस्तृत निर्णयों और उनकी टिप्पणियों का उल्लेख करना चाहिए।

श्री राजा काकरकलपुडी वेंकट सुदर्शन सुंदरा नरसयम्मा गारू (ऊपर) में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। द ऑफ़िशियल असाइग्नी ऑफ़ बॉम्बे v. मधोलाल सिंधु और अन्य, मुख्य न्यायाधीश लियोनार्ड स्टोन द्वारा लिखित बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय

श्री जस्टिस स्टोरी द्वारा जमानत के कानून पर टिप्पणियों, आठवें संस्करण का उल्लेख किया गया है, जिसमें इसे पृष्ठ 262 पर देखा गया हैः

" एक अन्य अधिकार जिसके परिणामस्वरूप, सामान्य कानून द्वारा, गिरवी के अनुबंध से, गिरवी को बेचने का अधिकार है, जहां एक चूक हुई है।

उसकी सगाई का पालन करने की प्रतिज्ञा में, लेकिन डिफ़ॉल्ट से पहले एक बिक्री एक रूपांतरण होगा। इस तरह का अधिकार मोहरे की सामान्य संपत्ति को विभाजित नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसमें छोड़ देता है (जैसा कि हम करेंगे)।

वर्तमान में देखें) छुटकारे का अधिकार।

पृष्ठ 263 पर निम्नलिखित अंश उद्धृत किया गया थाः

" ऐसा लगता है कि ग्लैनविल के समय में मौजूद इंग्लैंड के सामान्य कानून में बिक्री को सही ठहराने के लिए या कम से कम छुटकारे के अधिकार को नष्ट करने के लिए एक न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता थी। लेकिन वर्तमान में स्थापित कानून ने चुनाव को मोहरे पर छोड़ दिया है। वह बिक्री और बिक्री के फोरक्लोजर के लिए प्यादेदार के खिलाफ इक्विटी में बिल दायर कर सकता है; या, वह अपनी सूचना देने पर एक्स मेरो मोटो बेचने के लिए आगे बढ़ सकता है।

प्रतिज्ञा करने वाले का इरादा "।

इस मामले में, मुख्य न्यायाधीश लियोनार्ड स्टोन के फैसले में अनुबंध अधिनियम की धारा 1 का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है,

" 1. संक्षिप्त शीर्षक। इस अधिनियम को भारतीय अनुबंध अधिनियम कहा जा सकता है।

1872 .

इसमें निहित कुछ भी नहीं सहेजना के प्रावधानों को प्रभावित करेगा कोई कानून, अधिनियम या विनियमन जो इसके द्वारा स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं किया गया है, और न ही

40 एयर 1947 बम 217।

व्यापार का कोई उपयोग या प्रथा, और न ही किसी अनुबंध की कोई घटना,

इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है। यह मानने के लिए कि उसमें प्रतिज्ञा का साधन, अयोग्य देना

बिक्री की शक्ति, धारा 176 के साथ असंगत होने के कारण, वैध नहीं थी, और धारा 176 का स्पष्ट प्रावधान प्रबल होगा। नोटिस होना चाहिए

सभी गिरवी मामलों में दिया जाता है, भले ही गिरवी के साधन में बिक्री की बिना शर्त शक्ति हो। में किया गया एक और महत्वपूर्ण अवलोकन यह निर्णय यह है कि गिरवीदार का भुनाने का अधिकार 'वैध बिक्री' तक बना रहता है।

मुख्य न्यायाधीश स्टोन का फैसला एक अन्य कारण से भी प्रासंगिक है। उन्होंने अनुमोदन के साथ श्री जस्टिस स्टोरी की टिप्पणियों का उल्लेख किया है।

जमानत का कानून, आठवां संस्करण, जो पृष्ठ 262 पर (वास्तविक) बिक्री और गिरवी द्वारा रूपांतरण के बीच निम्नलिखित अंतर दिखाता है। परिच्छेदः

" सामान्य कानून के अनुसार, गिरवी के अनुबंध से प्राप्त होने वाला एक अन्य अधिकार गिरवी को बेचने का अधिकार है, जहां गिरवी के अनुपालन में चूक हुई है, वह सगाई है, लेकिन एक बिक्री है।

पूर्वनिर्धारित एक रूपांतरण होगा। इस तरह का अधिकार मोहरे की सामान्य संपत्ति को विभाजित नहीं करता है, लेकिन फिर भी उस पर छोड़ देता है (जैसा कि हम करते हैं)।

वर्तमान में देखेगा) छुटकारे का अधिकार।

जे. चागला ने धारा 176 का उल्लेख करते हुए अपनी सहमति में कहा कि जब गिरवीदार ऋण के भुगतान में चूक करता है, तो गिरामी गिरामी को बिक्री की उचित सूचना देने पर गिरामी माल बेच सकता है। उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि गिरवीदार को बिक्री की उचित सूचना देने की आवश्यकता अनिवार्य है और इस धारा से खुद को बाहर करने के लिए पक्षकारों के लिए यह खुला नहीं है। अनुबंध अधिनियम की धारा 176, अनुबंध अधिनियम की कुछ धाराओं के विपरीत, विशेष रूप से यह प्रदान नहीं करती है कि अनुबंध की शर्तें उपयोग करके प्रावधान को ओवरराइड कर सकती हैं।

"इसके विपरीत अनुबंध की अनुपस्थिति में" या "इसके विपरीत विशेष अनुबंध के अधीन" अभिव्यक्ति। नोटिस, जो मोहरेदार द्वारा इच्छित बिक्री के लिए दिया जाना है, एक विशेष सुरक्षा है जो क़ानून ने मोहरेदार को दी है, और पक्षकार इस बात पर सहमत नहीं हो सकते हैं कि मोहरेदार गिरवीदार को सूचना दिए बिना गिरवी रखे गए सामान को बेच सकता है। धारा 177 के तहत गिरवीदार के मोचन के अधिकार के पहलू पर विचार करते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि अधिकार गिरवी रखे गए माल की वास्तविक बिक्री तक बना रहता है। धारा 177 में 'वास्तविक बिक्री' अभिव्यक्ति धारा 176 के प्रावधानों के अनुरूप एक बिक्री होनी चाहिए जो गिरवीदार को पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का अधिकार देती है।

वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और [संजीव खन्ना, जे।]

और यदि बिक्री उन प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो गिरवीदार के साथ मोचन की इक्विटी समाप्त नहीं होती है। गिरवी द्वारा खुद को की गई बिक्री अमान्य होने से गिरवी का अंत नहीं होता है, लेकिन गिरवी अपने लिए इस तरह की असफल बिक्री के बाद तीसरे पक्ष को विधिवत रूप से पुनर्विक्रय करने के लिए बाध्य होता है।

घोड़सवार के अधिकारों पर जे. चागला ने अभिनिर्धारित किया कि अनुबंध अधिनियम

जब गिरवी ऋण के भुगतान में चूक करता है तो गिरवी को दो अधिकार प्रदान करता हैः (क) ऋण के लिए गिरवीदार के खिलाफ मुकदमा दायर करें और संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखे गए माल को अपने पास रखें; और (ख) गिरवी रखे गए माल को बेचें, जो शक्ति, तथापि, गिरवीदार को बिक्री के लिए उचित सूचना देने पर धारा 176 के संदर्भ में प्रयोग की जा सकती है।

यह मानते हुए कि मोहरे को दिए गए छुटकारे का अधिकार

अनुबंध अधिनियम की धारा 177 के अनुसार, अनुबंध अधिनियम की धारा 176 की आवश्यकताओं के अनुरूप और गैरकानूनी या अनधिकृत बिक्री पर नहीं, बल्कि खरीददार द्वारा माल की बिक्री पर समाप्त होता है, इस विषय पर मामले के कानून का व्यापक रूप से उल्लेख करने के बाद न्यायमूर्ति चगला ने कहा किः (1) गिरवीदार गिरवी पर देय राशि का भुगतान किए बिना गिरवी रखे गए माल के कब्जे का हकदार नहीं हो जाता है; या दूसरे शब्दों में, गिरवी को भुनाने की कोशिश किए बिना; और (2) गिरवी पर देय राशि के उचित निविदा के बिना, गिरवीदार का एकमात्र अधिकार

गैरकानूनी या अनधिकृत बिक्री वास्तव में उसके द्वारा किए गए नुकसान के लिए यातना में है। इसलिए, राशि की निविदा के बिना, ट्रोवर 41 और डिटेन्यू 42 की कार्रवाई बनाए रखने योग्य नहीं है।

7.7 मधोलाल सिंधु (ऊपर) में निर्णय लिया गया था

संघीय अदालत में अपील, जिसमें अदालत ने बहुमत से बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को पूरी तरह से तथ्यात्मक आधार पर खारिज कर दिया कि, उसमें गिरवीदार द्वारा शेयरों की बिक्री की सहमति और आधिकारिक समनुदेशक द्वारा इसकी स्वीकृति को देखते हुए, बिक्री अच्छी थी। तथापि, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह प्रश्न कि क्या गिरवीदार धारा 176 के प्रावधानों के विपरीत अनुबंध कर सकता है या क्या नोटिस की आवश्यकता है

मूल्य के लिए प्रामाणिक खरीदार के अधिकार को प्रभावित नहीं करने वाली केवल अनियमितता संघीय न्यायालय के समक्ष विचार के लिए उत्पन्न नहीं हुई।

7.8 धारा 176 और 177 की व्याख्या करने वाले ये सिद्धांत

41 व्यक्तिगत संपत्ति के मूल्य की वसूली के लिए एक सामान्य कानूनी कार्रवाई जिसका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से निपटान किया गया है। 42 गलत तरीके से हिरासत में ली गई व्यक्तिगत संपत्ति या उसके मूल्य की वसूली के लिए एक सामान्य कानूनी कार्रवाई।

निर्णय अनुबंध अधिनियम की धारा 176 के तहत उचित सूचना के अधिकार की छूट की भी जांच करता है। छूट के नियम का संदर्भ दिया गया था जैसा कि मैक्सवेल में क़ानून 43 की व्याख्या पर निम्नलिखित शब्दों में कहा गया हैः

" प्रत्येक व्यक्ति को छूट देने और छूट देने के लिए सहमत होने का अधिकार है। केवल अपनी निजी क्षमता में व्यक्ति के लाभ और सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून या नियम का लाभ, जिसका प्रयोग किया जा सकता है।

सार्वजनिक नीति के किसी भी सार्वजनिक अधिकार का उल्लंघन किए बिना "।

छूट पर विदेशी 44 और भारतीय अधिकारियों 45 का उल्लेख करने के बाद, श्री राजा काकरख्लपुडी वेंकट सुदर्शन सुंदर नरसयम्मा

गारू (ऊपर) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि धारा 176 के संदर्भ में, इसकी आवश्यकताएं अनिवार्य हैं और यह कि, भले ही नोटिस को माफ करने की प्रतिज्ञा के अनुबंध में कोई अवधि हो, फिर भी, गिरवीदार को बिक्री से पहले नोटिस देने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं किया जाता है।

7.9 श्री राजा में संदर्भ का विशेष महत्व है।

काकरकलहपुडी वेंकट सुदर्शन सुंदर नरसयम्मा गारू (ऊपर) सोहो स्क्वायर सिंडिकेट लिमिटेड बनाम पोलैंड एंड कंपनी में न्यायमूर्ति फरेली की निम्नलिखित टिप्पणियों के लिए। 46

" यदि यह कहना सही है कि एक बंधककर्ता, केवल बंधककर्ता की सहमति प्राप्त करके, न्यायालय में आवेदन करने की आवश्यकता से बच सकता है। इस अधिनियम द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा का एक बड़ा हिस्सा लगभग गायब हो जाएगा। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, ऐसे व्यक्तियों की स्थिति में लोगों को आसानी से यह जाने बिना सहमति देने के लिए राजी किया जा सकता है कि वास्तव में ऐसी सहमति में क्या शामिल था, और भुगतान करने में उनकी असमर्थता के लिए अपने कारणों को व्यक्त करने का अवसर, जो भी वे कर सकते हैं, और अपनी कठिनाइयों को बताने का अवसर, जो अब अदालत में एक आवेदन की आवश्यकता के कारण उन्हें दिया जाता है, पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा, मुश्किल सवाल भी उठ सकते हैं कि क्या सहमति में था

तथ्य प्राप्त किया गया था, या क्या यह एक सहमति थी जो बाध्यकारी थी,

और इसी तरह के सवाल।

43 (1953), 10 वां संस्करण, स्वीट एंड मैक्सवेल, पृष्ठ 368।

44 विल्सन बनाम। मैकिन्टोश, 1894 ए. सी. पी. 129. ; टोर्नोटो बनाम के शहर का निगम जॉन रसेल, डी. जोन्स एंड स्मिथ्स रिपोर्ट्स, 1908 एसी। 493 ; सेल्विन वी। ग्राफ़िट, 38 च. डी. पी. 273; ग्रिफिथ्स बनाम। द अर्ल ऑफ डडली, 9, क्यू. बी. डी. पी. 357. 45 वेल्लायन चेट्टियार बनाम।

मद्रास प्रांत की सरकार, आई. एल. आर. 1948 मैड। पी। 214 ; राजा चेट्टी बनाम। जगन्नाथदास गोविंदस, 1949 द्वितीय एम. एल. जे. पी. 694।

46 1940-1 पी पर सीएच 638।

जहां अनुबंध अधिनियम एक विशेष शब्द निर्धारित करता है जो बाध्यकारी है, पार्टियों द्वारा वैधानिक जनादेश का पालन किया जाना चाहिए। कोई भी पार्टी नहीं इससे बाहर निकल सकते हैं। अन्यथा, कानून द्वारा अधिरोपित विधायी आदेश का केवल संविदात्मक अवधि के रूप में छूट को शामिल करके उन्मुक्ति के साथ उल्लंघन किया जाएगा, जिससे कमजोर पक्ष को कानूनी संरक्षण के लाभ से वंचित किया जाएगा। जनता की रक्षा और लाभ के लिए निर्धारित शर्त को तब समाप्त नहीं किया जा सकता जब वह सार्वजनिक नीति का नियम निर्धारित करती है।

7.10 अनुबंध अधिनियम की धारा 6347 के क्षेत्र को नियंत्रित करती है

छूट दें। यह कानून का एक सामान्य सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजी क्षमता में केवल व्यक्ति के लाभ और सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून या नियम के लाभ को माफ करने का अधिकार है। 48 लेकिन इस तरह की छूट किसी भी सार्वजनिक अधिकार या सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं कर सकती है। कृष्ण बहादुर बनाम। पूर्णा

रंगमंच और अन्य, इस न्यायालय ने कहा कि,

" 10. एक अधिकार को उस पक्ष द्वारा माफ किया जा सकता है जिसके लाभ के लिए कुछ निश्चित है।

हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में, 50 यह इस प्रकार कहा गया है: " एक सामान्य नियम के रूप में, कोई भी व्यक्ति संसद के एक अधिनियम द्वारा उसे प्रदान किए गए लाभों को माफ करने के लिए एक बाध्यकारी अनुबंध कर सकता है।

या, जैसा कि कहा जाता है, स्वयं को अधिनियम से बाहर कर सकता है, जब तक कि यह नहीं दिखाया जा सकता है कि ऐसा समझौता विशेष मामले की परिस्थितियों में सार्वजनिक नीति के विपरीत है। हालाँकि, सांविधिक शर्तों को ऐसी शर्तों में लगाया जा सकता है कि उन्हें समझौते द्वारा माफ नहीं किया जा सकता है, और कुछ परिस्थितियों में, विधायिका ने

स्पष्ट रूप से बशर्ते कि ऐसा कोई भी समझौता अमान्य होगा।

हालांकि, किसी व्यक्ति के लाभ के लिए वैधानिक प्रावधानों और वैधानिक प्रावधानों के बीच अंतर है जो अनिवार्य हैं। 63. वादा करने वाले के प्रदर्शन के साथ वादा किया जा सकता है या उसे पूरा किया जा सकता है। प्रत्येक प्रतिज्ञाकर्ता अपने लिए किए गए प्रतिज्ञाकर्ता के निष्पादन को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त या प्रेषित कर सकता है, या इस तरह के निष्पादन के लिए समय बढ़ा सकता है, या इसके बजाय किसी भी संतुष्टि को स्वीकार कर सकता है जिसे वह उचित समझता है।

48 परिचय के लिए लाइसेंस प्राप्त करें। ई. , कोई भी व्यक्ति उस सिद्धांत या कानून के शासन के लाभ को माफ या त्याग सकता है जो केवल उसकी सुरक्षा के लिए मौजूद है। 49 49 (2004) 8 एस. सी. सी 229। 50 खंड। 8 , तीसरा एडन। , पी पर पैरा 248। 143 .

अनुबंध एक विशिष्ट तरीके से होने चाहिए। कोई भी वैधानिक दायित्वों को माफ नहीं कर सकता है जहां क़ानून स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है या पार्टियों को एक विशेष तरीके से अनुबंध करने के लिए अनिवार्य करता है। अनुबंध करने के लिए औपचारिकताओं और आवश्यकताओं को आम तौर पर अनिवार्य माना गया है। 51 जहाँ कोई कानून यह निर्धारित करता है कि कोई अनुबंध एक विशिष्ट रूप में होगा या उसमें कुछ शर्तें होंगी या नहीं होंगी, वहाँ वैधानिक रूप का पालन किया जाना चाहिए। 52 प्रतिज्ञा, अनुबंध द्वारा छूट और सांविधिक रूप से अनिवार्य शर्तों के संदर्भ में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने द को-ऑपरेटिव हिंदुस्तान बैंक, लिमिटेड v. सुरेंद्रनाथ डे, 53 ने कहाः

" अनुबंध अधिनियम की धारा 176, कुछ अन्य धाराओं के विपरीत, जैसे,

धारा 163,171 और 174 में अपनी स्पष्ट शर्तों के विपरीत विशेष अनुबंधों के संबंध में कोई बचत खंड नहीं है। यह धारा गिरवी को केवल सूट द्वारा अपना उपचार प्राप्त करने के अधिकार के विकल्प के रूप में बेचने का अधिकार देती है। इसके अलावा, धारा 177 मोहरे को निर्धारित समय के बाद भी भुनाने का अधिकार देती है। भुगतान और बिक्री से पहले। हमारी राय में, अधिनियम की अन्य धाराओं के शब्दों की तुलना में धारा 176 के शब्दों को देखते हुए, जिसे हमने संदर्भित किया है, और उस अधिकार को देखते हुए भी जो धारा 177 मोहरे को देती है, और, ताकि उस धारा के प्रावधान को निरर्थक नहीं बनाया जा सके,

धारा 176 पर रखने के लिए व्याख्या यह मानती है कि, इसके विपरीत किसी भी अनुबंध के बावजूद, नोटिस दिया जाना चाहिए।

यहां तक कि जब सामान्य कानून अनुबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, तब भी पक्षकार

कानून के व्यक्त प्रावधानों के विपरीत अनुबंध नहीं कर सकते। पार्क स्ट्रीट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम। दीपक कुमार सिंह और एक अन्य, 54 ने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 106 के संदर्भ में, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" जबकि दिनांकित 7-8-2006 समझौते को साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है और यहां तक कि पक्षकारों द्वारा किरायेदारी के तथ्य को साबित करने के लिए उस पर भरोसा किया जा सकता है, उसी की शर्तों का उपयोग अधिनियम की धारा 106 के वैधानिक प्रावधान से अपमान करने के लिए नहीं किया जा सकता है, जो एक पंजीकृत साधन के अभाव में किरायेदारी की कल्पना पैदा करता है।

51 जी. पी. 51 सिंह, सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत, 14 वां संस्करण, पृष्ठ 462 पर लेक्सिस नेक्सिस (2016)।

52 एस. जी. जी. एडगर द्वारा कानून पर क्रेज़, 7 वां संस्करण, स्वीट एंड मैक्सवेल लिमिटेड (1971) पृष्ठ 255 पर। 531931 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 224।

54 (2016) 9 एससीसी 268।

पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और [संजीव खन्ना, जे।]

एक ही। यदि प्रत्यर्थियों की ओर से दिए गए तर्क को उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाता है, तो इस पट्टे को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, सिवाय किरायेदार द्वारा उल्लंघन के मामलों के। इस तर्क को स्वीकार करने का मतलब यह होगा कि ऐसी स्थिति में जहां किरायेदार लगातार तीन महीनों तक किराए के भुगतान में चूक नहीं करता है, या पट्टे की शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है, पट्टेदार के लिए नोटिस देने के बाद भी पट्टे को समाप्त करने का अधिकार नहीं है। समझौते के खंड 6 की इस व्याख्या की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह कानून के स्पष्ट प्रावधानों के पूरी तरह से विपरीत है। अधिनियम की धारा 106 में "इसके विपरीत अनुबंध" वाक्यांश नहीं हो सकता है इसका अर्थ यह है कि पक्ष कानून के स्पष्ट प्रावधानों से अनुबंध करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिससे इसके इरादे को विफल किया जा सकता है।

7.11 नाभा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड में। लिमिटेड वी. हरमिशन दास, 55, दिल्ली उच्च न्यायालय का एक निर्णय, श्री राजा काकरख्लपुडी वेंकट सुदर्शन सुंदरा में निर्णय का संदर्भ दिया गया है।

नरसयम्मा गारू (ऊपर) जिसमें आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय

मधोलाल सिंधु (उपरोक्त) में जे. चागला द्वारा व्यक्त की गई राय से सहमत थे कि गिरवी द्वारा अनधिकृत बिक्री के मामलों में, गिरवी धन जमा करके मोचन के लिए मुकदमा दायर कर सकता है।

बिक्री जैसे कि यह कभी नहीं हुई थी, या जहां रूपांतरण के आधार पर हर्जाना मांगने के लिए मोचन का मुकदमा दायर नहीं किया गया है। हालाँकि, नभा निवेश (ऊपर) में निर्णय इन दो निर्णयों में लिए गए दृष्टिकोण से असहमत था कि गिरवीदार गिरवी के मोचन के लिए मुकदमा दायर नहीं कर सकता है जब तक कि निविदा से पहले या गिरवी रखे गए धन के साथ न हो। फिर भी, निर्णय न्यायमूर्ति चागला द्वारा निर्धारित कानून के अन्य सिद्धांतों से सहमत है कि धारा 176 अनिवार्य है जिसमें कहा गया है कि धारा 176 की प्रयोज्यता और विस्तार को "इसके विपरीत अनुबंध के अभाव में" वाक्यांश द्वारा ग्रहण या कम नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में, पक्षकार धारा 176 से अनुबंध नहीं कर सकते हैं। गिरवी द्वारा इच्छित बिक्री के गिरवीदार को सूचना देने की आवश्यकता गिरवीदार को दी गई विशेष सुरक्षा है, और पक्ष समझौते द्वारा विशेष सुरक्षा को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, भुनाने के अधिकार का उपयोग गिरवी रखे गए माल की वास्तविक बिक्री, यानी धारा 176 के अनुरूप धारा 177 में निर्दिष्ट बिक्री तक किया जा सकता है। नाभा निवेश में निर्णय

(उपरि) स्पष्ट करता हैः

" 22.8 . यहां मैं इस अवसर का उपयोग चगला, जे. द्वारा अपने उज्ज्वल निर्णय में निर्धारित कानून के अन्य सिद्धांतों को निकालने के लिए कर सकता हूं।

जो कई प्राधिकरणों पर आधारित हैं। वे इस प्रकार हैंः

55 1995 एससीसी ऑनलाइन डेल 239।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

अनुबंध अधिनियम की धारा 176 के प्रावधान अनिवार्य हैं। एक ही विषय पर कई अन्य प्रावधानों के विपरीत धारा 176 की प्रयोज्यता और विस्तार को वाक्यांश द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है-"इसके विपरीत अनुबंध के अभाव में"। गिरवीदार द्वारा इच्छित बिक्री के गिरवीदार को दी जाने वाली सूचना एक विशेष सुरक्षा है जो क़ानून ने गिरवीदार को दी है और पक्षकार इस बात पर सहमत नहीं हो सकते हैं कि

किसी भी गिरवी के मामले में, गिरवीदार गिरवीदार को बिना किसी सूचना के गिरवी रखी गई वस्तुओं को बेच सकता है (पैरा 55)। यदि गिरवीदार के अधिकार के तहत शेयरों की बिक्री आयोजित की जाती है

अनुबंध अधिनियम की धारा 176 के तहत नोटिस दिया जाना चाहिए। इससे पहले कि बिक्री की शक्ति का प्रयोग किया जा सके। यदि नोटिस है

अनिवार्य रूप से, खरीदार, चाहे वह कितना भी निर्दोष क्यों न हो, अपने विक्रेता से बेहतर उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है (पैरा 56)।

गिरवीदार को यह अधिकार है कि वह गिरवीदार से शेयरों को चुकाने या ऋण का भुगतान करने के लिए कहे। यदि गिरवीदार ने शेयरों को हस्तांतरित कर दिया है, तो वह इसके लिए हस्तांतरणकर्ता को बुलाने का हकदार है क्योंकि हस्तांतरणकर्ता अधिकार, स्वामित्व और ब्याज से अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं करता है। गिरवीदार जो ऋण चुकाने तक माल को गिरवी के रूप में रखता है। यदि गिरवीदार भुनाने की स्थिति में नहीं हो सकता है, तो वह केवल बातचीत के लिए गिरवीदार पर मुकदमा करने के लिए खुद को संघर्ष कर सकता है यदि बिना उचित सूचना के माल बेचे जाने के कारण कोई नुकसान हुआ है (पैरा 59)।

पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और [संजीव खन्ना, जे।]

(vi) टी. पी. अधिनियम की धारा 69 (3) और अनुबंध अधिनियम की धारा 176 के बीच कोई समानता नहीं है। दोनों के बीच एक स्पष्ट अंतर है। पहला निर्दोष खरीदार की रक्षा करता है, दूसरा ऐसा नहीं करता है। किसी भी प्रावधान के अभाव में

अनुबंध अधिनियम की धारा 176 निर्दोष खरीदार के पक्ष में, किसी अन्य क़ानून के प्रावधानों से इस तरह के संरक्षण का आयात करना पूरी तरह से गलत है और

अनुचित। तुलना करना हमेशा खतरनाक होता है।

एक कानून और दूसरे के बीच;

22.9 पैरा 64 चगला के माध्यम से, जे. निम्नलिखित से सहमत नहीं थेः

बंधक पर कूट में निहित कानून का विवरण (खंड-II, 9 वां संस्करण पृष्ठ 1472): —

" यदि भुगतान किसी निश्चित दिन किया जाना है तो गिरवीदार को गिरवी को बेचने का अधिकार होता है; अन्यथा नहीं; लेकिन चूक से पहले की बिक्री एक रूपांतरण होगी; फिर भी बिक्री, चाहे गलत हो या नहीं, विक्रेता को स्वामित्व देता है। प्रतिज्ञा करें।

22.10 जे. चगला ने स्टोरीज लॉ ऑफ बेलमेंट्स (8 वां संस्करण, पृष्ठ 272) में कानून के निम्नलिखित कथन के साथ अपनी स्वीकृति और सहमति व्यक्त की हैः —

" स्टॉक के गिरवीदार को गिरवीदार को सूचना दिए बिना इसे बेचने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और इस तरह की बिक्री के खिलाफ कोई अधिकार नहीं है। प्रतिज्ञाकर्ता, यहाँ तक कि एक प्रामाणिक पार्टी के लिए भी "।

22.11 जे. चागला द्वारा अभिलिखित राय से जिन उपरोक्त सिद्धांतों का अनुमान लगाया जा सकता है, जिनसे मैं पूरी तरह सहमत हूं।

वादी के मामले को बल "।

7.12 नाभा निवेश में दिल्ली उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

(ऊपर) मधोलाल सिंधु (ऊपर) और श्री राजा काकरख्लपुडी वेंकट सुदर्शन सुंदरा में अनुपात से सीमित विचलन को व्यक्त करते हुए

नरसयम्मा गारू (सुप्रा) हमें आकर्षित नहीं करता है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कारण कि किसी भी क़ानून या सिद्धांत में कोई प्रावधान नहीं है जैसा कि चगला, जे. द्वारा मधोलाल सिंधु (ऊपर) में स्पष्ट किया गया है, कानून का यह मानना कि मोहरे के पास केवल दो उपाय हैं, सही नहीं है। धारा 177, जो 'वास्तविक बिक्री' तक गिरवीदार को मोचन का अधिकार देती है, स्वयं न केवल देय ऋण का भुगतान करती है, बल्कि उसके खर्चों को भी स्वीकार करती है।

56 नाभा निवेश में निर्णय के पैराग्राफ 22.7,23 और 24 देखें।

बाद में नोट किया गया कि जब गिरवी रखी गई संपत्ति उपलब्ध नहीं है तो वह अच्छी तरह से कवर की गई है और व्यक्त की गई राय के खंड (2) 57 के तहत ध्यान रखा जा सकता है। चगला द्वारा, जे. मधोलाल सिंधु (ऊपर) में। 58

7.13 अनुबंध अधिनियम की धारा 176 के लिए आवश्यक है कि प्यादा

गिरवीदार को उचित सूचना देने पर गिरवी रखी गई चीज़ को बेच सकता है

बिक्री। यह नोटिस का कोई निश्चित रूप निर्धारित नहीं करता है या नोटिस की कोई निश्चित अवधि निर्दिष्ट नहीं करता है। नोटिस देने का उद्देश्य और उद्देश्य मोहरे को बेचने के मोहरे के इरादे के बारे में बताना और उसे छुटकारे के अपने वैधानिक अधिकार का प्रयोग करने का अवसर देना है, जिसका उपयोग धारा 177 के अनुसार 'वास्तविक बिक्री' की तारीख तक किया जा सकता है। नोटिस दिया गया था या नहीं और नोटिस की अवधि उचित थी, यह मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए,

गिरवीदार अपनी इच्छा और इच्छा को गिरवीदार को बता सकता है कि गिरवी रखी गई वस्तुओं को बेचा जा सकता है। यदि ऐसा कोई अनुरोध किया जाता है, तो एक प्यादी धारा 176 का उल्लंघन किए बिना अनुरोध पर अच्छी तरह से कार्य कर सकता है। अनुबंध अधिनियम। हालांकि, एक प्यादी, जब तक कि वह भी सहमत नहीं होता है, गिरवीदार द्वारा गिरवी रखे गए सामान को बेचने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

(v) गिरवीदार द्वारा गिरवी रखे गए माल की स्वयं को बिक्री

8.1 उपरोक्त निर्णयों में आदेश और अनुबंध अधिनियम की धारा 177, जो चूक करने वाले गिरवीदार को भुनाने का अधिकार प्रदान करती है

गिरवी रखी गई वस्तु अभी भी 'वास्तविक बिक्री' है, जो खुद को खरीददार की बिक्री का समर्थन नहीं करती है। मधोलाल सिंधु के मामले (उपरोक्त) में फैसले के संदर्भ में खुद को बेचना धर्मांतरण का मामला है न कि 'वास्तविक बिक्री', और इसलिए, अनुबंध की धारा 177 के तहत गिरवीदार के मोचन के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

57 (2) कि गिरवी पर देय राशि की उचित निविदा के बिना, गैरकानूनी या अनधिकृत बिक्री के संबंध में गिरवीदार का एकमात्र अधिकार वास्तव में नुकसान के लिए अपकृत्य है।

उसे बनाए रखा। 58 एस. एल. रामासामी चेट्टी (उपरोक्त) मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर दी गई निर्भरता से कोई मदद नहीं मिलेगी क्योंकि यह निर्णय न्यायमूर्ति चगला द्वारा व्यक्त किए गए विचार के अनुरूप है कि गिरवीदार गिरवी पर देय राशि का भुगतान किए बिना गिरवी रखे गए माल के मोचन का हकदार नहीं है। मद्रास उच्च न्यायालय ने एस. एल. रामासामी चेट्टी (ऊपर) ने यह नहीं माना कि गिरवीदार बकाया ऋण और अतिरिक्त राशि के भुगतान के बिना गिरवी रखे गए माल के मोचन का हकदार है। न्यायालय गिरवीदार को प्रारंभिक चरण में ही 'स्वीकृत राशि' जमा करने के लिए कहने का हकदार होगा यदि गिरवीदार तैयार है और गिरवी रखी गई संपत्ति को देने के लिए तैयार है। स्थिति अलग होगी जहां

गिरवी पहले से ही गिरवी रखी गई संपत्ति को वापस करने में अपनी असमर्थता की घोषणा करता है, जिस स्थिति में गिरवीदार के दावे को एक समझौते के माध्यम से पराजित नहीं किया जा सकता है।

निविदा का बेकार समारोह। पारस्परिक वादों से संबंधित अनुबंध अधिनियम की धारा 51 पर भरोसा किया गया था।

पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और [संजीव खन्ना, जे।]

एक्ट करें। हरिदास मुंद्रा (ऊपर) में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय में भी यह नियम कहा गया है। इससे पहले, नीकराम डोबे बनाम में प्रिवी काउंसिल। बैंक ऑफ बंगाल, 59 9 ने पाया कि बैंक द्वारा खुद को गिरवी के रूप में माल की बिक्री अनधिकृत है, लेकिन गिरवीदार को माल वापस पाने का अधिकार नहीं है। गिरवीदार को उस ऋण का भुगतान करना होगा जिसके लिए माल को माल को भुनाने के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा गया था। यदि मांग के बाद ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है, तो गिरवी माल बेचने और बकाया ऋण के लिए आय को जमा करने का हकदार है। माल को तीसरे पक्ष को बेचे जाने के बाद, गिरवी समाप्त हो जाती है। ऐसे मामलों में गिरवी उत्तरदायी होगा यदि वह गिरवी रखे गए माल की बिक्री पर आय के साथ ऋण खाते में जमा करने में विफल रहता है। खरीददार अपने उपयोग के लिए माल को परिवर्तित करने के लिए नुकसान के लिए अनुबंध के अधीन भी उत्तरदायी हो सकता है।

8.2 कई अन्य उच्च न्यायालयों ने भी इसी तरह की राय दी है और वे इससे सहमत हैं

कि अनुबंध अधिनियम स्वयं को मोहरे की बिक्री की कल्पना नहीं करता है और परिणामस्वरूप, अनुबंध अधिनियम की धारा 177 के संदर्भ में मोहरे का मोचन का अधिकार 'वास्तविक बिक्री' तक बना रहता है। रामदयाळ प्रसाद बनाम। सैयद हसन, 60 पटना उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि गिरवी द्वारा गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की खुद को बिक्री अमान्य है; यह गिरवीदार को उस राशि के भुगतान के बिना माल की वसूली का अधिकार देने के लिए गिरवी के अनुबंध को समाप्त नहीं करता है, और न ही यह गिरवीदार को हर्जाने का हकदार बनाता है। गिरवीदार तीसरे व्यक्ति को गिरवीदार द्वारा विधिवत किए गए पुनर्विक्रय से बंधा होता है। हालाँकि, जहाँ पन्नी है

इस तरह के पुनर्विक्रय से पहले गिरवीदार को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया कि

प्रतिभूतियाँ बेच दी गई हैं और इसलिए, अब मोचन के लिए उपलब्ध नहीं है, खरीददार रूपांतरण के रूप में मूल्य के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

8.3 मद्रास उच्च न्यायालय की एडीविजन बेंच inS.L.Ramaswamy चेट्टी और एक अन्य v. M.S.A.P.L. पलनियप्पा चेट्टियार, 6 1 पर निर्भर

नीकराम डोबे (ऊपर) में प्रिवी काउंसिल के निर्णय में कहा गया है कि जहां प्यादी के पास डिफ़ॉल्ट रूप से बेचने की शक्ति है, वह अपना अधिकार संभाल लेता है।

59 आई. एल. आर. (1892) 19 कैल 322। 60 एयर 1944 पैट 135।

611929 एससीसी ऑनलाइन मैड 62। 62 इस निर्णय में यह भी कहा गया है कि गिरवीदार बिना भुगतान के भुनाने का हकदार होगा। यह प्रस्ताव नीक्रमदोबे (ऊपर) में प्रिवी काउंसिल के निर्णय सहित कई निर्णयों के विपरीत है।

22] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8.4 धानी राम एंड संस बनाम में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का एक एकल निर्णय है। सीमा

बैंक लिमिटेड और एक अन्य, जिसका मानना है कि मोहरे की बिक्री

गिरवी द्वारा अपने लिए माल शून्य नहीं होता है, और गिरवी को गिरवी रखे गए शेयरों का कानूनी मालिक माना जाता था। यह निर्णय नीक्रम दोबे (ऊपर) में अनुपात की गलत समझ के साथ आगे बढ़ता है, और इस प्रकार, हम धनी राम और पुत्र (ऊपर) में इस अनुपात को खत्म करना उचित समझते हैं।

जमा अधिनियम, 1996 का प्रभाव और उद्देश्य और

डी.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(जमा और प्रतिभागी) विनियम 1996।

9.1 कानूनों की व्याख्या पाठ और संदर्भ पर निर्भर होनी चाहिए। जब दो विचार स्पष्ट हों तो बहस को हल करने के लिए, प्रावधान की व्याख्या करना सबसे अच्छा है जब हम जानते हैं कि क़ानून क्यों लागू किया गया है। यदि किसी क़ानून को उसके अधिनियमन के संदर्भ में, ऐसे संदर्भ द्वारा प्रदान किए गए क़ानून निर्माता के चश्मे के साथ देखा जाता है, तो उसकी योजना, धाराएं, खंड, वाक्यांश और शब्द रंग ले सकते हैं और संदर्भ द्वारा प्रदान किए गए चश्मे के बिना क़ानून को देखने पर अलग दिखाई दे सकते हैं। 64 यह सिद्धांत समान रूप से लागू हो सकता है जब हम दोनों के बीच परस्पर क्रिया की जांच करते हैं। दो कानून। अनुबंध अधिनियम के प्रावधान, जो अनुबंधों से संबंधित मूल और सामान्य कानून है, और डिपॉजिटरी अधिनियम, जो मुख्य रूप से प्रतिभूतियों से संबंधित कानून है, की व्याख्या सामंजस्यपूर्ण रूप से की जानी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि एक अधिनियम का कोई भी प्रावधान दूसरे के प्रावधानों को रद्द कर सकता है। यह लक्ष्य डिपॉजिटरी अधिनियम और अनुबंध अधिनियम के उद्देश्यों और विषय वस्तु की जांच करके सबसे अच्छा प्राप्त किया जा सकता है, जो उनके बीच किसी भी संघर्ष या ओवरलैप से बचने के लिए उनके संचालन के अलग-अलग क्षेत्रों को स्पष्ट करेगा। इसका अर्थ यह है कि दोनों कानूनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में लगातार और सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाएगा, जहां तक ऐसा करना उचित रूप से संभव है, और जहां ऐसी सुलह ऐसी स्थितियों पर लागू व्याख्या के सिद्धांतों के अनुप्रयोग द्वारा कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना संभव नहीं है।

9.2 इस प्रकार, हम डिपॉजिटरी अधिनियम के अधिनियमन के पीछे के उद्देश्य और उद्देश्य का उल्लेख करते हुए शुरू करते हैं और जो हमारे

1996 विनियमों की व्याख्या। डिपॉजिटरी का परिचय

63 ए. आई. आर. 1962 पी एंड एच 321। 64 भारतीय रिजर्व बैंक बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य, (1987) 1 एस. सी. सी. 424, पैरा 33।

65 वासुदेव रामचंद्र शेलत बनाम। प्राणलाल जयानंद ठक्कर और अन्य, (1974) 2 एस. सी. सी. 323, पैरा 5।

पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और [संजीव खन्ना, जे।]

अधिनियम तत्कालीन भारतीय प्रतिभूति बाजार की प्रमुख कमियों में से एक को संदर्भित करता है, जो कागज आधारित था। नतीजतन, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण में आश्वासन और निश्चितता की कमी थी

'खराब डिलीवरी', जालसाजी, चोरी आदि। नतीजतन, निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा और वे प्रतिभूतियों में तरलता और शिकायत निवारण से वंचित थे

अव्यवहारिक था। बदले में, पूंजी बाजार ने भी आत्मविश्वास की कमी के कारण दर्द महसूस किया और इसके परिणामस्वरूप, विकास बाधित हुआ। प्रतिभूतियों के हस्तांतरण में सुचारू, तेज और निरंतरता का मार्ग प्रशस्त करने और पारदर्शी तरीके से शेयरों और शेयरों के व्यापार में वृद्धि को बढ़ावा देने और उससे निपटने के लिए प्रतिभूतियों के व्यापार की पद्धति को विनियमित करने की आवश्यकता थी।

9.3 जमा अधिनियम एक प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए अधिनियमित किया गया है और

प्रतिभूतियों के डिमटेरियलाइजेशन के लिए नियम उन्हें 'डिपॉजिटरी' के कंप्यूटर में संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक डेटा में परिवर्तित करके। 66 डिपॉजिटरीज एक्ट डिपॉजिटरी इको-सिस्टम को स्थापित करता है और 'पंजीकृत मालिक' 67 और 'लाभकारी मालिक' की अवधारणाओं का परिचय देता है। 68 प्रत्येक

भौतिक शेयर के मालिक को इसकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए 'डिपॉजिटरी' के साथ एक समझौता करना पड़ता है। सुरक्षा का भौतिक प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाता है। 'डिपॉजिटरी' द्वारा रखी गई सभी प्रतिभूतियाँ एक अपवर्तनीय रूप में हैं। प्रतिभूति के संबंध में डिपॉजिटरी 'पंजीकृत मालिक' बन जाता है, जबकि भौतिक शेयरों को सौंपने वाले व्यक्ति को इस रूप में दर्ज किया जाता है

' लाभकारी मालिक '। डिपॉजिटरी ', पंजीकृत मालिक के रूप में, करता है

69 7. डिपॉजिटरी के साथ प्रतिभूतियों के हस्तांतरण का पंजीकरणः (1) प्रत्येक डिपॉजिटरी, एक प्रतिभागी से सूचना की प्राप्ति पर, हस्तांतरणकर्ता के नाम पर प्रतिभूति के हस्तांतरण को पंजीकृत करेगा।

(2) यदि कोई लाभकारी स्वामी या किसी प्रतिभूति का हस्तांतरणकर्ता ऐसी प्रतिभूति की अभिरक्षा चाहता है, तो डिपॉजिटरी तदनुसार जारीकर्ता को सूचित करेगा।

डिपॉजिटरीज़ एक्ट, प्रत्येक 'डिपॉजिटरी', एक से सूचना की प्राप्ति पर

प्रतिभागी को हस्तांतरणकर्ता के नाम पर प्रतिभूति हस्तांतरित करनी होती है। इसके अलावा, हस्तांतरणकर्ता के नाम पर प्रतिभूति हस्तांतरण के पंजीकरण पर, हस्तांतरणकर्ता को 'लाभकारी मालिक' के रूप में पंजीकृत किया जाता है।

9.4 विमुद्रीकृत के स्वामित्व के हस्तांतरण की शक्ति और अधिकार

लाभकारी मालिक '। प्यादी सहित कोई भी व्यक्ति स्थानांतरण नहीं कर सकता है 'लाभकारी' के रूप में पंजीकृत किए बिना डिमटेरियलाइज्ड रूप में रखा गया प्यादा

मालिक '।

9.5 जमा अधिनियम की धारा 12 प्रतिज्ञा की अनुमति देती है और

एक डिपॉजिटरी द्वारा आयोजित प्रतिभूतियों का परिकल्पना और पढ़ता हैः

" 12. एक में आयोजित प्रतिभूतियों की प्रतिज्ञा या परिकल्पना

भंडारः

(1) ऐसे विनियमों और उप-कानूनों के अधीन, जो बनाए जा सकते हैं

इस ओर से, एक लाभकारी मालिक के पूर्व अनुमोदन के साथ हो सकता है

डिपॉजिटरी एक के संबंध में एक प्रतिज्ञा या परिकल्पना बनाता है

एक डिपॉजिटरी के माध्यम से उसके स्वामित्व वाली प्रतिभूति।

(2) प्रत्येक लाभकारी स्वामी ऐसी प्रतिज्ञा की सूचना देगा या

डिपॉजिटरी और ऐसे डिपॉजिटरी के लिए हाइपोथेकेशन इसके बाद होगा

(3) उप-धारा (2) के तहत किसी डिपॉजिटरी के अभिलेखों में कोई प्रविष्टि यह प्रतिज्ञा या परिकल्पना का प्रमाण होगा।

(1) तत्काल लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक डिपॉजिटरी को एक लाभकारी मालिक की ओर से प्रतिभूति के स्वामित्व के हस्तांतरण को प्रभावित करने के उद्देश्यों के लिए पंजीकृत मालिक माना जाएगा। (2) उप-धारा (1) में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, एक पंजीकृत स्वामी के रूप में डिपॉजिटरी को उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों के संबंध में कोई मतदान अधिकार या कोई अन्य अधिकार नहीं होंगे। (3) लाभकारी स्वामी सभी अधिकारों और लाभों का हकदार होगा और एक डिपॉजिटरी द्वारा आयोजित अपनी प्रतिभूतियों के संबंध में सभी देनदारियों के अधीन होगा।

पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और [संजीव खन्ना, जे।]

धारा 12 की उप-धारा (1) के संदर्भ में, एक 'लाभकारी स्वामी' अपने स्वामित्व वाली प्रतिभूति के संबंध में एक प्रतिज्ञा या परिकल्पना बना सकता है।

उसे 'डिपॉजिटरी' के माध्यम से, डिपॉजिटरी के पूर्व अनुमोदन के अधीन। धारा 12 या उस मामले के लिए डिपॉजिटरी अधिनियम प्रतिज्ञा या परिकल्पना को परिभाषित नहीं करता है, और इस तरह व्यापार में लोगों के लिए वाणिज्यिक अर्थ में ज्ञात उनके अर्थ को स्वीकार करता है और अनुकूलित करता है। इसका मतलब है कि डिपॉजिटरी अधिनियम अनुबंध अधिनियम और सामान्य कानून द्वारा निर्धारित प्रतिज्ञा से संबंधित सिद्धांतों को मान्यता देता है। डिपॉजिटरी अधिनियम में कहा गया है कि इस तरह की प्रतिज्ञा या परिकल्पना डिपॉजिटरी अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और उप-कानूनों के अनुसार की जानी चाहिए। गिरवीदार के रूप में एक लाभकारी मालिक को डिपॉजिटरी को ऐसी प्रतिज्ञा या परिकल्पना के बारे में सूचित करने की आवश्यकता होती है, जिसके बाद वह अपने अभिलेखों में प्रविष्टियां करता है। 'डिपॉजिटरी' द्वारा की गई यह प्रविष्टि प्रतिज्ञा या परिकल्पना का प्रमाण है।

9.6 डिपॉजिटरी एक्ट से पहले, भौतिक शेयरों और प्रतिभूतियों को गिरवी रखा जाता था और इस तरह के लेनदेन के परिणामस्वरूप कई निर्णय लिए गए हैं

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। ज्यादातर मामलों में, शेयरों की गिरवी के साथ खाली हस्तांतरण विलेख थे, और इसके परिणामस्वरूप लेनदेन की सही प्रकृति के बारे में विवाद था जैसा कि श्री राजा काकरख्लपुडी वेंकट सुदर्शन सुंदर नरसयम्मा गारू में हुआ था।

(सुप्रा), मोहम्मद। सुल्तान और ओरस। (ऊपर) और यहाँ तक कि मधोलाल सिंधु (ऊपर) में भी। श्री राजा काकरकलपुडी वेंकट सुदर्शन सुंदरा में

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नरसयम्मा गारू (ऊपर) ने मधोलाल सिंधु (ऊपर) का उल्लेख करने के बाद कन्नंब्रा नायर वीटिल वालिया अम्मुकुट्टी नीथियार के पुत्र में व्यक्त किए गए विचार से सहमति व्यक्त की।

कुन्हुन्नी इलाया नायर अवरगल (मृत) और एक अन्य वी। पी. एन. कृष्ण पट्टार और दो अन्य 71 कि इस तरह के लेनदेन के कारण

खाली हस्तांतरण विलेखों के निष्पादन को बंधक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

शेयरों की गिरवी के साथ खाली हस्तांतरण विलेखों का निष्पादन किया जा सकता है, जो बेचने के अधिकार का प्रयोग करने का एक सुविधाजनक तरीका था जब गिरवी ऐसा करने का हकदार होता है। खाली हस्तांतरण विलेखों के अभाव में, जब वह इसे लागू करना चाहता है तो सैनिक को अदालत का सहारा लेना चाहिए।

प्रतिभूतियाँ।

9.7 स्पष्ट रूप से, डिपॉजिटरी अधिनियम की धारा 12 अनुबंध अधिनियम और सामान्य कानून के तहत गिरवी और गिरवी के संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों के साथ असंगत नहीं है। दूसरी ओर, डिपॉजिटरी अधिनियम स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि डिपॉजिटरी द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों को 'लाभकारी मालिक' द्वारा गिरवी रखा जा सकता है और उनका अनुमान लगाया जा सकता है।

71 ए. आई. आर. 1943 मैड 74।

यह पारदर्शिता और निश्चितता लाकर प्रक्रिया को सरल बनाता है। यह विवादों की संभावनाओं की जांच और कटौती करता है क्योंकि प्रतिज्ञा को 'डिपॉजिटरी' के साथ पंजीकृत किया जाना चाहिए।

9.8 निस्संदेह, डिपॉजिटरी अधिनियम के बीच अंतर करता है

' पंजीकृत स्वामी 'और' लाभकारी स्वामी ', अर्थात, वास्तविक स्वामी, लेकिन यह किसी भी तरह से उस नियम का खंडन या निर्धारण नहीं करता है जो अनुबंध अधिनियम की धारा 176 और 177 के प्रावधानों के विपरीत है। ये धाराएँ, उनके पीछे के उद्देश्य और उद्देश्य को देखते हुए, अभी भी किसी भी प्रतिज्ञा विलेख पर लागू होंगी और उनके द्वारा कमजोर या अधिलेखित नहीं होंगी।

एक 'लाभकारी स्वामी'। यह गिरवी रखने वाले और गिरवी रखने वाले के गिरवी रखने के कानून और आपसी दायित्वों और अधिकारों के प्रावधानों को कमजोर या फिर से नहीं बनाता है। इस पहलू को बाद में कुछ विस्तार से समझाया गया है। यह निर्णय।

9.9 जमा अधिनियम की धारा 25 के तहत, प्रतिभूतियां और

भारतीय विनिमय बोर्ड को बनाने की शक्ति प्रदान की गई है

जमा अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विनियम। धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (डी) में कहा गया है कि विनियम किसी के संबंध में प्रतिज्ञा या परिकल्पना बनाने के तरीके का प्रावधान कर सकते हैं।

जमा अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) के तहत 'लाभकारी स्वामी' के स्वामित्व वाली प्रतिभूति।

9.10 इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, बोर्ड ने 1996 को अधिसूचित किया

नियम। विनियम 58 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

" 58 .

XX

XX

X

X

(2) प्रतिभूतियों के उपलब्ध होने की संतुष्टि के बाद प्रतिभागी

प्रतिज्ञा के लिए प्रतिज्ञा की सूचना के अपने अभिलेखों में एक नोट बनाएगा और आवेदन को डिपॉजिटरी में भेज दें।

(3) प्रतिज्ञाकर्ता से पुष्टि के बाद भंडार कि

प्रतिभूतियाँ गिरवी रखने वाले के साथ गिरवी रखने के लिए उपलब्ध हैं

आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिन बाद बनाएँ और रिकॉर्ड करें

प्रतिज्ञा करें और प्रतिभागियों को इसकी सूचना भेजें प्रतिज्ञाकर्ता और प्रतिज्ञाकर्ता।

(4) उप-विनियम (3) के तहत सूचना प्राप्त होने पर

प्रतिज्ञाकर्ता और प्रतिज्ञाकर्ता दोनों के प्रतिभागी सूचित करेंगे

72 इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और [संजीव खन्ना, जे।]

सृजन के प्रवेश की प्रतिज्ञा करने वाला और प्रतिज्ञा लेने वाला क्रमशः

प्रतिज्ञा की।

(5) यदि डिपॉजिटरी प्रतिज्ञा नहीं बनाता है, तो वह कारणों के साथ प्रतिज्ञाकर्ता के प्रतिभागियों को एक सूचना भेजेगा।

(6) उप-विनियम (3) के तहत की गई गिरवी की प्रविष्टि को डिपॉजिटरी द्वारा रद्द किया जा सकता है यदि गिरवीदार या गिरवीदार अपने प्रतिभागी के माध्यम से डिपॉजिटरी को आवेदन करता हैः बशर्ते कि गिरवी की कोई भी प्रविष्टि डिपॉजिटरी द्वारा रद्द नहीं की जाएगी

प्रतिज्ञा लेने वाले की पूर्व सहमति के साथ। (7) गिरवी की प्रविष्टि के रद्द होने पर डिपॉजिटरी

प्रतिभागी को प्रतिज्ञाकर्ता के बारे में सूचित करें।

(9) उप-विनियम (8) के तहत अपने अभिलेखों में संशोधन करने के बाद डिपॉजिटरी तुरंत प्रतिज्ञाकर्ता और प्रतिज्ञाकर्ता के प्रतिभागियों को परिवर्तन के बारे में सूचित करेगी जो बदले में अपने अभिलेखों में आवश्यक परिवर्तन करेंगे और क्रमशः प्रतिज्ञाकर्ता और प्रतिज्ञाकर्ता को सूचित करेंगे। विनियमन 58 को पढ़ने से पता चलता है कि एक 'लाभकारी मालिक'

अपने स्वामित्व वाली प्रतिभूति पर प्रतिज्ञा बनाने का हकदार है। ऐसा करने के लिए, उसे प्रतिभूतियों के संबंध में अपना खाता रखने वाले प्रतिभागी के माध्यम से 'डिपॉजिटरी' में आवेदन करना होगा। उप-विनियम (2) प्रतिभागी से यह संतोष व्यक्त करने की अपेक्षा करता है कि प्रतिभूतियाँ गिरवी रखने के लिए उपलब्ध हैं और

इसके अभिलेखों में इस संबंध में एक नोट बनाएँ। नोट को 'डिपॉजिटरी' को भेजा जाना है। उप-विनियम (3) के संदर्भ में, 'डिपॉजिटरी' को पंद्रह दिनों के भीतर एक प्रतिज्ञा बनाना और दर्ज करना और एक सूचना भेजना आवश्यक है। प्रतिज्ञाकर्ता/गिरवीदार और गिरवीदार/गिरवीदार के प्रतिभागियों को। गिरवीदार और गिरवीदार के प्रतिभागियों को गिरवीदार और गिरवीदार को प्रतिज्ञा के निर्माण की प्रविष्टि के बारे में सूचित करना आवश्यक है। अगर

' 'डिपॉजिटरी' प्रतिज्ञा नहीं बनाता है, कारणों की सूचना प्यादेदार और प्यादे के प्रतिभागियों को दी जानी चाहिए। द.

' डिपॉजिटरी 'प्रतिज्ञा को रद्द कर सकता है यदि प्यादी अपने प्रतिभागियों के माध्यम से डिपॉजिटरी पर लागू होता है। गिरवीदार अपने प्रतिभागी [2022] 9 एस. सी. आर. के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है।

प्रतिज्ञा को रद्द करने के लिए 'डिपॉजिटरी' को। इस मामले में, प्रविष्टि को 'डिपॉजिटरी' द्वारा पूर्व सहमति के साथ रद्द किया जा सकता है

पावनी। प्रतिज्ञा प्रविष्टि के रद्द होने पर, 'डिपॉजिटरी' को प्रतिभागी को गिरवीदार के बारे में सूचित करना होता है।

9.11 विनियम 58 के उप-विनियम (8) का उपयोग करता हैः

एक विशिष्ट उद्देश्य और उद्देश्य के साथ "प्रतिज्ञा दस्तावेज के प्रावधानों के अधीन" अभिव्यक्ति। दूसरे शब्दों में, विनियमन 58 का उप-विनियम (8) कटौती या प्रतिबंध लगाने का प्रयास नहीं करता है, लेकिन दूसरी ओर पार्टी की स्वायत्तता और प्रतिज्ञा की शर्तों को तय करने की स्वतंत्रता का सम्मान करता है।

इसमें चूक की घटना भी शामिल है जो गिरवी को गिरवी रखने और गिरवी बेचने का अधिकार देती है। उप-विनियम अनुबंध अधिनियम के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट रूप से रद्द नहीं करता है। हालांकि, शर्त यह है कि

गिरामी गिरवी रख सकता है, और इस तरह के आह्वान पर, गिरवी को गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों के लाभकारी मालिक के रूप में दर्ज किया जाना है

अनिवार्य है। एक प्रतिज्ञा दस्तावेज इसके विपरीत निर्धारित नहीं कर सकता है, और कोई भी उल्लंघनकारी संविदात्मक शर्त बाध्यकारी नहीं होगी। 'डिपॉजिटरी' द्वारा रखे गए अभिलेखों को गिरवी रखने वाले पर गिरवी रखने का आह्वान करते हुए संशोधित किया जाना है और उसके बाद 'डिपॉजिटरी' गिरवी रखने वाले को प्रतिभूतियों के 'लाभकारी मालिक' के रूप में पंजीकृत करेगा। परिवर्तन के परिणामस्वरूप और विनियम 58 के उप-विनियम (9) के संदर्भ में, 'डिपॉजिटरी' को खरीददार और खरीददार के प्रतिभागियों को इस निर्देश के साथ सूचित करना है कि वे

अपने अभिलेखों में आवश्यक परिवर्तन करेंगे और प्रतिभागी क्रमशः गिरवीदार और गिरवीदार को सूचित करेंगे। 9.12 इस प्रकार, विनियम 58 के उप-विनियम (8) का अबाधित भाग एक सीमित उद्देश्य और उद्देश्य को पूरा करता हैः पन्नी को खुद को रिकॉर्ड करना चाहिए

गिरवी रखी प्रतिभूतियों को बेचने के लिए आगे बढ़ने से पहले एक 'लाभकारी मालिक' के रूप में। प्यादी को 'लाभकारी मालिक' का दर्जा दिए बिना, एक प्यादी गिरवी रखी गई विमुद्रीकृत प्रतिभूतियों को बेचने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है। ए.

संविदात्मक अवधि डिपॉजिटरी अधिनियम की धारा 7 और 10 की आवश्यकता को अधिलेखित नहीं कर सकती है, जो विनियमन 58 के उप-विनियमन (8) में परिलक्षित होता है, जिसके अनुसार गिरवी रखी गई डिमटेरियलाइज्ड प्रतिभूतियों को बेचने से पहले 'लाभकारी मालिक' के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। डिपॉजिटरी अधिनियम की धारा 38 (1) (ई) के तहत 'डिपॉजिटरी' को अन्य बातों के साथ-साथ सभी अनुमोदनों, नोटिसों, प्रविष्टियों और गिरवी और परिकल्पना को रद्द करने के रिकॉर्ड को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जैसा भी मामला हो। यह

विनियमन 58 के उप-विनियम (8) का अधिदेश तब लागू होगा जब गिरवी रखी गई/गिरवी रखी गई वस्तुएं विमुद्रीकृत प्रतिभूतियां हों। दोहराने के लिए, विनियमन 58 के उप-विनियमन (8) की यह आवश्यकता पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को सीमित नहीं करती है।

वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और [संजीव खन्ना, जे।]

या सहमत शर्तों पर पक्षों के बीच सहमत संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों को सीमित करें, जिसमें प्यादेदार का प्यादा माल बेचने का अधिकार भी शामिल है। जबकि संविदात्मक शर्तें मौलिक हैं और पक्षों के बीच अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करती हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि कब प्यादी अपने नाम को 'लाभकारी' के रूप में प्रतिस्थापित करने का हकदार होगा। हालाँकि, 1996 के विनियमों के तहत, संविदात्मक शर्तों को अनुबंध अधिनियम को ओवरराइड करने की अनुमति नहीं है जैसा कि ऊपर बताया गया है क्योंकि यह गिरवी और गिरवी के अधिकारों और दायित्वों को नियंत्रित करता है, और विनियमन 58 (8) के अनुपालन की आवश्यकता को नियंत्रित करता है। यह बिल्कुल आवश्यक है कि गिरवी को 'लाभकारी मालिक' का दर्जा दिया जाना चाहिए।

ताकि वह गिरवी रखी गई विमुद्रीकृत प्रतिभूतियों को बेचने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सके। इसका उद्देश्य विमुद्रीकृत प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करना है और अनुबंध की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना है जब तक कि वे अनुबंध अधिनियम और अन्य कानूनों का पालन करते हैं। इसके अलावा, यदि प्रतिज्ञा दस्तावेज की शर्तें विनियमन 58 (8) का उल्लंघन करती हैं, तो प्रतिज्ञा को अमान्य या अवैध नहीं माना जाता है, भले ही प्रतिज्ञा को लागू किया गया हो। विमुद्रीकृत प्रतिभूतियों को तब तक अप्राप्य बना दिया जाएगा जब तक कि 1996 के विनियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने के लिए कदम नहीं उठाए जाते। गिरवी धन की वसूली, अनुबंध के उल्लंघन के लिए गिरवी पर मुकदमा करने का हकदार होगा और यहां तक कि विमुद्रीकृत प्रतिभूतियों की बिक्री पर निषेधाज्ञा/प्रतिबंध के लिए भी आवेदन कर सकता है। हालांकि, विमुद्रीकृत प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर तीसरे पक्ष के अधिकार, जब तक कि अदालत के पूर्व आदेश द्वारा निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है, तब तक प्रभावित नहीं होंगे जब तक कि हस्तांतरण जमा अधिनियम और 1996 विनियमों के संदर्भ में हैं।

ई.

जमा अधिनियम, 1996 और प्रतिभूतियों का प्रभाव

और भारतीय विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियमन, 1996

अनुबंध अधिनियम, 1872

10.1 1996 के विनियमों के अनुसार, गिरवी रखने वाला/गिरवी रखने वाला गिरवी/गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को बेचने का हकदार नहीं है। प्रतिज्ञा लेने वाले के विशेष अधिकार /

मोहरे में कालाधन जमा अधिनियम के तहत बरकरार रहता है और

1996 विनियमन। हालांकि, विमुद्रीकृत प्रतिभूतियों को बेचने का अधिकार प्रदान किया जाता है और 'लाभकारी मालिक' को दिया जाता है, जो प्रतिभागियों के माध्यम से इस अधिकार का प्रयोग करता है। नतीजतन, यदि कोई गिरवी डिमटेरियलाइज्ड प्रतिभूति बेचने के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहता है, तो गिरवी के लिए पहले खुद को 'डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में' लाभकारी मालिक 'के रूप में दर्ज करना अनिवार्य है। उक्त अभ्यास के बिना, प्यादी अपने अधिकारों [2022] 9 एस. सी. आर. का प्रयोग नहीं कर सकता।

गिरवी को बेचना और अनुबंध अधिनियम की धारा 176 के तहत अपने अधिकारों का सहारा लेकर देय धन को पुनः प्राप्त करना। उचित सूचना के बाद गिरवी को बेचने का अधिकार विकल्पों में से एक है, हालांकि, सामान्य कानून और अनुबंध अधिनियम दोनों के तहत, गिरवी के पास गिरवी रखी गई वस्तुओं के कब्जे को बनाए रखते हुए बिक्री के लिए नोटिस जारी करने के बाद भी बकाया ऋण के लिए मुकदमा करने का विकल्प है। इसी तरह, अनुबंध अधिनियम और सामान्य कानून के तहत गिरवीदार को 'वास्तविक बिक्री' तक गिरवी रखे गए सामान को भुनाने का अधिकार है। गिरामी द्वारा स्वयं को की गई बिक्री गिरामी के छुटकारे के अधिकार को पराजित नहीं करती है। यह कानून में धर्मांतरण के बराबर हो सकता है। अध्याय IX में उल्लिखित अनुबंध अधिनियम के अन्य प्रावधान अच्छी तरह से लागू हो सकते हैं। 10.2 डिपॉजिटरीज़ एक्ट (धारा 10 को छोड़कर जिसकी हमने इसके आवेदन (ऊपर) में कुछ विस्तार से जांच की है) और 1996 के विनियमों में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि उनके प्रावधान अनुबंध अधिनियम या किसी अन्य लागू कानून पर प्रबल हैं। दूसरी ओर, धारा 28 में कहा गया है कि "इस अधिनियम के प्रावधान प्रतिभूतियों के धारण और हस्तांतरण से संबंधित समय बल के लिए किसी अन्य कानून के अतिरिक्त होंगे और उनका अपमान नहीं करेंगे।" इस प्रकार, जमा अधिनियम प्रतिभूतियों के धारण और हस्तांतरण से संबंधित अन्य कानूनों के अतिरिक्त है। हमारे तर्क का मतलब यह नहीं है कि धारा 12 और विनियमन 58 का अनुपालन अनिवार्य या अनिवार्य नहीं है। कानून के उल्लंघन की अनुमति मिलने पर दंड और यहां तक कि आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। फिर भी, धारा 12 या विनियमन 58 के तहत प्रकृति और आवश्यकताओं को देखते हुए, अनुबंध अधिनियम की धारा 176 और 177 के विधायी जनादेश को निहितार्थ या संघर्ष के कारण न लिखें और न ही उसे पूर्ववत करें। हम डिपॉजिटरी अधिनियम और 1996 के विनियमों में उचित सूचना जारी करने की आवश्यकता वाले गिरवी के कानून को बदलने के लिए किसी भी विधायी इरादे को नहीं पढ़ते हैं; या खुद को बिक्री की अनुमति देने के रूप में, या गिरवी रखे गए सामान को 'वास्तविक बिक्री' तक भुनाने के गिरवीदार के अधिकार को समाप्त करने के रूप में। धारा 176 और 177 को समाप्त नहीं किया गया है, जहाँ तक कि वे गिरवी रखी गई विमुद्रीकृत प्रतिभूतियों पर समान रूप से लागू होंगी जैसे कि वे अन्य गिरवी रखी गई वस्तुओं पर लागू होती हैं।

10.3 जमा अधिनियम और 1996 के विनियम यह नहीं बताते हैं या निहित रूप से प्रतिबिंबित नहीं करते हैं कि गिरवी द्वारा गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री

स्व, जो धर्मांतरण के बराबर है और धारा 177 के तहत गिरवीदार के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है, अब लागू नहीं हैं। ऐसा करना अनुबंध अधिनियम की धारा 176 और 177 की अवहेलना करने के लिए धारा 12 और विनियमन 58 को पढ़ने और शब्दों को जोड़ने के समान होगा। प्रतिज्ञा का नियम गतिशील है और जैसा कि ऊपर देखा गया है, उसे वर्तमान वाणिज्यिक वातावरण के संदर्भ में खुद को अनुकूलित करना चाहिए, हालांकि हम स्पष्ट संघर्ष पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से बचेंगे।

वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और [संजीव खन्ना, जे।]

जो निक्षेप अधिनियम और 1996 विनियमों के अधिनियमन को ध्यान में रखते हुए उत्पन्न होगा, अन्यथा व्यवहार में कानून के संचालन से अनुपालन में कठिनाइयाँ और जटिलताएँ पैदा होंगी। वाणिज्यिक मामलों और वाणिज्य से संबंधित कानून की व्याख्या करते समय न्यायालय को वास्तविक दुनिया के प्रभाव और परिणामों पर विचार करना चाहिए। इसलिए, धारा 176 में 'वास्तविक बिक्री' अभिव्यक्ति को डिपॉजिटरी अधिनियम के संदर्भ में पढ़ा जाता है।

और 1996 के विनियमों को एक अर्थ दिया जाना चाहिए। हमारी राय में धारा 177 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति 'वास्तविक बिक्री' को खरीददार द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति को की गई बिक्री के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

जमा अधिनियम और कानूनों और नियमों द्वारा लागू '। इसका अर्थ अनुबंध अधिनियम की धारा 176 का अनुपालन भी है और इसकी आवश्यकता है। केवल व्यायाम

गिरामी द्वारा स्वयं को 'लाभकारी स्वामी' के रूप में दर्ज करने का अधिकार, जो गिरामी द्वारा बेचने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से पहले एक आवश्यक पूर्व शर्त है, 'वास्तविक बिक्री' नहीं है और अनुबंध अधिनियम की धारा 177 के तहत मोचन के गिरामी के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। प्रत्येक हस्तांतरण या बिक्री अनुबंध अधिनियम की धारा 177 के उद्देश्य के लिए 'वास्तविक बिक्री' नहीं है। 'बिक्री' को 'वास्तविक बिक्री' के साथ तुलना करना विधायी इरादे को नकार देगा।

10.4 मधोलाल सिंधु (ऊपर) और कई अन्य निर्णयों में, अनुबंध अधिनियम की धारा 177 में 'वास्तविक बिक्री' अभिव्यक्ति की व्याख्या किसी तीसरे व्यक्ति को वैध बिक्री के रूप में की गई है, न कि अनुबंध अधिनियम की धारा 176 के विपरीत रूपांतरण या गैरकानूनी बिक्री। हमारे अनुसार, प्यादी की ओर से अधिकार का प्रयोग और 'डिपॉजिटरी' की ओर से पैनी को 'लाभकारी मालिक' के रूप में दर्ज करने की परिणामी कार्रवाई 'वास्तविक बिक्री' नहीं है। अनुबंध अधिनियम की धारा 177 के तहत मोहरे का मोचन का अधिकार जारी है और इसका उपयोग मोहरे के पंजीकृत होने और 'लाभकारी मालिक' का दर्जा प्राप्त करने के बाद भी किया जा सकता है। 'वास्तविक बिक्री' पर मोचन का अधिकार समाप्त हो जाएगा, यानी जब 'लाभकारी मालिक' किसी तीसरे व्यक्ति को विमुद्रीकृत प्रतिभूतियां बेचता है। एक बार जब 'वास्तविक बिक्री' गिरवी द्वारा प्रभावित हो जाती है, तो गिरवीदार अनुबंध अधिनियम की धारा 177 के तहत गिरवी रखे गए माल के मोचन की मांग करने का अपना अधिकार खो देता है।

10.5 हालाँकि, हम स्वीकार करते हैं कि डिमटेरियलाइज्ड प्रतिभूतियों की बिक्री से संबंधित डिपॉजिटरीज़ एक्ट, उप-कानून और नियम गंभीर होंगे।

यदि गिरवीदार तीसरे पक्ष से विमुद्रीकृत शेयरों को इस आधार पर भुनाने का हकदार है कि अनुबंध अधिनियम की धारा 176 के तहत अभिनिर्धारित उचित सूचना गिरवीदार को नहीं दी गई थी, तो इसे कम किया जाता है। इस हद तक, हम स्वीकार करेंगे कि [2022] 9 एस. सी. आर. के बीच संघर्ष है।

डिपॉजिटरी अधिनियम और मधोलाल सिंधु (ऊपर) में दी गई व्याख्या, जिसका अन्य मामलों में पालन किया गया है, जिसमें नाभा निवेश (ऊपर) में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय भी शामिल है। यदि यह सिद्धांत उन डिमटेरियलाइज्ड प्रतिभूतियों पर लागू किया जाता है जिन्हें डिपॉजिटरी अधिनियम, कानूनों और नियमों के प्रावधानों के अनुसार तीसरे पक्ष को हस्तांतरित किया गया है, तो यह सूचीबद्ध डिमटेरियलाइज्ड प्रतिभूतियों में लेनदेन में निश्चितता को भौतिक रूप से प्रभावित करेगा जो असुरक्षित हो जाएंगे। चुनौती तब भी दी जाती है जब हाथ की लंबाई के खरीदार मूल्यवान विचारों के लिए निर्दोष तीसरे पक्ष के खरीदार होते हैं। खुले बाजार का संचालन प्रभावित होगा। इस हद तक, इसलिए, हम यह मानते हैं कि मधोलाल सिंधु (ऊपर) और नाभा निवेश (ऊपर) में कहा गया है कि जब गिरवी अनुबंध अधिनियम की धारा 176 के तहत उचित नोटिस नहीं देता है तो गिरवी को तीसरे पक्ष के खिलाफ मोचन का अधिकार है, जो सूचीबद्ध डिमटेरियलाइज्ड प्रतिभूतियों पर लागू नहीं होगा जो गिरवी द्वारा जमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कानूनों और नियमों द्वारा बेची जाती हैं। वास्तव में, डिपॉजिटरी अधिनियम की धारा 12 और 1996 के विनियमों के विनियम 58 की शर्तों में अंतर्निहित प्रावधान हैं जिनके संदर्भ में गिरामी और गिरामी को स्थिति में परिवर्तन के बारे में सूचित किया जाता है और गिरामी अनुरोध करता है और उसे लाभकारी मालिक का दर्जा दिया जाता है। गिरवी 'लाभकारी स्वामी' के रूप में पंजीकृत हुए बिना डिमटेरियलाइज्ड प्रतिभूतियों की बिक्री नहीं कर सकता है, जो एक ऐसा कदम है जिसे गिरवी रखने वाले को गिरवी रखी गई डिमटेरियलाइज्ड प्रतिभूतियों को बेचने के लिए आगे बढ़ने से पहले उठाना चाहिए।

10.6 विशिष्ट शब्दों में डिपॉजिटरी अधिनियम की धारा 10 और 12 और 1996 विनियमों के विनियम 58 का पालन करने की अतिरिक्त आवश्यकता के अलावा, हम इन प्रावधानों और अनुबंध अधिनियम की धारा 176 और 177 के बीच कोई वैमनस्य नहीं देखते हैं। पैराग्राफ 10.5 (ऊपर) के संदर्भ में तीसरे पक्ष को सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की बिक्री के मामले में अपवाद के अधीन, उन्हें उनके प्रभाव को रद्द या परिवर्तित किए बिना सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जा सकता है। वे अपने आवेदन में बाधा डाले बिना स्वतंत्र रूप से आवेदन करते हैं क्योंकि अनुबंध अधिनियम की धारा 176 और 177 का क्षेत्र और विषय वस्तु डिपॉजिटरी अधिनियम की धारा 7,10 और 12 के विषय वस्तु और 1996 के विनियमों के विनियम 58 के उप-विनियम (8) के उद्देश्य से अलग है।

च. चार निर्णय

11.1 जे. आर. वाई. इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम में एम. एच. पी. एल. ने बंबई उच्च न्यायालय के मामले पर भरोसा किया। डेक्कन लीफाइन सर्विसेज लिमिटेड

पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और [संजीव खन्ना, जे।]

और अन्य "को अलग किया जा सकता है क्योंकि यह एक अलग तथ्यात्मक मैट्रिक्स से संबंधित है। उक्त मामले में, शेयरों का हस्तांतरण किया गया था न कि एक गिरवी, एक तथ्य विशेष रूप से देखा गया और उक्त निर्णय के पैराग्राफ 16 से 20 में दर्ज निष्कर्ष के संदर्भ में आयोजित किया गया। 74 हालांकि, अनुबंध अधिनियम और डिपॉजिटरी अधिनियम द्वारा शेयरों को गिरवी रखने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई हैं। न्यायालय ने कहा कि डिपॉजिटरी अधिनियम के प्रावधान डिमटेरियलाइज्ड रूप में रखे गए शेयरों के हस्तांतरण और गिरवी रखने को सटीक रूप से दर्ज करने के लिए हैं। डिपॉजिटरी अधिनियम एक 'डिपॉजिटरी' के अस्तित्व पर विचार करता है जो 'लाभकारी मालिक' के नाम पर शेयर रखता है। 'डिपॉजिटरी' शेयरों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए शेयरों के 'पंजीकृत मालिक' के रूप में कार्य करता है।

जमा अधिनियम की धारा 10 के संदर्भ में 'लाभकारी स्वामी' की ओर से स्वामित्व सुरक्षा। धारा 10 प्रतिभूति के स्वामित्व के हस्तांतरण को प्रभावित करने के उद्देश्य से एक गैर-अबाधित खंड है 'लाभकारी मालिक'। तदनुसार, शेयरों का हस्तांतरण डिपॉजिटरी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि अकेले 'लाभकारी मालिक' के रूप में दर्ज व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है।

हस्तांतरण की शक्ति। इसके बाद, विनियम 58 उद्धृत किया गया है। यह देखा गया है कि जमा अधिनियम और विनियमों में प्रतिज्ञा बनाने के लिए एक पूरी और स्व-निहित प्रक्रिया है। यह कथन और यह कथन कि अवास्तविककृत प्रतिभूतियों की प्रतिज्ञा के लिए अनुपालन और निर्माण की आवश्यकता होगी, के प्रावधानों के अनुसार

जमा अधिनियम, काफी हद तक सही हैं, लेकिन इन्हें पढ़ा और पढ़ा जाना चाहिए।

अधिकार। हमने लल्लन प्रसाद (ऊपर) और महाराष्ट्र राज्य कंपनी में इस न्यायालय के पहले के फैसलों सहित मामले के कानून का उल्लेख किया है। ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (उपरोक्त), जिसका मानना है कि गिरवी के लिए माल के कब्जे की डिलीवरी वास्तविक या रचनात्मक हो सकती है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष मामले में, विनियमन 58 के संदर्भ में कोई प्रतिज्ञा नहीं थी। उस पर

73 (2004) 121 कम्प कैस 12.

74 " 20. ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वर्तमान मामले में शेयरों के हस्तांतरण को कानूनी रूप से गिरवी रखा जा सकता है। इसलिए, अनुबंध अधिनियम की धारा 176 के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है, जिसमें गिरवीदार को गिरवी रखे गए माल को हस्तांतरित करने के अपने इरादे की गिरवी रखने वाले को सूचना देने की आवश्यकता होती है। इस पहलू पर विचार किया जा रहा है क्योंकि एक स्तर पर वादी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अन्य प्रतिवादियों के पक्ष में शेयरों का हस्तांतरण प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा शेयरों को बेचने के उनके इरादे के नोटिस के अभाव में अमान्य है।

दूसरी ओर, हस्तांतरण पर एक 'लाभकारी स्वामी' के रूप में हस्तांतरणकर्ता द्वारा शेयरों का हस्तांतरण और धारण किया गया था। इसलिए, हमारे निष्कर्षों के बावजूद अंतिम परिणाम निर्विवाद रहेगा।

11.2 पुष्पांजली में टाई अप प्राइवेट। लिमिटेड वी. रेनुदेवी चौधरी

तीसरे पक्ष के साथ अपने अंतर के लिए एक संपार्श्विक, जिसका अधिकार सैनिक द्वारा प्रयोग किया गया था। इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने मोहरे के मोचन के लिए मोहरे के दावे को खारिज कर दिया क्योंकि मोहरे ने मोहरे के शेयरों के संबंध में अधिकारों को तीसरे पक्ष के साथ मार्जिन के रूप में जमा करके हस्तांतरित कर दिया था। व्यक्त विचार यह था कि मोहरे द्वारा उक्त लेन-देन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था; अन्यथा, यह सहमत व्यवस्था को अर्थहीन और अर्थहीन बना देगा। व्यावसायिक भावना। यह फैसला फर्म ठाकुर दास मरखान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले के फैसले को भी संदर्भित करता है।

लाल वी. मथुरा प्रसाद और अन्य ", एक ऐसा मामला था जिसमें तीन आभूषणों को गिरवी रखा गया था। देय ऋण ऋण मोचन अधिनियम के आधार पर समाप्त हो गया था, गिरवीदार ने इस आधार पर आभूषणों की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया था कि उप-प्रतिज्ञाएँ नहीं थीं।

उसे बांधें। इस संदर्भ में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुबंध अधिनियम की धारा 17 स्पष्ट करती है कि यदि किसी व्यक्ति का माल में सीमित हित है और वह उसे गिरवी रखता है, तो गिरवी उस ब्याज की सीमा तक ही मान्य है। रिलायंस को 'बेलमेंट्स' पर जज स्टोरी की पुस्तक में रखा गया था, जो नीचे दर्ज है:

" प्यादाधारी सामान्य कानून द्वारा बिना किसी विचार के सुरक्षित अभिरक्षा के लिए किसी अजनबी को प्यादा सौंप सकता है; या वह बेच सकता है या

76 “ " 25 25 ..... . इस निर्णय के उद्देश्य के लिए, हम पैराग्राफ 16 में झुकाव वाले एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष के संबंध में कोई राय व्यक्त करने से बचते हैं कि यह है यह मानना असंभव है कि डिमटेरियलाइज्ड रूप में माल डिलीवरी में सक्षम हैं जो कि वास्तविक कब्जे को सौंपने से है। हम मान लेंगे कि ऐसा करना संभव है। 77 ए. आई. आर. 1958 सभी। 66 .

पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और [संजीव खन्ना, जे।]

प्यादे में उसकी सारी रुचि निर्धारित करें; या वह वही बता सकता है

किसी भी मामले में उसकी प्रतिभूति को नष्ट या अमान्य किए बिना किसी अन्य व्यक्ति को सशर्त रूप से मोहरे के रूप में ब्याज। लेकिन अगर गिरवीदार को अपने स्वयं के ऋण से परे किसी ऋण के लिए संपत्ति (परक्राम्य प्रतिभूतियों के बिना) को गिरवी रखने का वचन देना चाहिए, या उसका हस्तांतरण करना चाहिए जैसे कि वह वास्तविक मालिक हो, तो यह स्पष्ट है कि ऐसे मामले में वह विश्वासघात का दोषी होगा, और उसका लेनदार

सैनिक द्वारा धारण की गई उपाधि के अलावा कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। जो भी संदेह हो सकता है, केवल एक कारक के मामले में, यह एक सख्त प्रतिज्ञा के मामले में तय किया गया है, कि यदि प्रतिज्ञाकर्ता

इसे अपने स्वयं के लेनदार को हस्तांतरित करता है और जब तक मूल मालिक का ऋण चुकाया नहीं जाता, तब तक वह गिरवी रख सकता है।

महत्वपूर्ण रूप से, जमा अधिनियम और 1996 के संबंध में

विनियम, यह निर्णय सही ढंग से देखता है कि डिमटेरियलाइज्ड शेयर

खरीददार को बेचने के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए उक्त प्रतिज्ञा आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। तीसरा पक्ष यह मानने का हकदार और न्यायसंगत होगा कि जब तक डिपॉजिटरी अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तब तक कोई गिरवी नहीं है। इस हद तक, डिपॉजिटरी अधिनियम ने एक नई व्यवस्था शुरू की है। विधायी उद्देश्य संबंधित तीसरे पक्ष को प्रतिज्ञा की सूचना व्यक्त करने के लिए एक संकेत प्रदान करना है। गिरवीदार के अधिकारों के अधीन, केवल एक पक्ष 'लाभकारी मालिक' द्वारा बनाई गई गिरवी की स्पष्ट सूचना के साथ, गिरवी के निर्माण के लिए निर्धारित तरीके का पालन करते हुए, अपने जोखिम पर प्रतिभूतियों के साथ सौदा करता है। यह निर्दोष तीसरे पक्षों की रक्षा करता है जिनके पास अन्यथा डिमटेरियलाइज्ड शेयरों के मामले में गिरवी के बारे में जानने का कोई साधन नहीं होता। जमा अधिनियम के प्रावधान, और विशेष रूप से इसकी धारा 12, और 1996 के विनियम, और विशेष रूप से विनियम 58, हितकारी हैं क्योंकि उन्होंने प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता और निश्चितता की शुरुआत की थी। विधायिका द्वारा अवास्तविक रूप में शेयरों की गिरवी रखने के लिए अकेले एक विशेष तरीके का प्रावधान करने का कोई अन्य स्पष्ट कारण नहीं है। हमारे उद्देश्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं जिन टिप्पणियों के साथ हम फिर से सहमत हैं, कि डिपॉजिटरी अधिनियम और 1996 के विनियमों में निर्देश उस तरीके के लिए हैं जिसमें डिमटेरियलाइज्ड शेयरों का निर्माण और हस्तांतरण किया जा सकता है। यह विमुद्रीकृत प्रतिभूतियों के निर्माण और हस्तांतरण को विनियमित करने के लिए है, जिसमें यह भी शामिल है कि प्रतिज्ञा को किसी तीसरे पक्ष को कैसे हस्तांतरित किया जा सकता है। अनुबंध अधिनियम यह निर्धारित नहीं करता है कि एक प्रतिज्ञा केवल एक विशेष तरीके से बनाई जा सकती है। डिपॉजिटरीज एक्ट यह निर्धारित करता है कि कैसे डिमटेरियलाइज्ड प्रतिभूतियां [2022] 9 एस. सी. आर. कर सकती हैं।

वचनबद्ध हों। डिपॉजिटरी अधिनियम और 1996 के विनियमों के प्रावधान अनुबंध अधिनियम के अपमान में नहीं हैं, बल्कि इसके अतिरिक्त हैं।

जमा अधिनियम अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों को फिर से लिखने के लिए नहीं है, बल्कि विमुद्रीकृत प्रतिभूतियों के निर्माण और हस्तांतरण को विनियमित करने के लिए है। विनियमन 38 (1) (ई) 78 में अन्य बातों के साथ-साथ, सभी अनुमोदनों, नोटिसों और प्रविष्टियों के अभिलेखों को बनाए रखने और प्रतिज्ञा या प्रतिभूति को रद्द करने के लिए एक भंडार की आवश्यकता होती है। परिकल्पना, जैसा भी मामला हो सकता है।

11.3 हम पहले ही इलाहाबाद के फैसले का उल्लेख कर चुके हैं।

फर्म ठाकुर दास मरखान लाल (ऊपर) में उच्च न्यायालय और जमानत के कानून पर जस्टिस स्टोरी द्वारा व्यक्त विचार। उसी पर

इस मुद्दे पर, एक और निर्णय है, जिसे चगला, जे. ने मधोलाल सिंधु (ऊपर) में, डोनाल्ड बनाम के मामले में देखा था। चूसना, जिसमें 'ए' ने 'ए' द्वारा समर्थित और 'बी' द्वारा छूट वाले बिल के भुगतान के लिए 'बी' प्रतिभूति के साथ डिबेंचर जमा किए थे। बिल की परिपक्वता से पहले, 'बी' ने बिल से बड़ी राशि के लिए 'सी' से 'बी' तक के ऋण के पुनर्भुगतान तक 'सी' के साथ डिबेंचर जमा किए, जिन्हें वह प्रतिभूति के रूप में रखता है। बिल का अपमान किया गया था और जबकि यह अभी भी भुगतान नहीं किया गया था, 'ए' ने डिबेंचर के लिए 'सी' के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। न्यायालय ने कहा कि 'बी' से 'सी' की प्रतिकृति ने 'ए' और 'बी' के बीच प्रतिज्ञा के अनुबंध को समाप्त नहीं किया, और यह कि 'ए' के बिना निरोध कार्रवाई को बनाए नहीं रख सकता था।

(ज) ऐसे अन्य अभिलेख जो भंडार के रूप में गतिविधियों को चलाने के लिए बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। (2) प्रत्येक डिपॉजिटरी बोर्ड को उस स्थान के बारे में सूचित करेगी जहाँ अभिलेख और दस्तावेज रखे जाते हैं।

(3) किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों के अधीन, डिपॉजिटरी कम से कम पांच साल की अवधि के लिए रिकॉर्ड और दस्तावेजों को संरक्षित करेगा। 79 (1866) एल. आर. 1 क्यू. बी. 585.

पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और [संजीव खन्ना, जे।]

बिल की राशि का भुगतान या निविदा। निर्णय में न्यायाधीशों में से एक ने कहा थाः

" और मुझे लगता है कि, हालांकि वह (प्रतिज्ञा करने वाला) किसी को भी प्रदान नहीं कर सकता है तीसरा व्यक्ति एक बेहतर उपाधि या उससे अधिक ब्याज जो उसके पास है,

फिर भी, अगर फिर भी वह किसी तीसरे व्यक्ति को माल गिरवी रखता है

उसके पास जितना अधिक ब्याज है, इस तरह का कार्य उसे नष्ट नहीं करता है।

स्वयं और गिरवीदार के बीच प्रतिज्ञा का अनुबंध; लेकिन वह

लेन-देन मूल गिरवीदार के विपरीत केवल निष्क्रिय है,

जो प्रतिभूति राशि की निविदा पर तुरंत हकदार हो जाता है

माल के कब्जे में, और के लिए एक कार्रवाई में वसूली कर सकते हैं कोई विशेष क्षति जो उसके कारण हुई हो

माल को फिर से भरने में प्यादी का कार्य।

X

X

XX

XX

एक अन्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की थीः

" निरोध में वादी का दावा उसके अधिकार पर आधारित है

खुद उसे माल दिया गया; और अगर अभी भी सिम्पसन में बचा है, या प्रतिवादी को उसके समनुदेशक के रूप में, माल में कोई रुचि, या

वादी में इस अधिकार के साथ असंगत निरोध का कोई अधिकार,

वादी को निरोध में विफल होना चाहिए, हालांकि वह हकदार हो सकता है

सिम्पसन या प्रतिवादी के खिलाफ यातना की कार्रवाई बनाए रखें उनके परिणामस्वरूप उसे हुई क्षति, यदि कोई हो

डिबेंचरों के साथ अनधिकृत व्यवहार "।

हमें गुणों पर टिप्पणी करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए

पुष्पांजली टाई अप प्रा. लि. में निर्णय। लिमिटेड (ऊपर), उसमें दर्ज निष्कर्षों में से एक के रूप में यह था कि गिरवी ने गिरवी को अनुमति दी थी अधिक राशि के लिए मोहरे को फिर से भरें। पहलू, क्या इसकी अनुमति दी जा सकती है और क्या इसकी अनुमति दी जा सकती है, और क्या पुष्पांजली टाई अप प्राइवेट लिमिटेड में प्रतिज्ञा के दस्तावेज के प्रासंगिक खंड की व्याख्या। लिमिटेड (ऊपर) सही है, हमारे द्वारा जांचा नहीं जाता है और खुला छोड़ दिया जाता है।

11.4 हमारा ध्यान एकल न्यायाधीश पीठ की ओर भी खींचा गया था

टेंड्रिल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय। लिमिटेड और ओआरएस। वी. नेमेडी लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड और ओआरएस आरएस। . , , 80 जो एम. एच. पी. एल. के मामले का समर्थन करता है। हालाँकि, निर्णय को सावधानीपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि इसे उसमें विशिष्ट तथ्यों में पारित किया गया था क्योंकि एक विज्ञापन अंतरिम आदेश था जो बारह वर्षों से लागू था।

जिसके परिणामस्वरूप प्यादी शेयरों को बेचने में असमर्थ था। हम.

इस बात से सहमत हैं कि आम तौर पर एक अदालत अनुबंध अधिनियम की धारा 176 का पालन न करने का आरोप लगाते हुए गिरवीदार की प्रार्थना पर अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं देगी। उद्देश्य और उद्देश्य जिसके लिए प्यादी को जारी करने की आवश्यकता होती है

मोहरे को बेचने से पहले मोहरे को नोटिस देना 'वास्तविक बिक्री' से पहले गिरवी रखे गए माल को भुनाने का अवसर देना है। धारा 176 के तहत उचित नोटिस जारी करने की आवश्यकता होगी -

एक बार जब गिरवीदार को जागरूक किया जाता है और उसे इसका ज्ञान होता है तो वह संतुष्ट हो जाता है पावनी की बेचने की इच्छा/इरादा। धारा 176 के तहत उचित सूचना की कमी के आधार पर अनुमानित अंतरिम आदेशों को जारी रखना एक औचित्य नहीं होगा जब प्यादा अपने लिखित बयान में स्पष्ट करता है और एक स्पष्ट स्थिति लेता है। लिखित कथन को ही उचित सूचना माना जा सकता है। हमने ये टिप्पणियां इसलिए की हैं क्योंकि हम ऐसे मामलों में आए हैं जहां इस तरह के आदेश दिए गए हैं और उनकी पुष्टि की गई है

पावनी के प्रकट होने के बाद भी।

11.5 अन्य पहलुओं पर निर्णय ने जे. आर. वाई. पर निर्भरता रखी है।

इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) और धारा 176 और विनियमन 58 के संबंध में कुछ टिप्पणियां कीं कि धारा 176 के तहत एक नोटिस विनियमन 58 का अपमान करेगा।

निम्नलिखित तर्कः

" 21. मैंने विवाद और कारणों पर विचार किया है

निम्नलिखित, मेरा विचार है कि वादी के हकदार नहीं हैं

विज्ञापन अंतरिम आदेश की निरंतरता जो लागू रही है

पिछले 12 वर्षों सेः

XX

XX

X

X

ई. हालांकि मैं यह जोड़ सकता हूं कि अनुबंध की धारा 176 के तहत एक नोटिस

अधिनियम विनियमन 58 का अपमान है। जबकि धारा 176 गिरवीदार/गिरवीदार को गिरवीदार/गिरवीदार द्वारा डिफ़ॉल्ट रूप से हकदार बनाता है,

गिरवी रखी चीज़ को बेचें ", गिरवीदार को उचित सूचना देने पर

बिक्री ", विनियम 58 (8) प्रतिज्ञा लेने वाले को" के लिए हकदार बनाता है, बशर्ते कि

प्रतिज्ञा दस्तावेज के प्रावधान "," प्रतिज्ञा का आह्वान करें "और

डिपॉजिटरी को "इस तरह के आह्वान पर" अर्थात प्रतिज्ञा लेने वाले द्वारा, " गिरवीदार को ऐसी प्रतिभूतियों के लाभकारी स्वामी के रूप में पंजीकृत करें।

प्रतिभूतियों को गिरवी रखा गया है और आगे डिपॉजिटरी को अनिवार्य करता है

" तदनुसार अपने अभिलेखों में संशोधन करें। पहले के लिए कोई जगह नहीं है

विनियमन 58 (8) की योजना में धारा 176 के तहत नोटिस। उस पर

881 तथापि, इस दलील पर निषेधाज्ञा की प्रार्थना करने वाले मामलों कि ऋण की पूरी/आंशिक राशि का भुगतान कर दिया गया है या चूक आदि की घटना नहीं हुई है, उनके तथ्यों पर जांच की जानी चाहिए। देखें, इन्फ्रा पैरा 11.7।

इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और [संजीव खन्ना, जे।]

इसके विपरीत, विनियमन 58 (9) के लिए आवश्यक है कि डिपॉजिटरी, विनियमन 58 (8) के तहत अपने रिकॉर्ड में संशोधन करने के बाद, प्रतिज्ञाकर्ता के प्रतिभागी और उसी के प्रतिज्ञाकर्ता और उक्त प्रतिभागियों को प्रतिज्ञाकर्ता और प्रतिज्ञाकर्ता को सूचित करने का आदेश देते हैं। इस प्रकार, (ए) जहां धारा 176 में गिरवीदार को बिक्री करने से पहले नोटिस देने का प्रावधान है, वहीं विनियमन 58 में नोटिस पोस्ट का प्रावधान है।

आह्वान और जिस पर गिरवी रखे गए शेयरों का लाभकारी स्वामित्व गिरवी रखने वाले के स्वामित्व से गिरवी रखने वाले के स्वामित्व में बदल जाता है और जो धारा 176 के तहत बिक्री के बराबर है। यह अभिनिर्धारित करना कि विमुद्रीकृत शेयरों को गिरवी रखने के मामले में अनुबंध अधिनियम की धारा 176 के तहत एक पूर्व सूचना की भी आवश्यकता है, इसमें हस्तक्षेप करेगा।

गिरवीदार, गिरवीदार पर चूक होने पर, डिपॉजिटरी को सूचित करके गिरवी का आह्वान करता है और डिपॉजिटरी को अपने रिकॉर्ड में अनिवार्य करता है गिरवी रखने वाले के स्थान पर गिरवी रखने वाले को गिरवी रखे गए शेयरों के लाभकारी मालिक के रूप में दर्ज करें, जिससे गिरवी रखने वाले से गिरवी रखने वाले को लाभकारी मालिक के रूप में शीर्षक हस्तांतरित किया जाता है। विनियमन 58 (8) के तहत गिरवीदार द्वारा गिरवी के आह्वान पर लगाई गई एकमात्र शर्त यह है कि "गिरवी दस्तावेजों के प्रावधानों के अधीन" होना आवश्यक है, यानी विनियमन 58 (1) से 58 (6) में प्रदान की गई रीति से गिरवी का निर्माण-जिसके बारे में गिरवीदार के प्रतिभागी और डिपॉजिटरी को जागरूक किया गया है और

जिनका उन्हें पालन करना आवश्यक है। यह वादी का मामला नहीं है कि प्रतिज्ञा दस्तावेजों में पूर्व सूचना की कोई शर्त थी। हालाँकि यह दलील नहीं है कि शपथ पत्र और मध्यस्थ पुरस्कार प्रतिभागी या डिपॉजिटरी को सूचित किए गए थे, लेकिन वे भी पूर्व सूचना प्रदान नहीं करते हैं। इसके विपरीत, वे अन्यथा प्रदान करते हैं। शपथ के आह्वान के बीच पूर्व उद्धृत शपथ पत्रों में दिया गया अंतर,

जिसके बाद विनियमन 58 के तहत गिरवी रखे गए शेयरों में लाभकारी स्वामित्व गिरवी रखने वाले से गिरवी रखने वाले को हस्तांतरित किया जाना था, और गिरवी रखने वाले द्वारा उक्त शेयरों की बिक्री, अपने बकाया की प्राप्ति के लिए, केवल उस राशि को निर्धारित करने के उद्देश्य से है जो [2022] 9 एस. सी. आर.

जिस ऋण को सुरक्षित करने के लिए गिरवी रखा गया था, उसकी भरपाई की जानी थी। हालाँकि इस तरह के समझौते की व्याख्या इस रूप में नहीं की जा सकती है कि गिरवी रखने वाले का शेयरों में स्वामित्व बना रहता है। डिपॉजिटरी अधिनियम के तहत डिमटेरियलाइज्ड शेयरों में एकमात्र शीर्षक प्रतिभागी और डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में लाभकारी मालिक के रूप में है और जो विनियमन 58 के संदर्भ में गिरवी रखने के आह्वान पर लाभकारी स्वामित्व बदलता है। अन्यथा भी, गिरवीदार की याचिका, हालांकि धारा 176 के तहत नोटिस के बाद, गिरवी रखी गई चीज़ को इष्टतम मूल्य से कम पर बेचना बिक्री को अमान्य करने का आधार नहीं हो सकता है। केवल यह तथ्य कि मध्यस्थता पुरस्कार के संदर्भ में पक्षकारों ने पहले के आह्वान को उलट दिया, भी नहीं हो सकता है।

उक्त स्थिति को बदलें। इस तरह का समझौता भी विनियमन 58 के साथ असंगत नहीं पाया गया है। विचार की मात्रा लाभकारी मालिक के रूप में स्वामित्व के हस्तांतरण को प्रभावित नहीं करती है।

11.6 पूर्ववर्ती परिच्छेदों में की गई चर्चा को देखते हुए, हम उपरोक्त उप-परिच्छेदों में दिए गए तर्क से सहमत नहीं हैं और

टेंड्रिल वित्तीय सेवाओं (ऊपर) में परिणामी अनुपात निर्णय। हम अनुबंध अधिनियम की धारा 176 और विनियमन 58 के उप-विनियम (8) और (9) के बीच कोई अपमान या टकराव नहीं पाते हैं। विनियम 58 (8) सैनिक को गिरवी के स्थान पर खुद को 'लाभकारी मालिक' के रूप में दर्ज करने का अधिकार देता है। इसके परिणामस्वरूप 'वास्तविक बिक्री' नहीं होती है। गिरवीदार को इस तरह के पंजीकरण से कोई पैसा नहीं मिलता है जिसे वह देय ऋण के बदले समायोजित कर सके। प्रतिज्ञा किसी तीसरे पक्ष को प्यादा बेचने के अधिकार सहित विशेष अधिकार पैदा करती है और अनुबंध अधिनियम की धारा 176 के संदर्भ में ऋण के लिए बिक्री आय को समायोजित करती है। यह तर्क कि अनुबंध अधिनियम की धारा 176 के तहत पूर्व सूचना इसमें हस्तक्षेप करेगी प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता और निश्चितता और डिपॉजिटरी अधिनियम और 1996 के विनियमों को घातक झटका देना बहुत दूर की बात है क्योंकि यह इस बात पर ध्यान देने में विफल रहता है कि गिरवी का अधिकार प्रतिभूति की बिक्री पर धन प्राप्त करना है। प्रतिज्ञा का उद्देश्य प्रतिभूति खरीदना नहीं है। जैसा कि ऊपर माना गया है, स्वयं द्वारा खरीद, रूपांतरण है और गिरवी रखने वाले के गिरवी रखने या गिरवी रखने के अधिकार को समाप्त नहीं करता है। समान रूप से, यह कई मामलों में गिरवी और गिरवी दोनों के लिए एक हतोत्साहित करने वाला हो सकता है, अगर हम इस व्याख्या और अनुपात को स्वीकार करते हैं, जो उन्हें एक प्रतिज्ञा बनाने वाले लेनदेन में प्रवेश करने से रोक देगा। मूल्य, मूल्यांकन, मोचन का अधिकार आदि के संबंध में कठिनाइयाँ और विवाद हमेशा उत्पन्न हो सकते हैं। यदि वर्तमान मामले की तरह डिमटेरियलाइज्ड प्रतिभूतियों का व्यापार नहीं किया जाता है तो भी कठिनाइयाँ होंगी। यदि एम. एच. पी. एल. द्वारा अनुरोध किए गए मामले को स्वीकार किया जाना है, तो पी. आई. एफ. एस. एल. का पूरा बकाया पी. आई. एफ. एस. एल. के खजाने में आए बिना भुगतान किया जाता है। पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के तथ्य को देखते हुए यह अज्ञात है कि पी. आई. एफ. एस. एल. एक इच्छुक खरीदार ढूंढ पाएगा या नहीं और शेयरों को बेच पाएगा।

वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और [संजीव खन्ना, जे।]

कि शेयर गैर-सूचीबद्ध हैं और एम. एच. पी. एल. एन. ई. वी. पी. एल. की होल्डिंग कंपनी बनी हुई है। टेंड्रिल फाइनेंशियल में अनुपात का प्रभाव सेवाएँ (उपर्युक्त) प्रतिज्ञा के कानून पर एक पूरी तरह से नया न्यायशास्त्र लागू करना है, प्रतिज्ञा के सुस्थापित कानून को रद्द करना और फिर से लिखना, जो गिरवी को दो विकल्प देता है जब गिरवी चूक में होता है, सिर्फ इसलिए कि गिरवी बेचने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए 'लाभकारी मालिक' के रूप में दर्ज होने के अपने अधिकार का प्रयोग करता है। स्वयं को बिक्री, यदि मानक के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो गैरकानूनी होगा और रूपांतरण के बराबर होगा, इसके मामले में लागू होता है

विमुद्रीकृत प्रतिभूतियाँ। 11.7 वास्तव में, बाद के पैराग्राफ में, टेंड्रिल फाइनेंशियल सर्विसेज (उपरोक्त) में विद्वान एकल न्यायाधीश स्थिति की जांच करता है यदि

धारा 176 लागू होनी थी और इसका पालन नहीं किया गया था। यह उचित रूप से देखा गया है कि मुकदमा लंबित होने के कारण, पर्याप्त सूचना देने की आवश्यकता प्रासंगिक नहीं हो सकती है। टेंड्रिल फाइनेंशियल सर्विसेज (उपरोक्त) में निर्णय ने जी. टी. एल. लिमिटेड बनाम में दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ के एक अन्य निर्णय को भी नोटिस किया है। आईएफसीआई लिमिटेड और Ors.82 जो एक विपरीत दृष्टिकोण रखता है और मानता है कि गिरवी रखी गई डिमटेरियलाइज्ड प्रतिभूतियों के संबंध में धारा 176 का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। जी. टी. एल. लिमिटेड (ऊपर) में अस्थायी निषेधाज्ञा दी गई थी। हमने संक्षेप में टिप्पणी की है कि ऐसे मामलों में निषेधाज्ञा सामान्य रूप से नहीं दी जानी चाहिए। 83 विनिर्दिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 3884 की उप-धारा (3) के खंड (सी) में कहा गया है कि स्थायी निषेधाज्ञा तब दी जा सकती है जब प्रतिवादी वादी के संपत्ति के अधिकार या आनंद पर आक्रमण करता है जहां -

(ग) जहां आक्रमण ऐसा है कि धन में क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत नहीं देगी; 85 धारा 38 (2): जब अनुबंध से ऐसा कोई दायित्व उत्पन्न होता है, तो न्यायालय अध्याय 2 में निहित नियमों और प्रावधानों द्वारा निर्देशित होगा।

86 अध्याय II: अनुबंध का विशिष्ट निष्पादन 87 धारा 10। ऐसे मामले जिनमें अनुबंध का विशिष्ट निष्पादन लागू करने योग्य हो।

इस अध्याय में अन्यथा उपबंधित किए जाने के अलावा, किसी भी अनुबंध का विशिष्ट निष्पादन, न्यायालय के विवेक से, [2022] 9 एस. सी. आर. लागू किया जा सकता है।

2018 के अधिनियम 18 द्वारा, स्पष्टीकरण के खंड (ii) के माध्यम से कहा गया था कि जब तक और जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, तब तक अदालत यह मान लेगी कि चल संपत्ति के हस्तांतरण के अनुबंध के उल्लंघन को मामलों को छोड़कर राहत दी जा सकती हैः ((क) जहां संपत्ति वादी के लिए विशेष मूल्य या ब्याज वाली वाणिज्य की एक सामान्य वस्तु नहीं है, या इसमें ऐसी वस्तुएं शामिल हैं जो बाजार में आसानी से प्राप्त करने योग्य नहीं हैं; और खंड (ख) के तहत जहां संपत्ति प्रतिवादी द्वारा वादी के एजेंट या ट्रस्टी के रूप में रखी गई है। 88 1 जनवरी 2018 से प्रभावी नई धारा 1089 के अनुसार, अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन को धारा 11,90 की उप धारा (2), धारा 14 9 1 और धारा 16.92² खंड (c) में निहित प्रावधानों के अधीन लागू किया जा सकता है। (क) जब किए जाने के लिए सहमत अधिनियम के गैर-निष्पादन के कारण होने वाले वास्तविक नुकसान का पता लगाने के लिए कोई मानक मौजूद नहीं है; या

(ख) जब कोई कार्य करने के लिए सहमत हो जाता है तो वह ऐसा होता है कि उसके गैर-निष्पादन के लिए धन में क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत नहीं देगी। स्पष्टीकरण। जब तक और जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक अदालत यह मान लेगी कि (i) अचल संपत्ति के हस्तांतरण के अनुबंध का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।

धन में मुआवजे द्वारा पर्याप्त रूप से राहत दी गई; और

((ii) कि चल संपत्ति के हस्तांतरण के अनुबंध के उल्लंघन से इस तरह राहत मिल सकती है।

निम्नलिखित मामलों को छोड़करः
((क) जहां संपत्ति वाणिज्य का एक सामान्य लेख नहीं है, या वादी के लिए विशेष मूल्य या ब्याज का है, या जिसमें ऐसी वस्तुएं शामिल हैं जो बाजार में आसानी से प्राप्त करने योग्य नहीं हैं; (ख) जहां संपत्ति प्रतिवादी द्वारा वादी के एजेंट या ट्रस्टी के रूप में रखी गई है।

88 एक गिरवी एक ट्रस्टी होता है लेकिन गिरवीदार को बिक्री की उचित सूचना देने के बाद गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचने का विशेष अधिकार होता है।

9 0 90 धारा 11। ऐसे मामले जिनमें न्यासों से जुड़े अनुबंधों का विशिष्ट निष्पादन लागू करने योग्य हो। 91 9 1 धारा 14। अनुबंध विशेष रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं। 9 2 धारा 16। राहत के लिए व्यक्तिगत प्रतिबंधः किसी अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन को किसी व्यक्ति के पक्ष में लागू नहीं किया जा सकता है।

(ए) जिसने धारा 20 के तहत अनुबंध का प्रतिस्थापित प्रदर्शन प्राप्त किया है; या (बी) जो अनुबंध का प्रदर्शन करने में असमर्थ हो गया है, या किसी भी आवश्यक अवधि का उल्लंघन करता है, जो उसकी ओर से किया जाना बाकी है, या अनुबंध की धोखाधड़ी में कार्य करता है, या जानबूझकर अनुबंध द्वारा स्थापित किए जाने वाले संबंध के साथ भिन्न या विध्वंस में कार्य करता है; या

(ग) जो यह साबित करने में विफल रहता है कि उसने अनुबंध की आवश्यक शर्तों का पालन किया है या हमेशा तैयार और इच्छुक रहा है जो उसके द्वारा किए जाने हैं, उन शर्तों के अलावा जिनके प्रदर्शन को प्रतिवादी द्वारा रोका या माफ कर दिया गया है। स्पष्टीकरण। खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए,

(i) जहां किसी अनुबंध में धन का भुगतान शामिल है, वादी के लिए वास्तव में प्रतिवादी को निविदा देना या अदालत में कोई भी राशि जमा करना आवश्यक नहीं है।

धन, सिवाय तब जब न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देश दिया गया हो;

((ii) वादी को औसत प्रदर्शन, या तैयारी और इच्छा साबित करनी चाहिए।

निष्पादित करने के लिए, अनुबंध अपने वास्तविक निर्माण के अनुसार।

पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और [संजीव खन्ना, जे।]

धारा 16 में कहा गया है कि किसी अनुबंध का विशिष्ट निष्पादन नहीं किया जा सकता है

एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में लागू किया जाता है जो यह साबित करने में विफल रहता है कि उसने अनुबंध की आवश्यक शर्तों का पालन किया है या हमेशा तैयार रहा है और उसके द्वारा किए जाने वाले अनुबंध की आवश्यक शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है, उन शर्तों के अलावा जिनके प्रदर्शन को प्रतिवादी द्वारा रोका या माफ कर दिया गया है। खंड (ग) पर लागू होने वाले स्पष्टीकरण में कहा गया है कि जहां किसी अनुबंध में धन का भुगतान शामिल है, यह आवश्यक नहीं है कि वादी को वास्तव में प्रतिवादी को कोई धन देना चाहिए या अदालत में कोई धन जमा करना चाहिए, सिवाय इसके कि अदालत द्वारा ऐसा निर्देश दिया गया हो। हालांकि, वादी को प्रदर्शन साबित करना होगा

अनुबंध के वास्तविक निर्माण के अनुसार, या उसे पूरा करने की तैयारी और इच्छा। इन पहलुओं को अदालत द्वारा निषेधाज्ञा देने के प्रश्न की जांच करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, भले ही मौलिक

विशेष कानून होने के नाते प्रतिज्ञा के कानून से संबंधित सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए क्योंकि वादी को एक प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति स्थापित करनी होती है। अधिकांश अवसरों पर ये पहलू तथ्य और स्थिति विशिष्ट होंगे।

11.8 लिक्विड होल्डिंग्स प्राइवेट के मामले में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था

सीमित वी। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड "। इस मामले में, अपने अधिकारों का प्रयोग करने पर, मोहरे को 'लाभकारी मालिक' के रूप में पंजीकृत किया गया था, लेकिन एक समझौते के अनुसार, मोहरे को 'लाभकारी मालिक' के रूप में फिर से दर्ज किया गया था। बोर्ड ने दावा किया था और इसमें सफल रहा था

यह स्थापित करना कि विमुद्रीकृत प्रतिभूतियों का हस्तांतरण किया गया था

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विनियम 7 और 11 (1) का उल्लंघन (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और

अधिग्रहण) विनियम, 1997। यह निर्णय, हम नोट कर सकते हैं, मुख्य रूप से अधिग्रहण नियमों से संबंधित है और पारित होने में संदर्भित करता है और

1996 के विनियमों के विनियम 58 की व्याख्या करता है। निर्णय अधिग्रहण नियमों और उसके कानूनी उल्लंघन के संदर्भ में है और इस मुद्दे पर कि क्या 'लाभकारी स्वामित्व' में परिवर्तन अधिग्रहण नियमों को ट्रिगर करेगा। अनुबंध अधिनियम और प्रतिज्ञा कानून के प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया गया है और उनकी जांच नहीं की गई है। इस अपील को तर्कहीन आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसलिए, इस निर्णय से हमें विवादग्रस्त मुद्दे पर निर्णय लेने में मदद नहीं मिलेगी। हालाँकि, हम यह देखते हैं कि हमारे निष्कर्षों और तर्क को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड 1996 के विनियमों के साथ-साथ अधिग्रहण विनियमों की फिर से जांच कर सकता है ताकि कलह या विवाद से बचा जा सके।

अस्पष्टता जिसके परिणामस्वरूप अस्थिरता या भ्रम पैदा होता है। स्पष्टता आवश्यक है। अधिग्रहण नियमों का अपना प्रभाव हो सकता है और किसी मामले में, हो सकता है 93 (2011) एससीसी ऑनलाइन एसएटी 40।

यह उस लेनदार के लिए एक नुकसान और एक नकारात्मक कारक है जो गिरवी के विलेख द्वारा खुद को सुरक्षित करना चाहता है। प्रासंगिक सवाल यह है कि क्या अधिग्रहण नियम तब लागू होने चाहिए जब गिरवी गिरवी बेचने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हुए 'लाभकारी मालिक' के रूप में दर्ज किए जाने के अपने अधिकार का प्रयोग करता है। कर और लेखांकन निहितार्थ होंगे जो हानिकारक हो सकते हैं और वित्तीय बाजार और सौदों को बाधित कर सकते हैं। यह वित्तीय संस्थानों को डिमटेरियलाइज्ड प्रतिभूतियों को मोहरे के रूप में स्वीकार करने से रोक सकता है। प्रतिज्ञा के प्रभाव की समग्र समीक्षा। डिमटेरियलाइज्ड प्रतिभूतियाँ, गिरवी के बिना 'लाभकारी मालिक' के रूप में गिरवी का पंजीकरण, गिरवी रखे गए सामान को बेचने के अधिकार को लागू करना, प्रतिभूति बाजार के सुचारू संचालन और उसके बिना लेनदेन के मुक्त प्रवाह के लिए आवश्यक और आवश्यक है।

12.1 जी. तथ्यों का विश्लेषण और इस मामले के तथ्यों के लिए प्रतिज्ञा के कानून का अनुप्रयोग
10 मार्च, 2014 के शपथ पत्र के प्रासंगिक खंडों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 6.1 सेतु ऋण ऋणदाता के नाम पर पंजीकरणः

ब्रिज लोन लेंडर द्वारा जारी किए गए चूक की स्थिति में, ब्रिज लोन लेंडर को यह अधिकार होगा कि वह अपने नाम या उसके नामितों के नाम पर साझा किए गए ऋण को हस्तांतरित करे। 6.2 प्रवर्तनीयता और बिक्रीः

चूक की घटना होने पर, ब्रिज लोन लेंडर या उसका नामांकित व्यक्ति आगे के अधिकार के बिना और लागू कानून के तहत अपने अन्य अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, लेकिन प्लेडगोर को 5 (पांच) दिनों के नोटिस (जो नोटिस की अवधि के लिए प्लेडगोर सहमत है वह उचित नोटिस है) को नोटिस देने के बाद सभी या किसी भी चीज़ को बेच या अन्यथा निपटा सकता है।

इस तरह से और इस तरह के लिए प्रतिज्ञाबद्ध शेयरों का हिस्सा

पुल ऋण ऋणदाता के रूप में विचार अपने एकमात्र निर्णय में कर सकता है

उपयुक्त समझें (चाहे निजी बिक्री द्वारा या अन्यथा) और धारा के अनुसार ऐसी किसी भी बिक्री या स्वभाव की शुद्ध आय को लागू करें।

11 वहाँ से "।

12.2 खंड 6.1 के अनुसार, गिरवीदार/गिरवीदार द्वारा चूक की घटना की सूचना प्राप्त होने पर, गिरवीदार/गिरवीदार को गिरवी रखे गए शेयरों को अपने नाम या उसके नामितों को हस्तांतरित करने का अधिकार है। खंड 6.2 के तहत, गिरवी या उसका नामित व्यक्ति पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बिना आगे जा सकता है।

वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और [संजीव खन्ना, जे।]

कानून के तहत उनके अन्य अधिकारों के प्रति अधिकार और पूर्वाग्रह, लेकिन गिरवीदार को पांच दिन का नोटिस देने पर, किसी भी या सभी गिरवी रखे गए शेयरों को इस तरह से और ऐसे विचार के लिए बेचें या अन्यथा निपटान करें जो वह अपने विवेकाधिकार में उचित समझे। इस तरह की बिक्री या स्वभाव की शुद्ध आय को तब प्रतिज्ञा विलेख के खंड 11 के तहत निर्धारित तरीके से लागू किया जाता है। 94 खंड 14.1% स्पष्ट करता है कि प्रतिज्ञा विलेख केवल ऋणदाता को बकाया ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान पर समाप्त होगा।

12.3 वर्तमान मामले के संदर्भ में, प्रतिज्ञा का अनुबंध

यह परिकल्पना की गई है कि पी. आई. एफ. एस. एल. शेयरों को बेचने के लिए खंड 6.2 के संदर्भ में अपने अधिकार को खोए बिना खुद को 'लाभकारी मालिक' के रूप में दर्ज करने का हकदार है। एम. एच. पी. एल. का यह तर्क कि खंड 6.1 और 6.2 वैकल्पिक हैं और एक बार पी. आई. एफ. एस. एल. ने खंड 6.1 के तहत विकल्प का प्रयोग कर लिया है, खंड 6.2 के तहत विकल्प को पूरी तरह से असमर्थनीय के रूप में खारिज कर दिया जाना चाहिए। हम दोनों खंडों में ऐसी कोई शर्त नहीं पाते हैं। जैसा कि ऊपर देखा गया है, पी. आई. एफ. एस. एल. खंड 6.2 के तहत अधिकार का प्रयोग तब तक नहीं कर सकता था जब तक कि गिरवी शेयरों को इसके नाम पर 'लाभकारी स्वामी' के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था। यह कदम पी. आई. एफ. एस. एल. को अपने अधिकार का प्रयोग करने और गिरवी शेयरों की बिक्री को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक था। यह गिरवी शेयरों को बेचने में सफल होगा या नहीं, यह आज भी अज्ञात और अनिश्चित है। प्राप्त होने वाली राशि भी अज्ञात और अनिश्चित है।

12.4 इसलिए खंड 6.1 और 6.2 में स्पष्ट अंतर किया गया है।

के नाम पर गिरवी रखे गए शेयरों के केवल हस्तांतरण के बीच

पावनी

या 'लाभकारी स्वामी' के रूप में इसके नामित और गिरवी रखे गए शेयरों की 'वास्तविक बिक्री'। बेचने का अधिकार इसके तहत किसी अन्य अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है

95 14. रिलीज और समाप्तिः 14.1 यह प्रतिज्ञा विलेख बकाया राशियों के पूर्ण पुनर्भुगतान पर या इस प्रतिज्ञा विलेख की शर्तों के अनुसार सभी प्रतिज्ञाबद्ध शेयरों की बिक्री, हस्तांतरण या अन्य निपटान पर समाप्त हो जाएगा। 14.2 इस प्रतिज्ञा पत्र की समाप्ति पर, बकाया राशि के पूर्ण पुनर्भुगतान के बाद, सेतु ऋण ऋणदाता, प्रतिज्ञा पत्र की लागत और खर्च पर, प्रतिज्ञा पत्र के तहत बनाए गए प्रतिज्ञा पत्र से प्रतिज्ञा पत्र वाले शेयरों को जारी करेगा और प्रतिज्ञा पत्र वाले शेयरों के अलावा, जिन्हें बेचा या निपटाया गया हो (एस. आई. सी.), इस तरह के विमोचन के बारे में प्रतिज्ञा पत्र वाले को सूचित करेगा।

लागू कानून। इस प्रकार, बिक्री द्वारा प्रतिज्ञा को लागू करने से पहले दो चरण होते हैं। पहले चरण में, गिरवी को अपने या उसके नामितों के नाम पर गिरवी शेयरों को स्थानांतरित करने के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए खंड 6.1 के तहत गिरवीदार को नोटिस देना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप शेयरों के मूल्य के बराबर ऋण का निर्वहन नहीं होता है। पूर्ण या आंशिक रूप से ऋण का निर्वहन तब होता है जब मोहरेदार खंड 6.2 के अनुसार मोहरे को पांच दिन का नोटिस देने के बाद शेयरों को बेचने के अपने अधिकार का प्रयोग करता है और मोहरे को बेच देता है। वास्तविक बिक्री पर, गिरवी प्रतिज्ञा विलेख के खंड 11 के अनुसार बिक्री या स्वभाव की शुद्ध आय को लागू कर सकता है।

12.5 जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, खंड 6.1 पी. आई. एफ. एस. एल. को खुद को प्राप्त करने की अनुमति देता है।

गिरवी रखे गए शेयरों के 'लाभकारी मालिक' के रूप में दर्ज, एक अधिदेश और पी. आई. एफ. एस. एल. को गिरवी रखे गए शेयरों को बेचने के लिए एक गिरवी के रूप में सक्षम करने की आवश्यकता। खंड 6.2 उक्त शेयरों की बिक्री के लिए है, और इस संबंध में, हमें शपथ पत्र के खंड 5.1 के उपखंड (के) और (एम) का उल्लेख करना चाहिए,

जिसे इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

" 5.1 प्लेडगोर के उपक्रमः प्लेडगोर पुल ऋण का आश्वासन देता है, उसे स्वीकार करता है और उससे सहमत होता है

ऋणदाता जो प्रतिज्ञा की निरंतरता के दौरान बनाया गया है

इस प्रतिज्ञा विलेख के अनुसार और पुनर्भुगतान तक

लेन-देन दस्तावेजों के तहत पूरी बकाया राशि,

प्लेडगोरः

XX

XX

X

X

(के) इसके तहत किसी भी अधिकार को अपरिवर्तनीय रूप से माफ कर देता है

डिपॉजिटरी अधिनियम, डिपॉजिटरी विनियम या कोई अन्य

लागू कानून उस हद तक लागू होता है जो इसके साथ असंगत है

उपरोक्त उपक्रम और गिरवी रखे गए शेयरों की गिरवी इस शपथ विलेख के अनुसार;

XX

XX

X

X

(एम) प्रतिज्ञा के हर समय एकमात्र लाभकारी मालिक बने रहें

प्रतिज्ञाबद्ध के सेतु ऋण ऋणदाता द्वारा की गई बिक्री को छोड़कर अन्य शेयर

शेयर "।

खंड 5.1 (एम) के अनुसार, गिरवीदार इस बात से सहमत है कि

गिरवी विलेख के अनुसार बनाई गई गिरवी की निरंतरता और लेन-देन के तहत पूरी तरह से बकाया राशि के पुनर्भुगतान तक

दस्तावेज़, अर्थात सेतु ऋण समझौता, गिरवी पी. टी. सी. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बना रहेगा।

वी. वेंकटेश्वरलू कारी और एक और [संजीव खन्ना, जे।]

हर समय गिरवी रखे गए शेयरों का लाभकारी मालिक, सिवाय इसके कि

पुल ऋणदाता के रूप में गिरवी द्वारा की गई बिक्री। इसके अलावा, खंड 5.1 (के) के अनुसार, गिरवीदार ने डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 विनियमों या किसी अन्य लागू कानून के तहत अपने किसी भी अधिकार को इस हद तक अपरिवर्तनीय रूप से माफ कर दिया है कि वह शपथ पत्र के प्रावधानों के साथ असंगत है। खंड 5.1 (के) केवल तभी लागू होगा जब डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 विनियम, या कोई अन्य कानून पक्षों को इस अधिनियम से बाहर अनुबंध करने की अनुमति देता है। पारस्परिक समझौते द्वारा विनियम। यह कानून की एक तय स्थिति है और जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, एक अनुबंध विनियमों सहित किसी भी मौजूदा कानून के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हो सकता है, जब तक कि उक्त कानून पक्षों को प्रावधान के साथ असंगत अनुबंध करने की अनुमति नहीं देता है।

12.6 पी. आई. एफ. एस. एल. ने 23 जनवरी 2018 के पत्र द्वारा सूचित किया था कि

डिफ़ॉल्ट, जो जारी रहा है और इसलिए, उन्होंने 16 जनवरी 2018 को गिरवी विलेख के खंड 6.1 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, गिरवी रखे गए शेयरों को इसके नाम पर हस्तांतरित करने के लिए आवेदन किया है। नतीजतन, गिरवी रखे गए शेयरों में सभी अधिकार, जिनमें सामान्य निकाय की बैठकों में भाग लेने का अधिकार, मतदान अधिकार और लाभांश और अन्य वितरण प्राप्त करने के अधिकार शामिल हैं, अब गिरवी विलेख के खंड 2.3 (ए) (ii) (बी)% के अनुसार उनके पास निहित हैं। एम. एच. पी. एल. को यह सूचना पी. आई. एफ. एस. एल. के प्रतिज्ञा के संदर्भ में किसी भी अधिकार या उपचार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है। पुल ऋण समझौते के अनुसरण में निष्पादित विलेख या सुरक्षा दस्तावेज। पी. आई. एफ. एस. एल. ने गिरवी विलेख के खंड 6.2 और अनुबंध अधिनियम की धारा 176 के तहत आवश्यक पांच दिनों का नोटिस प्रदान करते हुए मूल्य के लिए गिरवी रखे गए शेयरों को हस्तांतरित करने और बेचने का अपना अधिकार स्पष्ट रूप से सुरक्षित रखा। इसलिए हम बिना किसी हिचकिचाहट के यह मानेंगे कि 'डिपॉजिटरी' के अभिलेखों में 'लाभकारी स्वामी' बनने पर, गिरवी ने शेयरों को बेचने के अधिकार को लागू करने के लिए विनियमन 58 (8) की प्रक्रियात्मक आवश्यकता का पालन किया था। इसके बाद, ऐसी बिक्री अनुबंध अधिनियम की धारा 176 और 177 के अनुसार की जानी चाहिए। उक्त प्रावधानों का उल्लंघन, यदि

पी. आई. एफ. एस. एल. द्वारा किए गए, कानून के अनुसार इसके परिणाम होंगे। प्यादा है

96 2.3 . मतदान के अधिकार और लाभांश (ए) जब तक चूक की कोई घटना या चूक की संभावित घटना नहीं हुई है और जारी है, लेनदेन दस्तावेजों के प्रावधानों के अधीनः

(ii) प्रतिज्ञाकर्ता केवल सेतु ऋण ऋणदाता के पूर्व लिखित अनुमोदन के साथ प्रतिज्ञाबद्ध शेयरों के संबंध में भुगतान किए गए किसी भी और सभी लाभांश और अन्य वितरण को प्राप्त करने और बनाए रखने का हकदार होगा, बशर्ते कि कोई भी और सभीः (बी) किसी भी परिसमापन या विघटन के संबंध में या पूंजी में कमी के संबंध में नकद में भुगतान या देय लाभांश और अन्य वितरण; [2022] 9 एस. सी. आर.

बेचा नहीं गया है और अनुबंध अधिनियम या उस मामले के लिए डिपॉजिटरी अधिनियम और 1996 विनियमों का कोई उल्लंघन नहीं है। पी. आई. एफ. एस. एल. ने अनुबंध अधिनियम की धारा 176 और 177 के तहत विनियमन 58 के उप-विनियमन (8) पर भरोसा करके अपने दायित्वों की अनदेखी नहीं की है।

पूरी तरह से अलग उद्देश्य और उद्देश्य। 'डिपॉजिटरी' के रजिस्टर में परिवर्तन दर्ज करना, जिसके तहत पी. आई. एफ. एस. एल. 'लाभकारी मालिक' बन गया है, केवल डिपॉजिटरी अधिनियम और 1996 के विनियमों के अनुसार शेयरों को बेचने और स्थानांतरित करने में सक्षम बनाने के लिए है। विनियम 58 के उप-विनियम (8) का उद्देश्य और उद्देश्य अनुबंध अधिनियम के तहत एम. एच. पी. एल. यानी गिरवीदार और पी. आई. एफ. एस. एल यानी गिरवीदार के दायित्व को समाप्त करना नहीं है, बल्कि पी. आई. एफ. एस. एल. को अपने दायित्व का प्रयोग करने में सक्षम बनाना है।

धारा 176 के तहत अधिकार। यह भी पता चलता है कि एम. एच. पी. एल. किसी तीसरे पक्ष को बिक्री करने से पहले गिरवी को भुनाने का हकदार है। 12.7 उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि मोहरे का पंजीकरण, यानी डिमटेरियलाइज्ड शेयर, के पक्ष में

'लाभकारी स्वामी' के रूप में पी. आई. एफ. एस. एल. का मोहरे द्वारा शेयरों की बिक्री का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिज्ञा को पूरा या आंशिक रूप से पूरा या संतुष्ट नहीं किया गया है। पी. आई. एफ. एस. एल. को किसी भी बिक्री आय के लिए लेखा देने की आवश्यकता नहीं है जो 'वास्तविक बिक्री' पर ऋण पर लागू की जानी है। अनुबंध अधिनियम की धारा 176 के तहत मोहरे के रूप में पी. आई. एफ. एस. एल. के लिए उपलब्ध दो विकल्प बने हुए हैं और समाप्त नहीं हुए हैं।

एच. निष्कर्ष

13.1 उपरोक्त कारणों से, वर्तमान अपील की अनुमति दी जानी चाहिए और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20 जून को विवादित आदेश पारित किया जाना चाहिए।

2019 6 जुलाई 2018 के न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेशों को बरकरार रखते हुए और 19 फरवरी 2018 के आई. आर. पी. के ईमेल को दरकिनार कर दिया गया है। यह माना जाता है कि एम. एच. पी. एल. 31,80,678 शेयरों के मूल्य की सीमा तक निगमित देनदार, अर्थात् एन. एन. पी. आई. एल. का सुरक्षित लेनदार नहीं है। पी. आई. एफ. एस. एल. ने अपनी दावा याचिका में एन. ई. वी. पी. एल. के 31,80,678 शेयरों के मूल्य का हिसाब रखे बिना कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदार के रूप में दावा किया है। निगमित ऋणदाता, अर्थात् एन. एन. पी. आई. एल., के खिलाफ दिवाला कार्यवाही तदनुसार आगे बढ़ेगी।

13.2 अपील की अनुमति उपरोक्त शर्तों में लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना दी जाती है।

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान

(सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)